खण्ड-236, अंक-9
सोमवार, 12 अग्रहायण, शक संवत् 1884
(3 दिसम्बर, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 236 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

वियष-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	८६९–८७३
प्रश्नोत्तर	८७३–९१०
तारांकित प्रश्न संख्या १० के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन ..	९१०
प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायत	९१०–९११
सर्वश्री नरेन्द्रबहादुरसिंह, बदनसिंह, श्रीरत्न शुक्ल और अब्दुल मजीद ख्वाजा के निधन पर शोकोद्गार	९११–९१६
डिलिमिटेशन आफ पार्लियामेन्टरी ऐन्ड असेम्बली कांस्टीटुएन्सीज आर्डर, १९६१, १३—उत्तर प्रदेश (मेज पर रखा गया)	९१६
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कठिनाइयों को दूर करने का) (तृतीय) आदेश, १९६२ (मेज पर रखा गया)	९१६
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	९१७
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (समितियों का निर्माण) नियमावली, १९६२ (मेज पर रखी गयी)	९१७
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (कार्यवाहियों का संचालन) नियमावली, १९६२ (मेज पर रखी गयी)	९१७
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (कार्यवाहियों का संचालन) नियमावली, १९६२ (मेज पर रखी गयी)	९१७
उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६२ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (मेज पर रखा गया)	९१७
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परियद् द्वारा पारित हुआ (मेज पर रखा गया)	९१८
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६२ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (मेज पर रखा गया) ..	९१८
उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	९१८
हिन्दू मैरेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	९१८
उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) विधेयक, १९६२ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	९१८
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२–६३ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६२ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	९१९

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८–५९ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६२ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	९१९
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विधेयक, १९६२ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	९१९
डिलिमिटेशन आफ पार्लियामेन्टरी ऐन्ड असेम्बली कान्स्टीटुएन्सीज आर्डर, १९६१, १३—उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण	९१९–९२१
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	९२१
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	९२१–९२२
कार्य-स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में जानकारी	९२२–९२३
लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट, राज्य मद्य निषेध बोर्ड तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये सदस्यों के निर्वाचन का कार्य-क्रम	९२३
राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में सदस्यों द्वारा दिये गये धन के सम्बन्ध में सूचना ..	९२३
१७ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न ३९–४१ से सम्बन्धित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	९२३–९२४
सदन का भावी कार्यक्रम	९२४
सुरक्षा समितियों के संगठन के सम्बन्ध में जिलाधीशों को जारी किये गये परिपत्र के बारे में जानकारी	९२४–९२५
श्री उग्रसेन द्वारा जानकारी की मांग	९२५
उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेन्ट्स ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६२ (पुरःस्थापित किया गया)	९२५–९२६
नत्थियां	९२७–९७५

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ३ दिसम्बर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८०

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्ड प्रताप सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम कुन्नन गु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री

गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री.
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयालकरबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री

परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसुन्दर, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बैचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास दास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भोखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, खां
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री

रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुनन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री

श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराजसिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री, नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा लघु उद्योग उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ३ दिसम्बर, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—[हटा दिया गया ।]

पुनर्वास विभाग, रिहन्द बांध द्वारा भूमि वितरण

*२—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को पता है कि पुनर्वास विभाग (रिहन्द बांध) द्वारा वितरित भूमि पर बसे कई परिवार उदाहरणार्थ श्री धनुषधारी पनिका पुनर्वास क्षेत्र जरहा तथा श्री अनन्तराम पुनर्वास क्षेत्र चैनपुर को डी० एफ० ओ० महोदय यह कह कर कि यह जंगल विभाग की भूमि है जबरदस्ती हटाने को तुले हैं ? यदि हां, तो क्यों, जबकि उनको उसी भूमि से खूंथ निकालने का अनुदान भी प्राप्त हो गया है ?

वन मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—जी नहीं ।

पुनर्वास विभाग (रिहन्द बांध) द्वारा वितरित क्षेत्र पर बसे किसी परिवार को नहीं हटाया जा रहा है । उदाहरण में बताये दोनों व्यक्ति पुनर्वास क्षेत्र में न बस कर अनधिकृत रूप से वन भूमि पर कब्जा किये हुये हैं । ऐसे व्यक्तियों को खूंथ निकालने की आज्ञा नहीं दी जाती है ।

श्री रामप्यारे---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न में उल्लिखित व्यक्तियों ने अनधिकृत रूप से वहां की भूमि पर कब्जा किया है, तो पुनर्वास विभाग ने उनको अनुदान क्यों दिया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है । लेकिन यह जो सज्जन जिनको जमीन दे दी गई थी रिहैबिलिटेशन के लिये अब उनको निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है । परन्तु अभी इसकी कोई पूर्ण सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री रामप्यारे---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो अनधिकृत भूमि है उसके अलावा पुनर्वास विभाग ने जो दी है वह अलग है या वही है ?

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)---श्रीमन्, जब रिहन्द बांध बना तो जंगल की बहुत सी भूमि और गांव के जो पेड़ थे वह काटे गये तो वहां के बसने वाले भी उजड़ गये । उनके लिये पुनर्वास विभाग ने कुछ जमीन दी थी । परन्तु वे लोग वहां न बसकर इस जमीन पर बस गये हैं जो कि उनको पुनर्वास विभाग ने नहीं दी है । उस पर यह बसे हैं ।

श्री रामप्यारे---क्या माननीय मंत्री महोदय को यह पता है कि पुनर्वास विभाग ने जब भूमि वितरित की तो उस भूमि को जंगल विभाग वाले साफ नहीं करने दे रहे थे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---श्रीमन्, जो भूमि पुनर्वास विभाग को मिली है उस को साफ करने की इजाजत है और लोग बसे हैं जिनको दी गई है । जो अनधिकृत रूप से उस भूमि पर नहीं बसे हैं और उनको पुनर्वास विभाग ने रखा है, उनको हटाने की बात नहीं की जा सकती ।

पूर्वी जिलों में पेय जल का अभाव

*३--- **श्री नरसिंहनारायण पांडेय** (जिला गोरखपुर)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों म कितने ऐसे गांव हैं जिनमें प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के पूर्ण होने के बाद भी अभी स्वच्छ जल के पीने की कोई व्यवस्था न हो सकी ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)---पूर्वी जिलों में १५ जिले सम्मिलित हैं जिनमें कुल ग्रामों की संख्या ५५,५६० है इनमें से विभिन्न जल सम्भरण योजनाओं के अन्तर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक ११६२ ग्रामों में पीने के लिये स्वच्छ जल की व्यवस्था हो गई है । शेष ५४३९८ ग्रामों में इस अवधि तक योजनाओं के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं हुआ ।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय---क्या स्वायत्त शासन मंत्री इस बात को देखते हुये कि ५५ हजार ५ सौ ६० ग्रामों में से केवल १ हजार ६२ ग्रामों में स्वच्छ पानी पीने की योजना अभी तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूर्ण हो सकी है । इसका मतलब है कि केवल लगभग २ प्रतिशत अभी तक पानी पीने की योजना चलाई जा चुकी है । गांवों में जो प्रगति है उस प्रगति को देखते हुये क्या कोई विशेष प्रगति करने की योजना पर मंत्री जी विचार कर रहे हैं जिससे स्वच्छ पानी की समस्या हल हो सके ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---श्रीमन्, जो भी साधन उपलब्ध हैं उसके आधार पर ज्यादा प्रगति करना सम्भव नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---स्वच्छ पीने के लिये जो पानी की व्यवस्था की गयी है उसमें केवल नल जो गड़वाय गये हैं वे ही शामिल हैं या जो बिजली के कुएं हैं उनसे जो पाइप लाइन डाली गयी है वह भी शामिल है और बिजली के कुओं से पाइप लाइन हर गांव में पहुंचाने में क्या दिकक्त है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---मैं प्रश्न समझा नहीं, साफ नहीं है, किन्तु इसमें वे चीजें शामिल हैं जिनको इरीगेशन विभाग वालों को करनी पड़ती हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—इस स्वच्छ पानी के पीने की योजना में कितना रुपया हैंड पाइपों पर खर्च हुआ और कितना कुओं के जरिये व्यवस्था करने पर ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसकी सूचना एकत्रित करनी पड़ेगी ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—कुछ गांवों में स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था की गयी है और कुछ में नहीं, तो जहां यह व्यवस्था की गयी है उन गांवों के चुनाव का आधार क्या रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आधार तो यह है कि जहां पर हमारे सिंचाई विभाग की तरफ से कूप हैं वहीं पर हम यह सुविधा दे सकते हैं । पहाड़ों के लिये दूसरी योजना है । इसके अलावा हर जगह की मांगों के आधार पर हम यह देखते हैं कि किसको प्रायरिटी दें ।

बांदा जिले से खाद्यान्न के निर्यात में कठिनाई

*४—**श्री मतोलासिंह** (जिला बांदा)—क्या सरकार को यह पता है कि बांदा जिला अधिक अन्न उपजाता है और क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिला बांदा विशेषकर अतर्रा मन्डी किस कदर अन्न पूर्वी जिलों, इलाहाबाद, बनारस, देवरिया, गोरखपुर, गाजीपुर तथा बलिया आदि को देता है ? इसके अलावा सूबा बिहार, बंगाल व कलकत्ता तथा बम्बई मद्रास को भी अन्न व तिलहन किस तादाद में देता है, आंकड़े बतायेंगी ?

रसद उप मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—जी हाँ, जिला बांदा की मंडियों से जिनमें अन्तर्रा भी सम्मिलित है पूर्वी जिलों को लगभग ४८,१८० मैट्रिक टन खाद्यान्न प्रतिवर्ष भेजा जाता है इसके अतिरिक्त बिहार, बंगाल व बम्बई तथा मद्रास को भी लगभग १५,००० मैट्रिक टन खाद्यान्न तथा लगभग २,८०० मैट्रिक टन तिलहन हर वर्ष निर्यात होता है ।

*५—**श्री मतोलासिंह**—क्या सरकार को पता है कि बांदा जिले में पक्की सड़कों के अभाव से किसानों को अन्न मन्डियों तक पहुंचाने में रास्तों के खराबी के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—पक्की सड़कों की कमी कुछ हद तक इसके लिये जिम्मेदार है । इस जिले का काफी भाग पहाड़ी तथा नदी व नालों से घिरा हुआ है जिसके कारण आवागमन की असुविधा स्वाभाविक है ।

*६—**श्री मतोलासिंह**—तब क्या वजह है कि बांदा जिले में पक्की सड़कों के बनाने के वास्ते सरकार कम धन खर्च करती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—यह कहना सही नहीं है कि बांदा जिले में पक्की सड़कों के बनाने के वास्ते सरकार कम धन खर्च करती है ।

श्री मतोलासिंह—बांदा जिले के करीब ४० मील लम्बा ऐसा एरिया है जहां पर अधिक धान की पैदावार होती है, किन्तु वहां पर उसको निकालने के लिये कोई सड़क नहीं है । तो सरकार उस इलाके में सड़कें क्यों नहीं बनाती ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—सड़कें बराबर बन रही हैं, और मुझे जहां तक मालूम है करीब ३३ मील पक्की सड़क वहां पर बनाने की योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना में है जो कि और जगह से बहुत काफी है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां के व्यवसायियों को आवागमन या ट्रांसपोर्ट की सुविधा न मिलने से महंगाई बढ़ती जा रही है जिसके कारण पूर्वी जिलों में विषम परिस्थिति उत्पन्न होने जा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—खाद्यान्नों की कीमतें तो घट रही हैं ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी प्रदेश के सभी जिलों में बांदा को भी मिलाकर बिजनौर के साथ उनका अनुपात देखेंगे कि किस अनुपात से सड़कें बनाई गई हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह सवाल अलग से कर लीजिये ।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सस्ते अनाज की दुकानें

*७—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बाढ़-पीड़ित जिलों में सरकार की कितनी सस्ते गल्ले की दूकानें इस समय चल रही हैं और कितनी बढ़ाई जाने वाली हैं ?

श्री बदेवसिंह आर्य—निम्नलिखित बाढ़-पीड़ित जिलों में १०३८ सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें चल रही हैं :

१—बलिया	१८५
२—आजमगढ़	१६७
३—देवरिया	२६०
४—गोरखपुर	२७८
५—बस्ती	६५
६—गोंडा	८३
योग ..	१०३८

शासन ने जिलाधीश को यह अधिकार सौंप रक्खा है कि वे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ा सकते हैं ।

*८—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में बाढ़ एरिया क्षेत्र के अन्तर्गत कितनी सस्ते गल्ले की दूकानें इस समय चल रही हैं और कितनी बाढ़ एरिया के बाहर चल रही हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—बाढ़ एरिया क्षेत्र में एक दूकान चल रही है । ८२ दूकानें बाढ़ एरिया के बाहर चल रही हैं ।

श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—क्या सरकार ऐसा आदेश देने की कृपा करेगी कि बाढ़ एरिया के बाहर की दूकानें उसके अन्तर्गत ही चलाई जावें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जिलाधीशों को अधिकार है कि वे जितनी और जहां आवश्यक समझें दूकानें खोल लें ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार बाढ़ एरिया में दूकानें खुलवाने पर विचार करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यदि माननीय सदस्य सुझावों के साथ कि अमुक स्थानों पर दूकानें खोली जावें लिखकर दें तो हम आदेश दे देंगे ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीशों को जो आदेश दिये गये हैं उनमें मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं कि किन आधारों पर खोली जावें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—बाढ़ क्षेत्र में ज्यादा जरूरत है लेकिन आम तौर पर हमने यह कर रखा है कि जितनी दूकानें चाहें खोल सकते हैं ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी को पता है कि पूरब के कुछ जिलों में, खासकर आजमगढ़ और बलिया में, इन दूकानों से बड़े पैमाने पर चावल का ब्लैक मार्केट हो रहा है औरवह बिहार जाता है जहां महंगे दाम पर बिकता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां। मुझे कुछ लोगों ने ऐसा बतलाया है। इसकी जांच-पड़ताल हम कर रहे हैं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या इस बात की भी खबर है कि अनाज की स्मगलिंग में मुकामी पुलिस अफसरों का भी हाथ रहता है और उसके चैक करने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जब तक जांच न हो जाय यह कहना कठिन है कि किसका हाथ है। कारीडोर एरियाज में माननीय गेंदासिंह जी के कहने से हमने कुछ ढील की थी लेकिन ऐसा है तो अब उस पर कड़ाई की जायगी।

श्री गेंदासिंह—मेरे प्रश्न का मतलब यह नहीं है कि उस पर कड़ाई की जाय। कारीडोर एरिया के बाहर की दूकानों से भी अनाज बाहर चोरी से जाता है जिसमें पुलिस के अफसरों के नीचे वालों का हाथ होता है, तो सरकार इसकी जांच कराने की व्यवस्था करेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—हर तरह की जांच तो हम कराते ही हैं। इसकी भी की जायगी लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसी बात होगी नहीं।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—क्या मंत्री जी को मालूम है कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर खराब से खराब क्वालिटी का गेंहूं मिल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार अच्छी क्वालिटी का गेंहूं सप्लाई कराने की कृपा करेगी?

श्री अध्यक्ष—यह तो दुकानें खोलने का प्रश्न है। आप अलहदा से प्रश्न कर लें।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—बाढ़ एरिया में सस्ता और दूसरे एरियाओं में महंगा अनाज क्यों मिल रहा है? इस असामनता का क्या कारण है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उन पर ३ सेर का गेहूं बेच रहे हैं। यह बाढ़ एरियाओं को सहायता देने के निमित्त किया गया है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि गाजीपुर जिले से शाहाबाद की तरफ धान और चावल अधिक मात्रा में स्मगलिंग किया जा रहा है? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है?

श्री अध्यक्ष—मंत्री जी ने बतलाया कि जांच कराई जा रही है।

श्री काशीनाथ मिश्र—ऐसा भी होता है कि जिलाधीश जिसे दूकान देते हैं उसकी अपील अगर सरकार के पास की जाती है तो सरकार उसे दूकान न देकर अपनी मर्जी से दूसरे को दे देती है। यदि यह सत्य है तो कितनी इस प्रकार सरकार द्वारा दूकानें दी गई?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई।

वन विभाग, जिला रायबरेली की आय

*९—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—क्या सरकार बतायेगी कि रायबरेली जिल के वनों से वन विभाग को कितने रुपयों की आय वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में हुई और इस आय में से कितना रुपया सरकार को वेतन, भत्ता आदि के रूप में तथा पौधों की कीमत के रूप में देना पड़ा?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—रायबरेली जिले के वनों से वन विभाग को वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में कुल आय ३४,९५७ रुपया ५० नये पैसे की हुई।

वेतन, भत्ता और पौधों की कीमत के रूप में उक्त आय में से कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा। किन्तु रायबरेली में वनों की सुरक्षा हेतु निर्धारित बजट में से १४,५७७ रुपया वेतन और भत्ते पर तथा १७,६४९ रुपया पौधों की कीमत पर खर्च हुआ।

श्री रतीपाल—मेरी जानकारी है कि रायबरेली जिले में वन विभाग पौधे जगह व जगह लगवा देता है, सरकार उसमें पैसा लगाती है, जानवर उन पेड़ों को खा जाते हैं और न जाने कितने हजार ऐसे पेड़ पब्लिक ले जाकर अपने आप लगा देती है और वन विभाग के सिपाही उनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो सरकार कोई ऐसी योजना बनावेगी जिसमें जनता का पैसा नाजायज खर्च न हो ?

श्री अलगूराय शास्त्री—प्रश्न में केवल आय और खर्च पूछे गये हैं। पौधों की कोई हानि होती होगी तो उसके संरक्षण का प्रबन्ध किया जायगा। सारा स्टाफ इसी के लिये है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय मंत्रीजी इस बात को देखते हुये कि सन् १९६१-६२ में वेतन और भत्ते में १४,५७७ रुपया खर्च हुआ तथा पौधों की कीमत पर १७,६४९ रुपया खर्च किया गया। इस प्रकार से ३२,२२६ रुपया खर्च किया गया, जबकि आमदनी केवल ३४,९५७.५० रुपया हुई। तो क्या माननीय मंत्री जी ने इसकी जांच कराने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ और ये पौधे क्यों फेंके जा रहे हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री—श्रीमन्, इस तरह से खंड-खंड की आमदनी और खर्चे का कोई सवाल नहीं उठता। बजट में तो कर्मचारियों के वेतन आदि तथा पौधों के लिये रुपया रखा ही जाता है। आज जो पेड़ लगता है वह १५-२० साल में जाकर बड़ा होता है और तब जाकर उससे आमदनी होती है। इसलिये यह खंड-खंड की आमदनी और खर्चे का सवाल पैदा नहीं होता। वैसे यह तो आय देने वाला विभाग है। जहां तक पौधों के जाने की बात है वह मेरी जानकारी में नहीं है, और मेरा विश्वास नहीं है कि ऐसा होता होगा। यह भी जरूरी नहीं है कि किसी खास जगह जितना खर्चा हो उतनी ही आमदनी वहां से उस वर्ष में हो जाय।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि वहां जो पौधे लगाये जा रहे हैं वे किस प्रणाली से लगाये जा रहे हैं ? क्या टांगिया सिस्टम से लागये जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह आप फिर पूछ लीजिये।

इटावा जिले में ईंट के भट्ठे

*१०—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—क्या रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले में कितने प्राइवेट ईंट के भट्ठे चल रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—५३, जिनमें २० को स्थायी तथा ३३ को अस्थायी लाइसेन्स मिला हुआ है।

श्री सहदेवसिंह—क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि किस-किस को कितना-कितना कोयला दिया जा रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री सहदेवसिंह—श्रीमन्, मेरा मूल प्रश्न यही था जो छापा नहीं गया, आपकी अनुज्ञा से वह सूचना मुझे दे दी जाय ?

श्री अध्यक्ष—आप कृपया दूसरा प्रश्न कर लें।

गोंडा दक्षिणी वन विभाग में लाटों के नीलाम का स्थगन

*११—सरदार बलदेवसिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित) तथा श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा दक्षिणी वन विभाग में करीब ७० लाट विक्रय करने की पब्लिसिटी २७/२८ अगस्त, १९६२ को की गई और बाद में बिक्री नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—गोंडा दक्षिणी वन विभाग में करीब ६९ लाट जो सालाना सेल लिस्ट में अन्य लाटों के साथ थे, नीलाम नहीं किये गये थे और उनका नीलाम अरण्यपाल, पूर्वी वृत्त के आदेशानुसार स्थगित कर दिया गया। यह इसलिये किया गया कि इन लाटों के नीलाम के समय तक वर्किंग प्लान में संशोधन की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी थी।

*१२—सरदार बलदेवसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री सुखदेवप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन लाटों के तैयार कराने में सरकार का कितना व्यय हुआ और इस गलती का जिम्मेदार कौन है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—इन लाटों के तैयार कराने में करीब ७५० रुपया खर्च हुआ है। जहां तक लाटों के छपान का प्रश्न है, इसमें कोई गलती नहीं हुई है और वर्किंग प्लान के संशोधन होने पर जब यह लाट नीलाम किये जायेंगे तो कोई अतिरिक्त व्यय न होगा। इस विषय में कोई गलती नहीं हुई है अतएव किसी की जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री सुखदेवप्रसाद—क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि जो यह इतना पैसा बेकार चला गया उसका दोषी कौन है ?

श्री अध्यक्ष—जब किसी की गलती नहीं है तो फिर दोषी कौन हो सकता है।

श्री सुखदेवप्रसाद—जब पब्लिसिटी की गयी तो फिर नीलाम क्यों नहीं किया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—अध्यक्ष महोदय, असल में बात यह है कि ६०० एकड़ प्लान्टेशन करने का आयोजन था और उस प्लान्टेशन के लिये जमीन साफ करनी होती है। जो किया गया और उसके लिये पेड़ों के लाट बनाये गये। लेकिन पिछले साल यह हुआ कि टांगिया सिस्टम से प्लान्टेशन करने की बात तय हुई थी लेकिन जो लोग वहां बसते हैं उन लोगों ने टांगिया प्रथा पर एतराज किया कि यह सिस्टम ठीक नहीं है। उन लोगों के एतराज आने पर कंजरवेटर ने उस लाट का नीलाम करना रोक दिया और उसके बाद फिर उसे रेगुलराइज करने के लिये वर्किंग प्लान की मंजूरी की गयी और उसमें संशोधन करना जरूरी था। संशोधन होकर आने पर फिर उसे दिसम्बर में नीलाम कर दिया जायगा। खर्चा पुराना ही है। पेड़ों के छापने वगैरह पर जो खर्चा होता है वह बदस्तूर रहा, वह तो वैसे भी खर्च होता ही। इसके अलावा और कोई खर्च नहीं हुआ।

कन्नौज नगरपालिका में मकान निर्माण के नक्शे

*१३—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कन्नौज नगरपालिका में ८ महीने की अवधि से अधिक के कितने मकानों के निर्माण के नक्शे विचाराधीन हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—इस प्रकार १०८ नक्शे विचाराधीन हैं।

*१४—श्री जगन्नाथ राव—क्या सरकार बतायेगी कि इन पर कब तक कार्यवाही पूर्ण कर दी जायगी।

श्रीमती तारा अग्रवाल—नगरपालिका कन्नौज ने सूचना दी है कि इन पर यथाशीघ्र ही कार्यवाही होने की आशा की जाती है।

सोरों नगरपालिका में कर्मचारियों का वेतन रुकना

*१५—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बतायेगी कि सोरों नगरपालिका, जिला एटा के विभिन्न ग्रेडों के कर्मचारियों की तनख्वाह कितने दिनों से नहीं दी गई है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—१६ कर्मचारियों की एक माह, ३३ कर्मचारियों की दो माह, २४ कर्मचारियों की तीन माह, १४ कर्मचारियों की चार माह, ३१ कर्मचारियों की पांच माह और ८१ कर्मचारियों की छः माह की तनख्वाह नहीं दी गई है । केवल एक कर्मचारी ऐसा है जिसका कोई वेतन नगलपालिका पर बाकी नहीं है । यह अवस्था अक्तूबर तक की है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिनका वेतन बाकी नहीं है वे किस ग्रेड के कर्मचारी हैं, १६ कर्मचारी जिनका वेतन एक महीने का बाकी ह, वे किस ग्रेड के हैं और ३१ व ८१ जिनका ५ व ६ महीने का वेतन बाकी है, वे किस ग्रेड के कर्मचारी हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—वे भिन्न-भिन्न तरह के हैं । कुछ मुख्य कार्यालय के हैं, कुछ रोशनी वाले हैं, कुछ माली कुछ ओवरसियर्स हैं, कुछ चौकीदार हैं, इस तरह से सब किसी एक ग्रेड के न होकर अलग-अलग ग्रेड के हैं ।

श्री अध्यक्ष—जिन कर्मचारियों का एक मास का वेतन बाकी है वे किस ग्रेड के ह ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—एक्जीक्यूटिव आफिसर हैं, इसके अलावा एक मास बाकी वाले में अर्दली व चपरासियों में एक आदमी हैं, शिक्षा क्लर्क का एक मास का बाकी है, इस तरह से आक्टराय के एक चपरासी का एक मास का बाकी है, प्राइमरी पाठशालाओं के सहायक अध्यापकों में ५ आदमियों का एक मास का बाकी है, और प्राइमरी स्कूल व जूनियर हाईस्कूल के एक नौकर का एक मास का वेतन बाकी है । इस तरह से अलग-अलग कैटेगरी के कर्मचारी हैं ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—जिनका बाकी नहीं है वे किस ग्रेड के कर्मचारी हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उनका नाम तो इसमें दिया हुआ नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से वही होंगे जो पेमेंट करते होंगे ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—इस बात को देखते हुए क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि वह उस नगरपालिका को जब्त कर ले ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, नगरपालिका की आय कुछ कारणों से घट गई थी, अब चुंगी की दरों का प्रस्ताव आया है और उन पर विचार हो रहा है, उनके अनुसार जब आय बढ़ जायगी तो शायद वह दे सकेंगे ।

श्री रघुनाथसिंह—यदि नगरपालिका की आय घट गई है तो सारे कर्मचारियों का एक ही सा क्यों बाकी नहीं है ? यह क्या कि किसी अर्दली को मिल गया, कुछ अध्यापकों को नहीं मिला, इस भेदभाव का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो म्युनिसिपैलिटी ही बता सकती है ।

श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब सोरों म्युनिसिपैलिटी की आय मेले से ही १६–१७ हजार रुपए की होती है, तो क्या कारण है कि वेतन तक नहीं दिया जाता ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ऐसा है कि मेला पिछले साल हल्का लगा और आय कम हुई ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या मंत्री जी अब सोरों नगरपालिका को कोई आदेश ऐसा देंगे कि जिसके मातहत उन कर्मचारियों का वेतन जो बकाया है वह दिया जा सके ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैंने निवेदन किया कि उनका प्रस्ताव आय को बढ़ाने का आया है, वह लागू हो जायगा तो वह यह वेतन दे सकेंगे ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—सोरों नगरपालिका पर कोई कर्ज है कि वह अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाई है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैं प्रश्न को समझा नहीं, टोटल मुझे मालूम नहीं है।

चेयरमैन, नगरपालिका, हसनपुर के विरुद्ध शिकायत

*१६—श्री शराफतहुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतायेंगे कि चेयरमैन, नगरपालिका, हसनपुर, जिला मुरादाबाद के विरुद्ध पब्लिक या मेम्बरान बोर्ड की ओर से कोई शिकायत-पत्र इस सम्बन्ध में मिला है कि चेयरमैन महोदय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके बोर्ड के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं? यदि हाँ, तो सरकार ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी हां। चेयरमैन, नगरपालिका, हसनपुर के विरुद्ध नगरपालिका के कुछ सदस्यों की ओर से कुछ शिकायतें इस प्रकार की प्राप्त हुई हैं कि चेयरमैन ने अपने अधिकारों तथा बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया है। इन शिकायतों की पूर्ण जांच परगनाधीश, हसनपुर द्वारा कराई गई जिससे स्पष्ट हुआ कि चेयरमैन के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होता।

*१७—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह भी बतायेंगे कि क्या यह सच है कि चेयरमैन महोदय ने ४ सितम्बर को बोर्ड की मीटिंग की कार्यवाही पर कुछ मेम्बरान बोर्ड के जाली दस्तखत कराये हैं? यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार के पास कुछ शिकायतें आई हैं और उस पर क्या कार्यवाही हुई है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी नहीं। दिनांक ४ सितम्बर, १९६२ की बोर्ड की मासिक सभा क संबंध में ८ मेम्बरान की ओर से एक शिकायती पत्र मिला तो था, परन्तु उस पत्र में सदस्यों के जाली हस्ताक्षर कराये जाने की कोई शिकायत नहीं है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या यह सही है कि पिछले तीन-चार महीनों में हसनपुर के चेयरमैन ने दो एक्जीक्यूटिव अफसरों को अपने अधिकारों का प्रयोग करके बरखास्त कर दिया है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसके लिए सूचना की जरूरत होगी।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह शिकायतें उनके पास आई हैं हनसपुर नगरपालिका के सम्बन्ध में उनकी जांच हसनपुर के हाकिम परगना से कराई गई है तो क्या वजह है कि उन्होंने उन संगीन आरोपों के सम्बन्ध में ठीक रिपोर्ट नहीं दी? क्या मंत्री जी इन आरोपों की जांच किसी अन्य अफसर से करावेंगे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—डेफिनिट लिख कर देंगे तो अवश्य करायेंगे।

श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मेम्बरों के जो शिकायती पत्र आये हैं उनमें क्या इसका जिक्र नहीं है कि उनसे जाली दस्तखत कराये गये? यदि नहीं, तो उसमें क्या शिकायत है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—बोर्ड को कागजात न दिये जायं और उनकी जांच कराई जाय, और कोई खास बात इसमें नहीं है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—जिन मेम्बरों ने नगर प्रमुख की शिकायत की है वह क्या है, मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—आपने जो प्रश्न किया है वह यह है कि————————कोई शिकायती पत्र इस सम्बन्ध में मिला है कि चेयरमैन महोदय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके बोर्ड के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं ? उनका उत्तर दे दिया। अब और कोई शिकायत है उसके सम्बन्ध में आपने पूछा नहीं। इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता।

वन विभाग द्वारा मवेशी कांजी हाउस में बन्द कराना

*१८—श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जब कोई मवेशी जंगल से कांजी हाउस में बन्द होता है तो मालिक मवेशी को पहले जंगल-दफ्तर में एक बयान लिखाना पड़ता है और उसको ऐसे कम्पेंसेशन देने का वादा करना पड़ता है जिसकी धनराशि जंगल वाले नियत करें उसके बाद उसको पौन्ड कीपर के नाम एक परचा दिया जाता है तब वह अपने जानवर पौंड का जुर्माना व खुराक देकर छुड़ा सकता है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी हां।

*१९—श्री मुन्नूसिंह (अनुपस्थित)—[हटा दिया गया।]

*२०— श्री मुन्नू सिंह (अनुपस्थित)—इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये तथा जनता की गरीबी को ध्यान में रखते हुये क्या वन मंत्री इस कम्पेन्सेशन को तथा पौंड कीपर के नाम परचा भेजने की प्रथा को अविलम्ब समाप्त करने का आदेश जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी नहीं। नये प्लाटेंशनों और वन के अन्तर्गत छोटे-छोटे पौधों के बढ़ते हुये नुकसान को ध्यान में रखते हुये वर्तमान नियम में संशोधन करना उचित नहीं है।

आटा के भाव में वृद्धि

*२१—श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) (अनुपस्थित) तथा श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १७ मई, १९६२ के एक जी० ओ० द्वारा (होल मिल) आटा का भाव चार आना प्रति मन सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर बढ़ा दिया गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—१७ मई, सन् १९६२ के जी० ओ० के द्वारा होल मिल का आटा का भाव मिल टाउन्स में २ कि० ३०५ ग्राम प्रति पया से २ कि० २७५ ग्राम प्रति रुपया कर दिया गया। अर्थात् भाव लगभग २१ नये पैसे प्रति मन बढ़ गया।

*२२—श्री जमादारसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री ऊदल—क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि मिल वालों को ५ फीसदी मैदा निकाल कर रिजन्टेंट आटा बनाना चाहिये उसकी जगह ५० परसेंट निकाल देते हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—मिलों पर इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

*२३—श्री जमादार सिंह (अनुपस्थित) तथा श्री ऊदल—क्या सरकार बतायेगी कि मिल वाले ३४ नया पैसा कुंटल चुंगी व १ रुपया गेहूं टेक्स आटे पर ले रहे हैं जो पहले नहीं लिया जाता था ? यदि हां, तो क्या अन्नपूर्णा मिल्स वाराणसी ने ३० जुलाई, १९६२ को श्री अमीन स्पेशल आटा शाप से कैशमेमों नं० ७१३, चालान नं० २१९४ द्वारा लिया और उसके खिलाफ ३० अगस्त, १९६२ को ए० आर० ओ०, वाराणसी को दरख्वास्त दी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—केन्द्रीय सरकार द्वारा जो गेहूं मिलों को बेचा जाता है उस पर १-५-६२ से १ प्रतिशत (न कि १ रु०) सेल्स टैक्स लगता है यह टैक्स मिलें आटा इत्यादि की बिक्री पर ग्राहक से ले सकती हैं जो पहिले नहीं लिया जाता था। परन्तु गेहूं पर दी गई चुंगी पहले भी ली जाती थी। कैशमीमों नं० १७३ में ३४ न० पै० प्रति कुंटल चुंगी तथा १ प्रतिशत गेहूं टैक्स लिया गया है। श्री अमीन स्पेशल आटा शाप ने इसके विरुद्ध ए० आर० ओ० को दरख्वास्त दी है।

श्री ऊदल--जो दरख्वास्त ए० आर० ओ० को दी गई उसकी जांच किससे करायी गई है और उसका क्या नतीजा रहा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--ए० आर० ओ० को दी गई है, सरकार को नहीं दी। ए० आर० ओ० टाउन में होता है वहां से हमने पता नहीं चलाया अभी तक। वही कर रहे होंगे।

श्री ऊदल--मंत्री जी को जानकारी है कि जो २१ नये पैसे बढ़ाये गये उसकी जगह पर जो कैश मीनो काटा है उसमें २५ नये पैसे लिये गये और १ रुपया जो आपका कहना है कि सेल्स टैक्स की जगह चुंगी का ले लिया गया, इस तरह की शिकायत है। तो मंत्री जी जांच करायेंगे कि जो इस तरह से हो रहा है उसको रोका जा सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां, कैशमीमो से ऐसा मालूम होता है कि ३ परसेंट सेल्स टैक्स अधिक लिया, दो नये पैसे जो चार्ज किये उसका विवरण कैशमीमों में नहीं है इसलिये जांच करानी पड़ेगी तो पैसे काहे के लिये।

श्री भीखालाल--मंत्री जी ने बताया ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं है, आटा तैयार करने में मिलें कितना मैदा निकाल सकती हैं। तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस समय कितना परसेंट मैदा निकालने के बाद आटा तैयार किया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जब तक मिलों पर हमारा कंट्रोल था तब तक परसेंटेज हम निश्चित करते थे। मगर अब चूंकि वह केन्द्रीय सरकार के अन्दर हैं उनको छूट है वे जितना चाहें निकालें। हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते।

श्री ऊदल--जो अन्नपूर्णा मिल है जिसको लाइसेंस सरकार ने दिया है इसकी तो विशेष रूप से शिकायत है क्योंकि शिकायत बहुत अहम है और इस तरह की कार्यवाही सभी आटा मिलें कर रही हैं, तो क्या प्रदेश के पैमाने पर मंत्री जी इसकी छानबीन करायेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मैंने कहा २ पैसे की बाबत जानकारी कराऊंगा और अगर कोई बात होगी तो केन्द्रीय सरकार से शिकायत करेंगे उसकी।

भारतीय कत्था उद्योग सहकारी समिति, कोठा

*२४--**श्री विष्णुप्रतापसिंह** (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के जो भारतीय कत्था उद्योग सहकारी समिति लि०, कोठा में कायम हुई है उसे कत्थे के दरख्त शिड्यूल रेट पर दिये जा रहे हैं या नहीं ? सरकार इस समिति को कायम रखने के लिये क्या उपाय सोच रही है जबकि सरकार स्वयं सहकारी समितियों पर विशेष जोर दे रही है ?

श्री अलगूराय शास्त्री--जी नहीं। सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार समिति को निजी समझौते द्वारा खैर के पेड़ शिड्यूल रेट पर नहीं दिये जा सकते। इसलिये जहां तक पेड़ों के दिये जाने का सम्बन्ध है इस समिति को सरकार द्वारा कायम रखने का प्रश्न नहीं उठता।

*२५--**विष्णुप्रताप सिंह** (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के ८ फारेस्ट डिवीजनों में पूंजीपतियों या ठेकेदारों द्वारा आम बोली में खरीदे गये कत्थे के दरख्तों की कितनी ही जड़ें बेकार पड़ी सड़ रही हैं, तो क्या सरकार इस भारतीय कत्था उद्योग सहकारी समिति लि०, कोठा से इन जड़ों के द्वारा भी कुछ फायदा हो तो क्या उसे देने पर विचार करेगी ?

श्री अलग राय शास्त्री--वन विभाग के केवल ८ डिवीजनों में ही नहीं बल्कि १५ या १६ डिवीजनों में कत्थे के पेड़ खुले नीलाम में ठेकेदारों को बेचे जाते हैं। ठेकेदारों द्वारा छोड़ी हुई जड़ों का बेचा जाना वन रक्षा की दृष्टिकोण से हितकर न होगा। इसलिये समिति को जड़ों का दिया जाना उचित नहीं है।

नगरपालिकाओं में सर्विस बुक

*२६—**श्री विश्वनाथप्रसाद** (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी कि जिनके कारण नगरपालिकाओं में अभी तक सर्विस बुक बनाकर तैयार नहीं की जा सकी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अधिकांश नगरपालिकाओं में सर्विस बुक तैयार की जा चुकी है ?

सेमरियावां ब्लाक में टिन शीट का वितरण

*२७—**श्री सोहनलाल धुसिया** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के सेमरियावां ब्लाक में १९६१-६२ में ब्लाक द्वारा कितना टिन शीट किन-किन लोगों को परमिट से दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८२७ पर)

गाजीपुर जिले में टाउन एरिया कर्मचारियों का वेतन

*२८—**श्री कमलासिंह यादव**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर की टाउन एरियाज और नोटीफाइड एरियाज के कर्मचारियों का वेतन टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया की आमदनी ५,००० रु० से ऊपर होने पर भी निर्धारित वेतन-क्रम के अनुसार नहीं दिया जाता ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—इस जिले में कोई भी नोटीफाइड एरिया नहीं है। यहां पांच टाउन एरियाओं में से टाउन एरिया बहादुरगंज की आय ५ हजार रुपये से कम है। सभी एरियाओं के कर्मचारियों को उनकी निर्धारित श्रेणी के अनुसार वेतन-क्रम दिया जाता है।

श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो चार टाउन एरियाज हैं उनकी आमदनी क्या है और किस ग्रेड में वे रखे गये हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—मुहम्मदाबाद की आमदनी १७,२४५ रु० है और छठी श्रेणी है। जमानिया की आमदनी १७,१३० रु० है और आमदनी छठी श्रेणी है। सैदपुर की आमदनी १९,१३१ रु० है और छठी श्रेणी है। बहादुरगंज की आमदनी २,४४७ रु० है और ७वीं श्रेणी है ।

श्री कमलासिंह यादव—१९४८ में जो ग्रेडेशन लिस्ट टाउन एरियाज की बनाई गयी थी उसके मुताबिक १५ हजार के ऊपर की आमदनी के टाउन एरियाज की ५वीं श्रेणी होनी चाहिये लेकिन छठवें ग्रेड में रखा गया है ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—यह तो मालूम है लेकिन ग्रेड को बदलने का इनिशियेटिव टाउन एरियाज की तरफ से आता है। वह नहीं आता है तो सरकार कुछ नहीं करती है ।

श्री कमला सिंह यादव—टाउन एरियाज का जो निर्धारित ग्रेड है उसके मुताबिक पालन करवाने के लिये नियमों का क्या विचार कर रही है और किस तरीके से सरकार इसको कार्यान्वित करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—किस नियम को ?

श्री कमलासिंह यादव—जो ग्रेड है उसके मुताबिक वेतन-क्रम जो नहीं दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष---आपका मतलब है कि सरकार स्वयं क्यों इनिशियेटिव नहीं लेती है ?

श्री कमला सिंह यादव---जी हां ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---इन संस्थाओं को हम ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता देते हैं इसलिये इनिशियेटिव नहीं लेते हैं ।

श्री कल्पनार्थसिंह---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि विभिन्न टाउन एरियाज में विभिन्न प्रकार के ग्रेड हैं जो एक ही प्रकार के काम करने वालों को दिये जाते हैं । तो इस बिलगाव की नीति को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री अध्यक्ष---यह इससे संबंधित नहीं है ।

श्री कल्पनार्थसिंह---विभिन्न प्रकार की तनख्वाहें इन कर्मचारियों को दी जाती हैं मूल प्रश्न यही है ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि जिला गाजीपुर की टाउन एरिया और नोटीफाइड एरियाज के कर्मचारियों का वेतन टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया की आमदनी ५,००० रुपये से ऊपर होने पर भी निर्धारित वेतन-क्रम के अनुसार नहीं दिया जाता ? उत्तर यह है "इस जिले में कोई भी नोटिफाइड एरिया नहीं है । यहां के ५ टाउन एरियाओ में से टाउन एरिया बहादुरगंज की आय ५,००० रुपये से कम है । सभी टाउन एरियाओं के कर्मचारियों को उनके निर्धारित श्रेणी के अनुसार वेतन-क्रम दिया जाता है ।"

श्री कल्पनार्थसिंह---निर्धारित वेतन-क्रम जो है वह टाउन एरिया के अलग-अलग ग्रेड पर है । सरकार टाउन एरियाज का ग्रेड उसकी आमदनी के आधार पर रखती है वह ठीक है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि ग्रेडेशन आप भले ही रखें लेकिन एक ही तरह का काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन-क्रम में जो बिलगाव है तो वह बिलगाव क्यों रखा जाता है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---ग्रेड जब बदल जाता है तो वेतन भी बदल जाता है ।

श्री अध्यक्ष---उन का प्रश्न यह है कि टाउन एरियाज के मुख्तलिफ ग्रेड होते हैं लेकिन कर्मचारियों का काम एक ही प्रकार का होता है । तो उनके वेतन में अलगाव क्यों रखा जाता है ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, ऐसा सारे संसार में है कि पे करने वाले की कैपेसिटी के अनुसार तनख्वाह दी जाती है । सेंट्रल गवर्नमेंट का वेतन और हमारी गवर्नमेंट का वेतन, हमारा वेतन और म्युनिसिपैलिटीज का वेतन, बड़ी म्युनिसिपैलिटी का वेतन और छोटी म्युनिसिपैलिटी का वेतन, इन सब में अन्तर है ।

फर्रुखाबाद जिले में ईंट के भट्ठों को कोयला

*२९---**श्री दयाराम शाक्य** (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में कितने भट्ठों को कोयला दिया जाता है और उसमें कितना रोड कोल और कितना रेल कोल होता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---फर्रुखाबाद जिले के ३४ स्वीकृत (approved) ईंट भट्ठों को ईंट पकाने के लिये कोयला दिया जाता है । इनको जनवरी, १,१९६१ से ३० सितम्बर, १९६२ तक २४० वैगन कोयला रेल द्वारा प्राप्त हुआ । इनमें से २ भट्ठे वाले २ वेगन कोयला सड़क से भी लाये ।

इनके अतिरिक्त १८ अस्थायी भट्ठे हैं जो उपरोक्त समय में ७० वैगन कोयला सड़क द्वारा लाये । इसके अतिरिक्त १२० वैगन कोयला रेल एवं रोड द्वारा बरौनी से भी आया ।

*३०—**श्री दयाराम शाक्य**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि रोड कोल से पकी हुई कितनी ईंटों के परमिट तथा रेल से पकी हुई कितनी ईंटों के परमिट फर्रुखाबाद जिले की जनता को द्वितीय वर्ष १९६१-६२ में दिये गये ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में फर्रुखाबाद की जनता को १,७४,६३,७४२ रेल कोल द्वारा पकी हुई ईंटें, तथा ५२,६७,६९६ रोड कोल द्वारा पकी हुई ईंटों के परमिट वितरण किये गये ।

श्री दयाराम शाक्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रेल और रोड द्वारा कोयला लाने में प्रति टन कितना अन्तर पड़ता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कोयले का तो नहीं लेकिन ईंट की जो कीमत निर्धारित की जाती है वह मैं बता दूं। जो केवल रेल ट्रांसपोर्ट वाले कोयले से बनती है उनमें फर्स्ट क्लास का दाम ३० रुपये, सेकेंड क्लास का २४ रुपये और थर्ड क्लास का १६ रुपये प्रति हजार होता है और जो केवल रोड ट्रांसपोर्ट के कोयले से बनती है उनमें फर्स्ट क्लास का दाम ४० रुपये, सेकेंड क्लास का ३६ रुपये और थर्ड क्लास का ३४ रुपये प्रति हजार होता है।

श्री दयाराम शाक्य—ईंटों के रेट्स किस आधार पर निश्चित किये गये हैं जब सरकार को यह पता ही नहीं कि खर्चे में कितना अन्तर पड़ता है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—रेल से जो कोयला आता है उसका भाड़ा कम पड़ता है और मोटर से जो आता है उसका भाड़ा ज्यादा पड़ता है। उसी हिसाब से उन्होंने बना कर हमारे पास भेजा है। अगर आप यह जानना चाहें कि रेल और मोटर में कितना अन्तर है तो डिटेल में पूछ लीजिये।

श्री दयाराम शाक्य—जो परमिट्स इश्यू होते हैं क्या उन परमिट्स में रोड कोल की ईंट अथवा रेल कोल की ईंट दी जाय, ऐसा कुछ लिखा रहता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—पब्लिक संस्थाओं को सस्ती वाली ईंट देते हैं और प्राइवेट लोगों को महंगी वाली देते हैं।

श्री अध्यक्ष—यह स्पष्ट नहीं हो सका। जो व्यक्ति परमिट लेने आता है उसमें क्या यह डायरेक्शन रहता है कि यह रोड से मंगायें या रेल से मंगायें, क्या कोई उनके ऊपर पाबन्दी रहती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उसमें यह है कि रेलों का तो कोटा फिक्स्ड है। वह तो डी० एम० के नाम पर आता है और भट्ठे वालों को बांट दिया जाता है। रोड के लिये जो अपनी जिम्मेदारी पर लाना चाहें उनको अलग परमिट मिलता है।

श्री दयाराम शाक्य—मेरा प्रश्न दूसरा है। जिन व्यक्तियों को ईंट के परमिट दिये जाते हैं क्या उनमें रेल कोल की ईंट या रोड कोल की ईंट, ऐसा कुछ लिखा रहता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अवश्य लिखा रहता होगा।

श्री दयाराम शाक्य—जहां तक मेरी जानकारी है किसी परमिट में ऐसा नहीं लिखा होता है। क्या इस विषय में माननीय मंत्री जी जानकारी प्राप्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—इसमें आपका प्वाइंट क्या है। जो रेल से कोयला आता है वह स्टाकिस्ट को दे दिया जाता है और जो अलग से लाना चाहते हैं उनको परमिट दे दिया जाता है।

श्री दयाराम शाक्य—ऐसा है श्रीमन्, कि खरीदने वाले को रोड रेट पर ही ईंट दी जाती है। उसका भाव ४० पये हजार होता है और परमिट में यह नहीं लिखा होता है कि रेल कोल वाली ईंट का है या रोड कोल वाली ईंट का है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जो बात आपने पूछी है कि किस भट्टे वाले के पास कितने किस्म की ईंट है यह रिकार्ड तो सप्लाई आफिसर के पास होगा नहीं। पहले उसको यह जानकारी प्राप्त करनी होगी कि किस किस्म की ईंट किस भट्टे वाले के पास है। यह तो उसी के हित में है कि जिस किस्म की ईंट उपलब्ध होगी वह उसको मिल जायगी। अगर आपकी कोई दूसरी मांग हो तो लिखकर दे दीजिये।

श्री दयाराम शाक्य---श्रीमन्, जो परमिट इश्यू होता है उसकी डुप्लीकेट कापी आफिस में रहती है उससे यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष---इसको आप अलग से पूछ लीजिये।

सहारनपुर नगरपालिका को ऋण

*३१---**श्री ब्रह्मदत्त मायर** (जिला सहारनपुर)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि सरकार ने नगरपालिका, सहारनपुर को वित्तीय वर्ष १९५८-५९, १९५९-१९६०, १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में कितना-कितना धन प्रति वर्ष किस-किस कार्य के लिये कर्ज तथा अनुदान के रूप में दिया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---वांछित सूचना संलग्न तालिका 'क' तथा 'ख' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९२८-९२९ पर)

श्री ब्रह्मदत्त मायर---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो धनराशि सूची (क) में पहले नम्बर पर दी हुई है वह सात लाख के करीब है तो इन चार वर्षों में उसका उपयोग किस तरह से किया गया है जब कि भंगियों को जिनके मुताल्लिक आदेश था कि महंगाई भत्ता दिया जाय, वह आज तक नगरपालिका ने दिया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---नत्थी (क) के आइटम (१) के बारे में हमारी सूचना यह है कि उनको दे दिया गया है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---श्रीमन्, मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष---मेरी एक बात सुन लीजिये। चार सालों के लिये आपने प्रश्न किया है कि कितना-कितना धन प्रति वर्ष किस-किस कार्य के लिये कर्ज तथा अनुदान के रूप में दिया गया। यह बड़ा लम्बा प्रश्न है। आपको सूचना मिल गई। अब मेरा कहना यह था कि इन प्रश्नों को आप लिखित रूप से एक-एक आइटम के लिये कर लीजिये तो अच्छा होगा। वैसे आप किसी खास आइटम के लिये पूछना चाहें तो पूछ लीजिये।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी यह है कि क्लास फोर्थ के भंगियों को बढ़ोत्तरी का भत्ता नहीं दिया गया है बल्कि उसके लिये १६,१७ तथा १८ सितम्बर को हड़ताल हुई थी, उसमें सिटी मजिस्ट्रेट आरबीट्रेटर मुकर्रर किये गये थे। उन्होंने भी देने का फैसला किया, लेकिन नहीं दिया गया।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, मेरी जानकारी यह है कि क्रम संख्या (१) में अनुदान तनख्वाह के बिल के साथ ड्रा होता है अतएव वह ड्रा हो गया है। अगर नहीं दिया गया तो लिखकर दें। मैं डी०एम० की मार्फत इंक्वायरी करा लूंगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---इसी सूची के नम्बर ७ पर करीब डेढ़ लाख रुपया १९६०-६१ में सहारनपुर नगरपालिका को हरिजन क्वार्टरों के लिये दिया गया था।

उसके बाद इसी साल में एक लाख रुपया बाल्मीकि कालोनी बनाने के लिये नगरपालिका को दिया गया और इसके अलावा और रकम दी गयी लो पेड स्टाफ के क्वार्टर्स बनाने के लिये। लो पेड क्वार्टर्स जो बने हैं उनमें भी बड़ी गड़बड़ी है और बिना नगरपालिका की मंजूरी के पौने

दो लाख रुपया के करीब खर्च हो गया और जो रुपया बाल्मीकि कालोनी के लिये दिया गया था यह रुपया आज तक वहां पर खर्च नहीं किया गया है। क्या सरकार इस बात की जांच करवायेगी कि वह रुपया कहां गया ?

श्री अध्यक्ष—जो भी प्रश्न आप करेंगे उसका उत्तर यही मिलेगा कि स्पेसिफिक आप लिख कर भेजिये तो उत्तर दूंगा, वह आप लिख कर पूछ लीजिये।

फारेस्टरों की नियुक्ति

*३२—**श्री रतीपाल**—क्या सरकार को ज्ञात है कि नवम्बर, १९५४ में वन विभाग द्वारा भूमि प्रबन्धक वृत में कोई परीक्षा फारेस्टरों के चुनाव हेतु हुई थी? यदि हां, तो उसमें कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये थे और कितने वेटिंग लिस्ट में भविष्य की नियुक्ति हेतु रखे गये थे?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—जी हां।

केवल ८ अभ्यर्थियों को चुना गया और उन्हें फारेस्टरों के पद पर नियुक्त किया गया था। भविष्य की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की कोई वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई गई थी।

*३३—**श्री रतीपाल**—परीक्षा के फलस्वरूप बनी हुई लिस्ट से अब तक कितने उम्मीदवारों की नियुक्ति हुई है और कितनों की नहीं?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—प्रश्न नहीं उठता।

*३४—**श्री रतीपाल**—क्या यह सत्य है कि उस सूची में से अब तक बहुत सी नियुक्तियां नहीं हुईं जब कि कई स्थान तब से रिक्त हो चुके हैं?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—प्रश्न नहीं उठता।

श्री रतीपाल—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन फारेस्टगार्डों के चुनाव के लिये कितने व्यक्ति इंटरव्यू के लिये बुलाये गये थे और कितने व्यक्ति लिये गये?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—इसकी सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो आठ अभ्यर्थी फारेस्ट गार्ड के पद पर नियुक्त किये गये थे, उसमें कुल कितने अभ्यर्थियों को कार्ड इश्यू हुये थे और कितनी जगहें खाली थीं?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—इसकी सूचना की आवश्यकता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—तो श्रीमन्, इसको स्थगित कर दिया जाय। बिना सूचना के जवाब ही अधूरा है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह था कि कोई परीक्षा हुई थी। उसमें पूछा है कि कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये थे और कितने वेटिंग लिस्ट में भविष्य की नियुक्ति हेतु रखे गये? अब कितने आये थे, और कितनों को लिया गया और क्यों नहीं लिया गया, यह आप अलग से पूछ लीजिये।

नवानगर-पनदह तथा मनियर ब्लाक में सस्ते गल्ले की दुकानें

*३५—**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिला अन्तर्गत बाढ़ तथा अतिवृष्टि से पीड़ित ब्लाक नवानगर-पनदह तथा मनियर ब्लाक में सस्ते गल्ले की कितनी दुकानें चल रही हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इन स्थानों में सस्ते गल्ले की दुकानों की संख्या निम्नांकित है:—

नवानगर	..	२१
पनदह	..	१०
मनियर	..	१७
योग		४८

*३६—श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ब्लाकों में कितनी दुकानें नई तथा किन-किन गांवों में खोली गई हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—वांछित सूचना निम्नांकित है:—

क्षेत्र (ब्लाक)		ग्राम	नई दुकानों की संख्या
नवानगर	..	जजौली	१
		सिसोटार	२
		गोसाईपुर	१
पनदह	..	गढ़मलपुर	१
		पकड़ी	१
मनियर	..	निपनियां	१
		मनियर	१
		मानिकपुर	१
		हथौज	२

मेरठ व मुजफ्फरनगर जिलों में न चलने वाले भट्ठे

*३७—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित), श्री जमादारसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बतायेगी कि मेरठ और मुजफ्फरनगर भट्ठों के लाइसेंसदारों को कोयले का कोटा बराबर मिलता है और जिन लोगों के भट्ठे नहीं चलते, सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ? और इस प्रकार के कितने और कौन-कौन व्यक्ति हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जो कोयला प्रत्येक जिले में आता है वह भट्ठे के लाइसेंसदारों को संबंधित क्षेत्र की आवश्यकतानुसार तथा बारी-बारी से बांट दिया जाता है। जो भट्ठे मेरठ और मुजफ्फरनगर में नहीं चल रहे हैं उनके लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं किया गया है। न चलने वाले भट्ठों की संख्या ३० है। इनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९३० पर)

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो भट्ठे बहुत दिन से बंद है लेकिन कोयला लेते रहे, और अब सरकार कह रही है कि नवीनीकरण नहीं होगा, तो जब भट्ठे बंद थे और कोयला उन्होंने लिया तो उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---कुछ तो ऐसे नहीं चले कि उनको कोयला ही नहीं मिला क्योंकि कोयले की कमी थी। बाकी जांच हो रही है। सस्पेंडेड हैं। पूरी जांच-पड़ताल के बाद पता चलेगा।

धनौरा मंडी में कोल डिपो न होना

*३८---श्री शराफतहुसैन रिजवी---क्या खाद्य मंत्री यह बतायेंगे कि मंडी धनौरा, जिला मुरादाबाद को कोयले का कितना वार्षिक कोटा दिया जाता है और कोल डिपो का लाइसेंस किस व्यक्ति के नाम है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---वार्षिक कोटे का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि मंडी, धनौरा में कोल डिपो का कोई लाइसेंसी नहीं है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि कोल डिपो को कोयला दिया नहीं जाता है तो क्या किसी दूसरे तरीके से कोयला मंडी, धनौरा को दिया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---गजरौला यहां से आठ मील की दूरी पर है। वहां पर एक कोल डिपो है। वहां से ये लोग कोयला ले सकते हैं।

श्री शराफतहुसैन रिजवी---यह धनौरा वहां से ८ मील है और उन लोगों को काफी तकलीफ होती है वहां से कोयला लाने में, इसके अलावा मन्डी, धनौरा खुद एक बहुत बड़ी बस्ती ह, तो क्या वजह है कि जब बार-बार उन्होंने उसके लिये प्रार्थना-पत्र भेजे, तब भी अब तक उन्हें कोल डिपो क्यों नहीं दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---हम तो यह चाहते हैं कि गांव-गांव में कोल डिपो खुल जाय लेकिन उसकी उपलब्धि भी तो हो।

देवरिया जेल में सुधार के लिये सुझाव

*३९---श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि हाल ही में देवरिया जेल का निरीक्षण करते समय देवरिया के विधायकों ने देवरिया जेल में निम्न सुधार करने के सुझाव दिये हैं। यदि हां, तो सरकार ने कौन-सी कार्यवाही की है:---

(अ) एक आटे की चक्की,
(ब) एक रेडियो सेट,
(स) बिजली,
(द) एक ट्यूबवेल जेल भूमि पर ?

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---जी हां। जेल में बिजली लगने में जो खर्च होगा उसका तखमीना सार्वजनिक निर्माण विभाग से मांगा गया है और उसके प्राप्त होने पर बिजली लगने के प्रश्न पर विचार किया जायगा। जब यह निश्चय हो जायेगा कि इस जेल में बिजली लगनी चाहिये तभी ट्यूबवेल और चक्की लगने के संबंध में भी विचार किया जायेगा। रेडियो सेट प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है।

निघासन तहसील में वन विभाग की आय

*४०---श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)---क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५९-६०, १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में तहसील निघासन (खीरी) से वन विभाग को कुल कितनी आमदनी हुई ?

नोट---तारांकित प्रश्न ३८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री अलगूराय शास्त्री—तहसील निवासन (खीरी) से वन विभाग को इन वित्तीय वर्षों में निम्नलिखित आमदनी हुई है :—

	रु०
१९५९–६०	२७,०९,६१४
१९६०–६१	२९,३६,१५४
१९६१–६२	२७,९७,२०५
कुल ..	८४,४२,९७३

अध्यक्ष नगरपालिका गोरखपुर के विरुद्ध जांच

*४१—**श्री ऊदल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ४ सितम्बर, १९६२ को जिलाधीश गोरखपुर को सर्वश्री रमाकांत, एस०एन० त्रिपाठी और नानक प्रसाद चौधरी के हस्ताक्षर से किसी प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि मिली है जिसमें कहा गया है कि नगरपालिका गोरखपुर के अध्यक्ष के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच अतिरिक्त जिलाधीश गोरखपुर ठीक से नहीं कर रहे हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। जिलाधीश ने सूचित किया है कि शिकायत की भली-भांति जांच की गई तथा उसे निर्मूल पाया गया।

साखू, शीशम, सागौन का भाव तथा नवीन वन खंड

*४२—**श्री नियामतुल्ला अन्सारी** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि साखू, शीशम और सागौन का शिड्यूल्ड रेट गोरखपुर, गोंडा और बहराइच वन-खंडों में क्या मुकर्रर है और सालाना नीलाम के समय क्या इसी के आधार पर जंगलों का सरकारी दाम या तखमीना लगाया जाता है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—गोरखपुर, गोंडा व बहराइच वन खंडों में साखू, शीशम और सागौन का शेड्यूल रेट निम्नलिखित है :—

व्यास वर्ग	दर (रुपयों में)
०"—४"	२.००
४"—८"	८.००
८"—१२"	२०.००
१२"—१६"	७०.००
१६"—२०"	१४०.००
२०"—२४"	२१०.००
२४"—२८"	३१५.००
२८"—और उसके ऊपर	४२०.००

सालाना नीलाम के समय जंगलों का सरकारी तखमीना शेड्यूल रेट के आधार पर नहीं लगाया जाता है।

*४३—**श्री नियामतुल्ला अन्सारी**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त खंडों में गत पांच वर्षों में किसी ठेकेदार या ठेकेदारों को शिड्यूल्ड रेट पर कोई जंगल दिया गया है ? यदि हां, तो उन ठेकेदारों का क्या नाम है और इस रेट पर खुला नीलाम न करके ठेका क्यों दिया गया और इसका क्या कारण था ?

श्री अलगूराय शास्त्री--गत पांच वर्षों में केवल श्री जे० पी० नायक नामक एक ठेकेदार को १९५६ में १,५०० रुपये के तथा १९५८ में २,००० रुपये के पेड़ शेड्यूल रेट पर इस कारण दिये गये कि उक्त ठेकेदार को अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ा था और उससे सरकारी बकाया भी वसूल करना था ।

*४४--श्री नियामतुल्ला अन्सारी--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में गत ५ वर्षों के अन्दर कौन-कौन से नवीन खंड खोले गये हैं और हर खंड से प्रतिवर्ष सरकार को क्या रेवेन्यू वसूल हुआ है और क्या खर्च पड़ा है ?

श्री अलगूराय शास्त्री--सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९३१ पर)

गोंडा वन खण्ड में हरिजन कर्मचारी

*४५--श्री सुखदेवप्रसाद--क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले के दक्षिणी तथा उत्तरी सर्किलों में फारेस्ट मुहर्रिर, ठूंठ मुहर्रिर, फारेस्ट गार्ड, क्लर्क आदि पदों में कितने-कितने हरिजन हैं और किन-किन पदों पर कब से कार्य कर रहे हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री--उत्तरी व दक्षिणी गोंडा वनखंडों में फारेस्ट गार्ड, मुहर्रिर एवं क्लर्क आदि पदों पर १२ हरिजन हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है :

वन खंड	पद	संख्या	कार्यावधि
उत्तरी गोंडा ..	फारेस्ट मुहर्रिर	२	१ वर्ष
	ठूंठ मुहर्रिर	६	३ ,,
	फारेस्ट गार्ड	१	८ ,,
दक्षिणी गोंडा ..	फारेस्ट गार्ड	२	१० ,,
	फारेस्ट गार्ड	१	लगभग ६ माह

*४६--श्री सुखदेवप्रसाद---क्या यह सत्य है कि बहुत से कर्मचारी सन् ५० से एक ही पद पर कार्य करते चले आ रहे हैं, उन्हें कोई पदोन्नति नहीं दी गई तथा बहुतों को स्थायी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार उन्हें स्थायी करके पदोन्नति करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अलगूराय शास्त्री--जी नहीं । परन्तु यह सम्भव है कि कुछ कर्मचारी सन् ५० से एक ही पद पर काम कर रहे हों और उन्हें कोई पदोन्नति नहीं दी गई हो और स्थायी न किया गया हो । इसका कारण उन कर्मचारियों का कार्य असंतोषजनक या इसी प्रकार का अन्य कारण हो सकता है । कर्मचारियों का स्थायी करना इस बात पर निर्भर करता है कि स्थायी स्थान खाली हों और कर्मचारियों की योग्यता और ज्येष्ठता कैसी है । ऐसे कर्मचारियों को स्थायी करना या पदोन्नति देने की कोई अवधि नहीं बताई जा सकती है ।

*४७--श्री सुखदेवप्रसाद---अन्य जिलों एवं सर्किलों में एक ही पद के लिये वेतन में भिन्नता क्यों है, जबकि एक ही कार्य करते हैं ? दक्षिणी गोंडा में फारेस्ट मोहर्रिर को वेतन साढ़े ४७ रु० और उत्तरी में साढ़े ५२ रु० ऐसा क्यों है ? क्या सरकार साढ़े ५२ रु० दोनों सर्किलों का करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अलगूराय शास्त्री---एक ही पद पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन में कोई भिन्नता नहीं है सिवाय उन खंड व फारेस्ट मुहर्रिरों के जो कि दैनिक वेतन पर कार्य करते हैं । दक्षिणी गोंडा में फारेस्ट मुहर्रिरों को वेतन ४७ १/२ रु० के हिसाब से इस हेतु दिया गया है कि

दैनिक पारिश्रमिक पर कार्य करने वालों की नियुक्ति उप-अरण्यपाल अपने बजट के अनुसार अपनी स्थानीय परिस्थिति व कार्यों को देखते हुये करते हैं। उत्तरी व दक्षिणी गोंडा वन खंडों में ५ रुपया के वेतन का अंतर वहां के बजट पर निर्भर करता है। दक्षिणी गोंडा के उप-अरण्यपाल ने अपने ६२–६३ के बजट में इस धनराशि का प्राविधान किया है जो कि इस खंड के कर्मचारियों को दिया जायेगा ।

गोरखपुर, गोंडा, बहराइच वन खंडों में ठेकेदारों पर बकाया

*४८—श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर, गोंडा व बहराइच वन खंडों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष १९६०–६१ व १९६१–६२ का किन-किन जंगल के ठेकेदारों पर कितना-कितना रुपया सरकार का बकाया है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—आवश्यक सूचना संलग्न† सारिणी एक में दी हुई है ।

*४९—श्री रामसूरतप्रसाद—क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त वन खंडों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष १९६२–६३ के लिये किये गये सालाना नीलाम में किन-किन बकायादार ठेकेदारों ने कितने-कितने रुपये का ठेका नीलाम में लिया और सरकार को कुल कितने रुपये की आय उपर्युक्त वन खंडों के नीलाम से हुई है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—सूचना संलग्न† सारिणी दो में दी हुई है । वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में उपर्युक्त वन खंडों में हुये नीलाम से सरकार को कुल १,२७,०३,७९३ रुपये की आय हुई ।

खांडसारी मिल, सैदपुर के संबंध में जांच

*५०—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खांडसारी मिल, सैदपुर, जिला गाजीपुर के सीमेन्ट के सम्बन्ध में जो जांच परगनाधीश द्वारा हो रही थी क्या उसकी रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है और किन-किन शिकायतों की जांच की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां, जांच कोयले तथा सीमेंट के उचित उपयोग के सम्बन्ध में की गई ।

*५१—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खांडसारी मिल, सैदपुर, गाजीपुर को कितने वैगन कोयला सन् ६०, ६१ व अगस्त ६२ तक दिया गया ? क्या कोयले के सम्बन्ध में भी गड़बड़ी होने की शिकायत सरकार या जिले के अधिकारियों को मिली है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—२ वैगन । जी हां ।

भोगांव टाउन एरिया के चेयरमैन के विरुद्ध आरोप

*५२—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार को पता है कि मैनपुरी जिले की भोगांव टाउन एरिया के चेयरमैन, श्री मिश्रीलाल दुबे द्वारा कुप्रबन्ध और टाउन एरिया फंड गबन करने के सिलसिले में ८ दिसम्बर, १९५८ से लेकर २ मई, १९६१ तक स्थानीय टाउन एरिया सदस्यों की ओर से ९ प्रार्थना-पत्र सरकार को भेजे गये, जिनके आधार पर कई मजिस्ट्रेटों द्वारा जांच किये जाने पर उनकी रिपोर्ट में गबन साबित भी हुआ तथा भोगांव की जांच रिपोर्ट सरकार के पास आई लेकिन उसका पता नहीं चला ? क्या सरकार तमाम जांचों की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ।

---

†छापी नहीं गई ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रश्न का प्रथम भाग—जी हां।

प्रश्न का द्वितीय भाग—सरकार ने उन रिपोर्टों की समीक्षा की किन्तु शासन की दृष्टि में चेयरमैन के विरुद्ध आरोप गम्भीर नहीं थे जिनके आधार पर उनको हटाया जा सके। जांच की रिपोर्ट गोपनीय है अतः उसको सदन की मेज पर रखना जनहित में नहीं होगा।

*५३—श्री रामसुन्दर शास्त्री—क्या दिनांक २ सितम्बर, १९६२ को उक्त चेयरमैन, टाउन एरिया, भोगांव के विरुद्ध टाउन एरिया सदस्यों ने चालीस हजार रुपये के गबन की रिपोर्ट पुलिस में की है। अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई तथा क्या मुख्य मंत्री के पास भी कोई पत्र या तार इस विषय में आया है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रश्न का प्रथम भाग—जी हां।

प्रश्न का द्वितीय भाग—मुकदमा कायम होकर पुलिस द्वारा जांच हो रही है?

प्रश्न का तृतीय भाग—जी हां। दिसम्बर, १९६० में श्री जगदीशनारायण त्रिपाठी, संयुक्त मंत्री, जिला कम्युनिस्ट पार्टी, मैनपुरी, का मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित एक पत्र की प्रतिलिपि, जो स्वायत्त शासन मंत्री को भेजी गई थी, प्राप्त हुई थी।

पीलीभीत नगरपालिकाध्यक्ष के विरुद्ध जांच

*५४—श्री झारखंडेराय—क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, पीलीभीत एवं उसके अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, उस शिकायती-पत्र पर जिलाधिकारियों द्वारा जांच कराई गई है।

*५५—श्री झारखंडेराय—क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत नगरपालिका की जांच जब श्री वी० के० गोस्वामी, आई० ए० एस० द्वारा की जा रही थी तो पालिकाध्यक्ष ने पालिका क कर्मचारियों को आदेश दिया था कि जांच के समय कोई कागज न दिखाया जाये तथा न कोई बयान दिया जाय? यदि हां, तो सरकार ने, अध्यक्ष के खिलाफ जांच म अड़चन पैदा करने के लिये, क्या कार्यवाही की?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, जांच के प्रारम्भ में अध्यक्ष, नगरपालिका, पीलीभीत ने अपने कार्यालय के कर्मचारियों को यह आदेश दिया था कि बिना उनकी अनुमति के आडिट पार्टी के अतिरिक्त किसी को कोई कागज न दिखाया जाय और न कोई कर्मचारी किसी के समक्ष कोई बयान दे। तदुपरान्त जांच के दौरान उन्होंने जिलाधीश को यह सूचित किया कि उक्त आदेश का आशय जिलाधीश द्वारा की जान वाली जांच से नहीं था। केवल बाहरी व्यक्तियों से था।

राठ नगरपालिका में मेहतर क्वार्टर्स

*५६—श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका राठ ने जो Sweepers Quarters सरकारी सहायता से बनवाये हैं उन्हें sweepers द्वारा प्रार्थना-पत्र देने पर भी क्यों allot नहीं किया गया जबकि उन quarters में किराया ले कर विद्यार्थियों को रक्खा जा रहा है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—क्वार्टर्स अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हैं। यह बात निराधार है कि बोर्ड द्वारा इन क्वार्टरों में किराया लेकर विद्यार्थियों को रखा जा रहा है।

रायबरेली जेल में खेती

*५७--श्री पितईराम (जिला रायबरेली), श्री रतीपाल तथा श्री राधेश्याम शर्मा--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि रायबरेली जिला जेल में कितने बीघे जमीन पर खेती द्वारा अनाज और तरकारी उपजाई जाती है और किसके द्वारा ? क्या अनाज और तरकारी की पूरी उपज बेच दी जाती है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में सरकार को इससे कितना लाभ हुआ और सरकार ने कैदियों की भोजन व्यवस्था पर कितना रूपया खर्च किया ?

कारागार राज्य मंत्री (श्री गोविन्दसहाय)--कैदियों द्वारा ६० एकड़ में अनाज तथा १२ एकड़ भूमि में तरकारियां पैदा की जाती हैं। अनाज और तरकारी की उपज कैदियों को खिलाई जाती है, बेची नहीं जाती। अतः किसी लाभ का प्रश्न नहीं उठता। कैदियों की भोजन व्यवस्था पर १९६१-६२ में ८१,०१२ रुपया ५१ नये पैसे खर्च हुआ।

मकानों से संबंधित अपीलें

*५८--श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--क्या खाद्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मकानों से सम्बन्धित अपीलें सन् १९६० से सितम्बर, १९६२ क बीच कितनी तादाद में सरकार के समक्ष प्रांत से आईं व कितनों पर निर्णय इस अवधि में सरकार द्वारा किय गये व कितने विचाराधीन ऐसे मामले हैं जिन पर निर्णय चार माह से अधिक समय हो जाने के उपरान्त भी नहीं हो सका ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इस अवधि में २,०४८ अपीलें प्राप्त हुईं जिनमें से १,११६ मामलों पर निर्णय हो चुका है। शेष विचाराधीन मामलों में से ७५४ ऐसे मामले हैं जो चार माह से अधिक से विचाराधीन हैं।

[३ दिसम्बर, १९६२ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

वन विभाग के अवक्रमित रेंज आफिसर, विदेश जाने वाले अधिकारी

*१--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९६१ से ३१ अगस्त, १९६२ की अवधि में प्रदेश में अपने से सीनियर रेंज अफसरों को Supersede करके कितने रेंज अफसरों को असिस्टेंट कन्जरवेटर आफ फारेस्ट के पद पर पदोन्नत किया गया है और ऐसा किस आधार पर किया गया है ?

श्री अलगूराय शास्त्री--उक्त अवधि में २० रेंज अफसरों को पदोन्नत किया गया है जिसके फलस्वरूप २९ रेंज आफिसर (Supersede) हुये। इन फारेस्ट रेंजरों की असिस्टेन्ट कन्जरवेटर आफ फारेस्ट्स के पद पर पदोन्नति उत्तर प्रदेश वन सेवा नियमावली क नियम ५ (ख) तथा परिशिष्ट 'ख' (Appendix 'B') के अनुसार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की सम्मति स की गयी।

*२--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी--क्या सरकार १९६१ तथा ३१ अगस्त, १९६२ तक की अवधि में वन विभाग के विदेश जाने वाले अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखते हुये यह बताने की कृपा करेगी कि वे किस-किस देश में कितने दिनों तक रहे ?

श्री अलगूराय शास्त्री--एक सूची संलग्न है जिसमें देशों तथा अवधि का विवरण भी दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९३२ पर)

*३--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी--क्या वन मंत्री को यह मालूम है कि १ जनवरी, १९६१ से ३१ अगस्त, १९६२ की अवधि में उनके विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सरकारी कार्य से यूरोप के एक देश जाते समय यूरोप के अन्य देशों में जाने की अनुमति नहीं मिलने पर भी राज्य कार्य की हानि कर तथा राजाज्ञा का उल्लंघन करके सरकारी कार्य के दिनों में यूरोप के अन्य देशों का भ्रमण किया ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं, तो क्या वे इस बात की जांच करने की कृपा करेंगे ?

श्री अलगूराय शास्त्री--वन बिभाग के किसी भी अधिकारी न १-१-६१ से ३१-८-६२ तक की अवधि में बिना अनुमति के राज्य कार्य की हानि कर तथा राजाज्ञा का उल्लंघन करके, सरकारी कार्य के दिनों में, यूरोप के देशों में भ्रमण नहीं किया। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

मोदीनगर कन्सट्रक्शन्स कम्पनी में ऋण की वसूली

*४--श्री ऊदल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विस्थापितों के हेतु मकान बनाने के लिये चार किस्तों में ३ ३/४ रु० प्रतिशत ब्याज पर ३० लाख रुपये जो मेसर्स मोदीनगर कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड को दी गई थी उसकी कितनी वसूली मूल धन तथा ब्याज की अब तक हुई है और कितनी बाकी है ? क्या सरकार को पता है कि दिसम्बर, १९५३ के बाद तक कोई वसूली नहीं हुई ? यदि हां, तो इसका क्या करण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--मोदीनगर कन्सट्रक्शन्स कम्पनी लिमिटेड ने सरकार को ४,२८,६४२.८० रुपये दिसम्बर, १९५३ तक दिया। भारत सरकार के आदेशानुसार १ नवम्बर, १९५३ से गोविन्दपुरी में कम्पनी द्वारा निर्मित सम्पत्ति अन्तरिम प्रतिकर योजना के अन्तर्गत निस्तारण के लिये प्रतिकर कोष (Compensation pcol) में आ गयी। इस योजना के अन्तर्गत जिन विस्थापित व्यक्तियों ने सम्पत्ति खरीदने की अनुमति दी, उनको किराये का और मकानों की किश्तें जोकि वे कम्पनी को दे रहे थे, उससे छुट मिल गई और उस सम्पत्ति का मूल्य विस्थापित व्यक्तियों के सत्यापित दावों (verified claims) से काट कर सरकार के कोष में जमा होने लगा। अतः कम्पनी द्वारा सरकार को नकद रकम देने का प्रश्न ही नहीं उठा। १ नवम्बर, १९५३ से १ अक्तूबर, १९५५ तक सरकारी ऋण से गोविन्द-पुरी में कंपनी द्वारा निर्मित रु० १०,०८,६५९ की सम्पत्ति प्रतिकर कोष (Compensation pool) में हस्तान्तरित हो गई थी।

इसी बीच में विस्थापित व्यक्तियों ने केन्द्रीय तथा राज्य सरकार को गोविन्दपुरी का पूर्ण नियंत्रण कंपनी से ले लेने के लिये अनेक प्रतिवेदन तथा प्रतिनिधान (representation) भेजे। अतः राज्य सरकार इस उपनिवेश का पूर्ण नियन्त्रण अपने हाथ मे लेने के संबंध में केन्द्रीय सरकार कंपनी से विचार-विमर्श करती रही। अन्त में निर्णय के अनुसार अक्तूबर १६, १९५० को राज्य सरकार ने गोविन्दपुरी उपनिवेश का पूर्ण शासन अपने हाथ में ले लिया। कंपनी पर अब सरकार का कोई रुपया बकाया नहीं है।

मौजा रामपुर के श्री महादेवसिंह को कोयले का कथित कोटा

*५--श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिलाधीश फैजाबाद द्वारा श्री महादेव सिंह, मौजा रामपुर(खजुरी) तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद को जलाशय व मन्दिर बनाने के निमित्त ईंटों का भट्टा चलाने के लिये सत्रह वैगन कोयला १९५९ में दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह कोयला उसी उद्देश्य के लिये इस्तेमाल किया गया जिस उद्देश्य के लिये प्राप्त किया गया था ? यदि नहीं, तो सरकार ने श्री महादेव सिंह के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—श्री महादेव सिंह, मौजा रामपुर (खजूरी), तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद को वांछित वर्ष में भट्टा चलाने के निमित्त कोई कोयले का कोटा नहीं दिया गया। अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

नसीराबाद, गोरखपुर में सड़क की भूमि लीज पर देना

*६—**श्री मुहम्मद रफी खां** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर के मोहल्ला नसीराबाद में सन् १९-२९-३० में कोई जमीन सड़क बनाने के लिये acquire की गई थी वह बाद में एक Municipal Board के मेम्बर के हाथ बेची गई और दो दूसरे आदमियों को ३० साल के लिये लीज पर दे दी गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, सड़क बनने के बाद बची जमीन नीची तथा गढ़े की थी उसमें से कुछ जमीन नगरपालिका के एक सदस्य के हाथ बेची गयी थी और कुछ जमीन पट्टे पर आयुक्त की स्वीकृति के बाद दी गयी थी।

*७—**श्री मुहम्मद रफी खां**—क्या सरकार इस लीज पर दी गई जमीन का लीज टाइम खत्म होते ही उसके मालिकान को वापस करने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अभी से कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है।

मकान अलाट कराने के संबंध में हाईकोर्ट की रूलिंग

*८—**श्री हरीशकुमार गंगवार** (जिला बरेली)—क्या सरकार को ज्ञात है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक रूलिंग इस प्रकार की हुई है कि जो मकान या दुकान अलाट नहीं कराये गये हैं उनका किरायेदार अजनबी समझा जावेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार की घोषणा या चेतावनी दे रही है कि वे किरायेदार जिन्होंने अलाटमेंट नहीं कराया है, अपना अलाटमेंट किसी निश्चित अवधि तक करालें जिससे परेशानी न हो ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां।
जी नहीं।

महापालिका सेवा नियमावली

*९—**श्री जमादारसिंह** (अनुपस्थित) तथा **श्री ऊदल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की नगर महापालिकाओं के लिये (सर्विस रूल्स) सेवा नियमावली अब तक बना कर न दिये जाने का कारण क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—महापालिका सेवा नियमावली का प्रारूप सन् १९६० में ही बना लिया गया था और नवम्बर, १९६० में उसको आपत्ति एवं सुझाव के लिये प्रकाशित कर दिया गया था। जो सुझाव तथा आपत्तियां प्राप्त हुईं उनकी संख्या अधिक थी। उन पर विचार कर लिया गया है। सचिवालय के संबंधित विभागों से भी परामर्श करना था और न्याय विभाग द्वारा उनका पुनरीक्षण करना आवश्यक था, जिसकी वजह से कुछ अधिक समय लगा। अब यह कार्य करीब-करीब पूरा हो गया है और आशा है कि नियमावली को अन्तिम रूप से शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया जायेगा।

गाजियाबाद में कथित निजी कालोनी

*१०—**श्री तेजसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद (Regulated area) में ३१ अगस्त, १९६२ तक किस-किस भूमिपति को निजी कालोनी बनाने की आज्ञा उसने दी थी ? हर एक कालोनी में अब तक क्या-क्या विकास हुआ है और कितने-कितने प्लाट बिक चुके हैं तथा कितने भवन बन चुके हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---पहला भाग---सरकार ने स्वयं किसी भूमिपति को निजी कालोनी बनाने की स्वीकृति नहीं दी है।

दूसरा भाग---प्रश्न नहीं उठता है।

*११---**श्री तेजसिंह**---जिन कालोनाइजर ने विकास करने की शर्त समय के अन्दर पूरी नहीं की है उनकी मंजूरी वापस लेने पर सरकार विचार कर रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---प्रश्न नहीं उठता है।

*१२-१४---**श्री हिम्मतसिंह** तथा **श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला एटा)---[५ दिसम्बर, १९६२ के लिये प्रश्न ४४-४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

नगरपालिका, कर्वी के हिसाब-किताब में आपत्ति

*१५---**श्री मतोलासिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने म्युनिसिपेलिटी, कर्वी, जिला बांदा को सन् १९५८ ई० में क्या अनुदान दिया उसमें से १०,००० रु० (दस हजार रु०) के गैस व पोल खरीदे गये, क्या यह सत्य है कि वह गैस आज तक नहीं जलाये गये ? मालूम हुआ है कि गैस किसी गुदड़ी बाजार से खरीदे गये जो बेकार थे, क्या सरकार इसकी जानकारी हासिल करने को तैयार है ? अगर नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार वहां का आडिट रिपोर्ट भी देखने को तैयार है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सन् १९५८ में सरकार ने नगरपालिका कर्वी को ५०,००० रु० अनुदान दिया था। उसमें से १०,७२३.५३ नये पैसे रोशनी के इन्तजाम पर खर्च किये गये जिसके अधीन ४० खंभों व उतनी ही संख्या में गैस बत्तियां व हन्डो का प्रबन्ध हुआ। यह गैस बत्तियां, जब भी आवश्यकता पड़ती है विशेषकर मेले के दिनों में, जलाई जाती हैं और वे ठीक हालत में हैं। यह कथन सत्य नहीं है कि इन बत्तियों की खरीद किसी गुदड़ी बाजार से की गई। ये बत्तियां कई फर्मों से कोटेशन मंगाने के बाद कानपुर की एक फर्म मेसर्स एस० एम० राशिद एन्ड सन्स से खरीदी गई हैं। इस संबंध में आडिटरों ने जो आपत्ति की है उस पर नगरपालिका अभी विचार कर रही है।

ऋणी नगरपालिकायें

*१६---**श्री लखपतराम शर्मा**---क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रान्त में ऐसी कितनी नगरपालिकायें हैं जिन पर राज्य सरकार का लोन बाकी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---नगर महापालिकाओं को लेते हुये ऐसी नगरपालिकाओं की संख्या ३१ मार्च, १९६२ ई० को ११० थी।

*१७---**श्री लखपतराम शर्मा**---क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या सरकार की ओर से ललितपुर (जिला झांसी) नगरपालिका को हाउसिंग स्कीम के लिये कोई लोन वित्तीय वर्ष १९६०-६१ तथा ६१-६२ में दिया गया ? यदि हां, तो कितना ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी नहीं।

नगरपालिकाओं को रिक्शा संबंधी आदेश

*१८---**श्री सत्यनारायण पांडेय** (जिला इलाहाबाद) तथा **श्री मेवालाल** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या रिक्शा चलाने की प्रथा समाप्त करने के संबंध में सरकार ने इलाहाबाद नगर महापालिका में ही केवल आदेश भेजा था या इलाहाबाद केन्टूनमेन्ट बोर्ड में भी भेजा था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आदेश सन् १९५८ में सभी नगरपालिकाओं को भेजे गये थे, जिसमें नगरमहापालिका, इलाहाबाद भी सम्मिलित है। कैन्टूनमेन्ट बोर्ड, इलाहाबाद को राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश नहीं भेजे गये।

बहराइच में गेहूं का आयात व निर्यात

*१९—**श्री महादेव** (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहराइच शहर में किन-किन फलोर एन्ड राइस मिल को सरकार की ओर से कितना गेहूं पिसाई के लिये प्रतिवर्ष औसतन दिया जाता है और वह गेहूं बहराइच जिले से न लेकर बाहर से क्यों भेजा जाता है ? क्या सरकार यह भी कृपया बतायेगी कि जिला बहराइच से औसतन प्रतिवर्ष कितना गेहूं बाहर भेजा जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—केन्द्रीय सरकार शियु राइस मिल्स, बहराइच और शियु राइस एन्ड फ्लोर मिल्स, रसिया, जिला बहराइच, को प्रति मास उनकी आवश्यकता के अनुसार १११९ और १६३१ टन तक विदशी गेहूं देती है। विदेशी गेहूं मिलों को इसलिये दिया जाता है ताकि उनके द्वारा अधिक मात्रा में देशी गेहूं के खरीदने से बाजार भाव में चढ़ाव न हो। परन्तु यदि मिलें चाहें तो बाजार से देशी गेहूं खरीद सकती हैं पर उनको देशी गेहूं से बने आटा, मैदा, सूजी, रिजल्टेन्ट आटा को भी उसी दर पर ही बेचना होगा जो केन्द्रीय सरकार ने विदेशी गेहूं से बनी इन चीजों के लिये निर्धारित किया है।

गेहूं के आने जाने पर कोई रोक नहीं है इस कारण यह बताना कठिन है कि बहराइच से कितना गेहूं बाहर भेजा जाता है।

*२०—**श्री महादेव**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त मिलों को पिसाई रेट क्या दिया जाता है तथा उस आटे की खपत किस रेट पर तथा किस तरह की जाती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मिलों को क्या पिसाई दी जाती है इसकी सूचना प्रदेशीय सरकार के पास नहीं है। केन्द्रीय सरकार मिलों को विदेशी गेहूं बोरा सहित १४ रु० मन देती है और मिलें गेहूं से बना आटा, मैदा, सूजी व रिजल्टेन्ट आटा को निम्न दरों पर बेच सकती हैं :—

	एक्स मिल रेट फी मन रु० नं० पै०
आटा	१५.५०
सूजी	२२.००
मैदा	२०.००
रिजल्टेन्ट आटा	१४.५०

चुंगी तथा सेल्स टैक्स इसके अतिरिक्त लिया जाता है। मिलें अपना माल किसी तरह बेच सकती हैं।

सहारनपुर जिले के लिये सीमेंट

*२१—**श्री ब्रह्मदत्त मायर**—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर जिले में १९५६, १९५७, १९५८ में कितना-कितना Cement मंगाया गया ? तथा फिर से Control लागू हो जाने के बाद प्रति वर्ष १९५९, १९६०, १९६१ में कितना-कितना Cement आयात हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूचना निम्नलिखित है :

सन् १९५६	..	२२८ वैगन
सन् १९५७	..	३०७ वैगन
सन् १९५८	..	३२५ वैगन

फिर कन्ट्रोल लागू होने के बाद :

सन् १९५९	..	३४४ वैगन
सन् १९६०	..	३३७ वैगन
सन् १९६१	..	३४० वैगन

कारागारों में उद्योग

*२२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या जेल मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों के जेलों में कैदियों से सामान बनवाने की योजना है तथा इस समय किन-किन जेलों में कौन-कौन से सामान तैयार कराये जाते हैं ?

श्री गोविन्दसहाय—वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९३३–९३४ पर)

*२३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मन्त्री जी बतावेंगे कि जिन जेलों में यह योजना चालू है कैदियों को कार्य सिखलाने हेतु बाहर से आदमी नियुक्त है या कैदियों के बीच से ?

श्री गोविन्दसहाय—बन्दियों को कार्य सिखलाने हेतु कोई आदमी नियुक्त नहीं है ।

*२४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार बतायेगी कि जो सामान कैदियों द्वारा बनाया जायेगा उसका लाभ कैदियों को भी दिया जायेगा ? यदि हां, तो कितना ?

श्री गोविन्दसहाय—जी नहीं ।

हरदोई कारागार में पेय जल व्यवस्था

*२५—श्री पूरनलाल (जिला हरदोई)—क्या जेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई कारागार में बन्दियों के लिये पीने के पानी की क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—कुएं की व्यवस्था है जिसमें बिजली का एक मोटर पम्प लगा है।

रुदौली नोटीफाइड एरिया के कर्मचारियों का बकाया वेतन

*२६—श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले की रुदौली नोटीफाइड एरिया कमेटी की सर्विस में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनका कि ३० अगस्त, १९६२ तक—

(क) ५ महीने से अधिक का वेतन बकाया है,
(ख) ६ महीने से अधिक का वेतन बकाया है,
(ग) ८ महीने से अधिक का वेतन बकाया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

४५ कर्मचारी ।
४५ कर्मचारी ।
१५ कर्मचारी ।

*२७--श्री मुकुटबिहारीलाल--क्या सरकार बतायेगी कि इस बकाया वेतन का क्या कारण है तथा यह कब तक दे दिया जायगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--"टैक्स न दो" आन्दोलन के कारण बाकी टैक्स नोटीफाइड एरिया कमेटी द्वारा वसूल नहीं किया जा सका और इस से कमेटी के कर्मचारियों का वेतन बकाया है। कमेटी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र भुगतान किये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

विक्रय केन्द्र बनवाने के लिये वाराणसी नगरपालिका को ऋण

*२८--श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वाराणसी में शरणार्थियों के लिये विक्रय केन्द्र बनाने के लिये पुनर्वास विभाग से मार्च, सन् १९५५ एवं सन् १९६० में क्रमशः ४ लाख एवं ३ लाख रुपया वाराणसी नगरमहापालिका को ऋण रूप में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त धनराशि से किन-किन स्थानों पर विक्रय केन्द्र नगरपालिका ने बनवाया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--नगरमहापालिका, वाराणसी ने १९५५ में ३,८४,००० और १९६१ में २,५०,००० रुपया का ऋण प्राप्त किया था जिससे टाउन हाल विक्रय केन्द्र, विजयानगरम मार्केट तथा लहुराबीर विक्रय केन्द्र बनवाये गये।

*२९--श्री गिरधारीलाल--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त धनराशि का कितना रुपया अब तक विक्रय केन्द्र बनवाने में खर्च हुआ तथा उसमें कितनी दुकानें बनीं और किस दर से किराये पर उठायी गयी हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--अब तक केवल ३,८४,००० रुपया व्यय हुआ है। टाउन हाल विक्रय केन्द्र में कुल ११० दुकानें निर्मित हुई हैं, जिनमें से ४२ दुकानें २५ रुपया प्रति माह की दर से उठाई जा चुकी हैं। शेष ६८ दुकानों में से दो २५ रुपया प्रति दुकान प्रति मास और शेष २० रुपया प्रति दुकान प्रति मास की दर से किराये पर उठाई जा रही हैं। विजयानगरम मार्केट में ९४ दुकानें बनवायी गई हैं ५३ दुकानों का किराया २५ रुपया, ३१ दुकानों का किराया १२ रुपया और १० का ८ रूपया, प्रति दुकान प्रति मास है।

भवन निर्माण नियमावली

*३०--श्री ऊदल तथा श्री चन्दर्भासिह--क्या सरकार नगरमहापालिका अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत भवन निर्माण नियमावली स्वीकृत एवं प्रकाशित करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां, उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ३४२ के अन्तर्गत भवन नियमावली बनाई जा रही है।

कानपुर नगरमहापालिका द्वारा भूमि अर्जन

*३१--श्री शशिभूषणसिह (जिला कानपुर)--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगरमहापालिका बनने पर ग्रामीण क्षेत्र के १३० ग्राम महापालिका सीमा में सम्मिलित कर लिये गये थे तथा क्या यह सही है कि उन ग्रामों की कुल जमीन, नाम मात्र मुआवजा देकर, महापालिका द्वारा ली जा रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--यह सही है कि महापालिका बनने पर इसकी सीमा में लगभग १३० ग्राम सम्मिलित हो गए हैं परन्तु यह कहना सही नहीं है कि इन ग्रामों की कुल जमीन महापालिका द्वारा ली जा रही है। महापालिका द्वारा जो भी भूमि ली जा रही है उसका अर्जन भूमि प्राप्त अधिकारी द्वारा नियमानुसार किया जा रहा है तथा उसका मुआवजा भी नियमानुसार ही दिया जाता है।

औद्योगिक बस्ती, आगरा

*३२—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि "औद्योगिक बस्ती", आगरा के पास "लेबर कालोनी" बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक बनेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आगरे में औद्योगिक बस्ती के पास लेबर कालोनी बनाने का अभी कोई विचार नहीं है ।

*३३-३५—श्री ऊदल—[१७ वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३६-३७—श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—[१६ वें सोमवार के लिये प्रश्न ४६-४७ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये ।]

*३८-३९—श्री उमादत्त (जिला सुल्तानपुर)—[१८ वें गुरुवार के लिये प्रश्न १६५-१६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*४०-४२—श्री उल्फर्तीसह (जिला बदायूं)—[१६ वें सोमवार के लिये प्रश्न ४८-५० के अन्तर्गत निर्धारित किये गये ।]

*४३—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—[१७ वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*४४—श्री हिम्मतसिंह—[१७ वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*४५—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—[१७ वें सोमवार के लिये प्रश्न ५१ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया ।]

वाराणसी विकास योजना

*४६—श्री गिरधारीलाल—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में वाराणसी शहर के विकास के लिये सरकार ने कौन-कौन सी योजना बनाई है तथा उन योजनाओं पर कितना रुपया खर्च करने का सरकार का विचार है तथा उक्त योजनायें कब से चालू की जायेंगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—पहला भाग सरकार द्वारा स्वयं कोई योजना वाराणसी शहर के लिये नहीं बनाई गई है । यह नगरमहापालिका वाराणसी का कर्तव्य है ।

दूसरा भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

तीसरा भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

*४७-४८—श्री सन्तसिंह यूसुफ—[१७ वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

अतारांकित प्रश्न

मुरादाबाद जिले के लिये टिन व सीमेन्ट

१—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—क्या खाद्य मन्त्री बतायेंगे कि १ अप्रैल, सन् १९६२ से सितम्बर, १९६२ तक कितना सीमेंट और कितनी टिन मुरादाबाद जिले को सप्लाई की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--सूचना निम्नलिखित है :--

सीमेंट	..	९१,८६८ बोरी
टिन	..	१३३ टन ६५० किलोग्राम

२--श्री रियासत हुसैन--क्या खाद्य मन्त्री बतायेंगे कि तहसील मुरादाबाद के रहने वालों को १ अप्रैल, सन् १९६२ से सितम्बर, १९६२ तक कितने सीमेंट और टिन के परमिट डी० एस० ओ०, मुरादाबाद द्वारा जारी किये गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सीमेंट	..	५,०८१ परमिट
टिन	..	१,०२ परमिट

उक्त सीमेंट के परमिट तहसीलदार तथा खन्ड विकास अधिकारी द्वारा दिये गये, क्योंकि तहसीलों में सीमेंट के परमिट इन अधिकारियों द्वारा दिये जाते हैं।

३--श्री रियासत हुसैन--क्या खाद्य मन्त्री बतायेंगे कि किन लोगों को मुरादाबाद के जिले में डी० एस० ओ० और कलेक्टर द्वारा दो टन टिन से ज्यादा और ५० बोरी से ज्यादा सीमेंट के परमिट जारी हुये हैं और क्या उन चीजों के सही इस्तेमाल के लिये कोई जांच कराई गई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जिले में २ टन टिन से ज्यादा का कोई परमिट नहीं दिया गया। ५० बोरी से अधिक के २५ परमिट दिये गये, जिनकी सूची संलग्न है। इनके सही उपयोग के लिये जांच निरन्तर होती रही है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९३५ पर)

जौनपुर जिले में बन्दियों को औद्योगिक शिक्षा

४--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी जौनपुर जिला जेल में १९६० से १९६२ तक कितने कैदियों को उद्योग करने के लिये शिक्षा और किस-किस प्रकार की अन्य ट्रेनिंग दी गयी ?

श्री गोविन्दसहाय--वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ९३६ पर)

रुदौली में नलकूप की आवश्यकता

५--श्री मुकुटबिहारीलाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तीसरी पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत रुदौली नोटीफाइड एरिया, जिला बाराबंकी में पीने के पानी की सुविधा के लिये नलकूप निर्माण की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक बनेगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा-- दौली नोटीफाइड एरिया कमेटी ने पीने के पानी की, सुविधा के लिये नलकूप निर्माण की योजना के लिये कोई प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा है।

६--श्री मुकुटबिहारीलाल--यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां इस प्रकार की कोई योजना बनाने का विचार भविष्य में करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इसका प्रश्न नहीं उठता।

राजापुर टाउन एरिया को सड़कों के लिये कथित अनुदान

७--श्री मतोलासिंह--क्या सरकार को पता व जानकारी है कि इसी वर्ष राजापुर टाउन एरिया, जिला बांदा को तीन सड़कें बनाने के वास्ते ८,००० (आठ हजार रुपया) मंजूर हुआ किन्तु सड़क नहीं बनी और ओवरसियर की रिपोर्ट पर कि सड़कें बन गईं, पेमेंट अधिकारी द्वारा करा लिया गया, क्या सरकार इसे सूचना मान कर अविलम्ब जांच करायेगी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी नहीं, इसी वर्ष अब तक राजापुर टाउन एरिया को न ८,००० रु० का सड़क अनुदान ही दिया गया है और न ऐसा कोई मामला ही हुआ जिसमें सड़कों पर कोई कार्य न किये जाने पर भी ओवरसियर की गलत रिपोर्ट पर ८,००० रू० की निधि का पेमेन्ट किया गया हो ।

फतेहपुर जिले में ईंट के भट्ठे

८--श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)--क्या सरकार फतेहपुर जिले के प्राइवेट व सहकारी ईंट भट्ठा मालिकों, संचालकों तथा ईंट भट्ठा स्थित स्थानों की सूची, जिन्हें वित्तीय वर्ष १९५७-५८, १९५८-५९, १९५९-६०, १९६०-६१ व १९६१-६२ में ईंट पकाने के निमित्त कोयला दिया गया, सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी और जिन ईंट भट्ठों को कोयला दिया गया उन्होंने प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक महीने कितनी और किस क्लास की कितनी ईंटें पकाईं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--प्रश्न से संबंधित जो सूचना जिलाधीश से उपलब्ध हुई है उसके विस्तीर्ण होने के कारण उसका टाइप होना सम्भव नहीं है । अतः संबंधित सूचना खाद्य मंत्री के कार्यालय में देखी जा सकती है ।

९--श्री रामकिशोर वर्मा--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोयला देने के पूर्व कुछ ईंट भट्ठों की जांच नहीं कराई गई और उनको कोयले का कोटा दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां ।

ज्ञानपुर व गोपीगंज टाउन एरियाओं की सीमा

१०--श्री हरिगैन राम (जिला वाराणसी)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के टाउन एरिया, ज्ञानपुर के गोपीपुर व टाउन एरिया, गोपीगंज के पुरवे रघुनाथ व ककराही गांव टाउन एरिया से सटा हुआ है और न तो टाउन एरिया में हैं और न ग्राम सभा में है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--ग्राम गोपीगंज में दो पुरवे हैं । इसका एक पुरवा तथा इस ग्राम की कुछ भूमि टाउन एरिया, ज्ञानपुर की सीमा के भीतर है । ग्राम गोपीपुर का दूसरा पुरवा लगभग ३ फर्लांग की दूरी पर है जो टाउन एरिया में सम्मिलित नहीं है । इस पुरवे में कोई ग्राम सभा भी नहीं है ।

११--श्री हरीगैन राम--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त गांव ग्राम सभा के चुनाव और टाउन एरिया के चुनाव में मत देने से वंचित रह गये थे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां ।

१२--श्री हरिगैन राम--क्या स्वायत्त शासन मंत्री उन गांवों को टाउन एरिया में मिलाने पर विचार करेंगे और आगामी चुनाव में ये मतदाता भाग ले सकेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--सम्मिलित पुरवे को टाउन एरिया में मिलाने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त होने पर विधिवत् कार्यवाही की जायेगी ।

जौनपुर जिले में जंगल लगवाने का सुझाव

१३--श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में लकड़ी की कमी को देखकर सरकार द्वारा निम्नलिखित नदियों के किनारे किसी प्रकार का जंगल लगवाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों जैसे--(१) बसुही नदी के किनारे, (२) बनी नदी के किनारे, (३) पिली नदी के किनारे, (४) गोमती नदी के किनारे, (५) सई नदी के किनारे ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी नहीं ।

क्योंकि प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्र वन विभाग के अंतर्गत नहीं है । नदियों के किनारे की भूमि पर ग्रामीण काश्तकारों का अधिकांशतः कब्जा रहता है और वे उसमें विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे—खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि उगाते हैं । ऐसी परिस्थिति में इन क्षेत्रों पर वन लगाना साधारणतया सम्भव नहीं है ।

जगनेर में वृक्षारोपण

१४—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बतायेगी कि आगरा जिले के अगनेर नामक स्थान के पास वृक्षारोपण की कोई योजना सरकार द्वारा बनाई गई थी ? यदि हां, तो बाद में वह योजना समाप्त क्यों कर दी गई ?

श्री अलगूराय शास्त्री—आगरा जिले में अगनेर नामक कोई स्थान वन विभाग के पास नहीं है । माननीय सदस्य का तात्पर्य कदाचित जगनेर नाम के ब्लाक से है । उत्तर प्रदेश राजस्थान बार्डर एफोरेस्टेशन योजना के अन्तर्गत इस जगनेर नाम के ब्लाक में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया गया था ? और वह कार्य पूरा हो चुका है । अतः योजना को समाप्त कर दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

१५—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या सरकार बतायेगी कि योजना बनने के बाद अधिकारियों के आने-जाने आदि में कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री अलगूराय शास्त्री—उक्त वृक्षारोपण के अतिरिक्त जगनेर ब्लाक में अन्य विभागीय कार्य भी हैं जैसे Road side avenues तथा nursery इत्यादि । अतः अधिकारीगण इन सब कार्यों के निरीक्षण इत्यादि के लिये गये और यह बताना सम्भव नहीं है कि केवल उक्त वृक्षारोपण के लिये इनके आने जाने में कितना व्यय हुआ । हां, इस विशेष plantation के अन्तर्गत एक फारेस्ट गार्ड, जो कि इस वृक्षारोपण की देख-भाल के हेतु नियुक्त किया गया था उसके आने जाने में लगभग १,००० रु० कुल खर्च हुआ है ।

कन्नौज में जमीन पर नाजायज कब्जा

१६—श्री पातीराम अहरवार (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिला फर्रुखाबाद के कन्नौज नगर में एक बड़ा नाला शहर के बीच में से निकलता है जिस पर, शहर के अन्दर और बाहर देहाती क्षेत्र में एन्क्रोचमेंट, लोगों ने नाजायज रूप से कर लिये हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—शहर के अन्दर और शहर के बाहर देहाती क्षेत्र में एन्क्रोचमेन्ट किये गये हैं । नगरपालिका क्षेत्र के बाहर ज्यादा एन्क्रोचमेन्ट है । अध्यक्ष, नगरपालिका, कन्नौज तथा अध्यक्ष, जिला परिषद्, फर्रुखाबाद ने एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, ड्रेनेज स्कीम, एटा से प्रार्थना की है कि वे इस नाले के बहाव में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिये तथा इसका बहाव ठीक रखने के लिये इस नाले को रूरल ड्रेनेज स्कीम के अन्तर्गत लेने की कृपा करें । यह विषय इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, ड्रेनेज स्कीम, एटा के विचाराधीन है । अध्यक्ष नगरपालिका, कन्नौज ने अतिक्रमणकर्त्ताओं के विरुद्ध धारा १८६ तथा २११ म्युनिसिपल ऐक्ट के अन्तर्गत नोटिस जारी किये थे । परन्तु अतिक्रमण कर्त्ताओं का कहना है कि यह भूमि जमींदारों की है और वे उसका लगान अदा करते हैं । अध्यक्ष, नगरपालिका का कहना है कि यह नाला म्युनिसिपैलिटी की सम्पत्ति नहीं प्रतीत होती है । अभी तक नगरपालिका का कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो सका है । अध्यक्ष, जिला परिषद् का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस नाले पर किसी अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

फारेस्ट रोड पर व्यय तथा फारेस्ट गार्ड

१७—सरदार बलदेव सिंह तथा श्री सुखदेवप्रसाद—क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नार्थ गोंडा वनखंड से जंगली जानवरों द्वारा फसल की हानि होती है और उन जानवरों के रोकथाम के लिये सरकार कोई प्रबन्ध कर रही है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—नार्थ गोंडा वन खंड से जंगली जानवरों द्वारा निकटवर्ती फसल को कोई हानि नहीं हो रही है। अतएव रोकथाम के लिये प्रबन्ध करने का प्रश्न नहीं उठता।

१८—सरदार बलदेव सिंह तथा श्री सुखदेवप्रसाद—सन् १९४७-४८ में फारेस्ट रोड बनाने के लिये फी मील कितना रुपया दिया जाता था और आज १९६१-१९६२ में क्या दर है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—सन् १९४७-४८ में ६० रुपये से २०० रुपये तक और १९६१-६२ में ८५ रु० से ८०० रु० तक प्रति मील फारेस्ट रोड बनाने के लिये व्यय हुआ।

१९—सरदार बलदेवसिंह तथा श्री सुखदेवप्रसाद—फारेस्ट गार्ड के हलके में अधिक से अधिक कितना मील और कम से कम कितना मील जंगल रखवारी हेतु होता है और कौन-कौन से कार्य उसकी ड्यूटी में शामिल हैं ? साप्ताहिक छुट्टी दी जाती है या नहीं ?

श्री अलगूराय शास्त्री—फारेस्ट गार्ड का हलका औसतन घने बनों में ३ से ४ मील और जहां वन पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं या सड़कों के किनारे व नहरों के किनारे १० मील से २० मील तक होता है।

फारेस्ट गार्ड का काम अपने हल्के में नाजायज कटान, शिकार, चराई व जोत की रोकथाम करना, इन नाजायज कार्यों की रिपोर्ट करना व इसकी सूचना रेन्ज अफसर को देना, हल्के में आग लाइन कटाना, आग की रोक थाम करना, हल्के की सड़क व इमारत की मरम्मत की देखभाल करना, हल्के में चरने वाले पशुओं की शुमारी करना, जंगल की रक्षा करना, और सरकारी वस्तुयें व मशीनें अगर उसके अधिकार में हैं तो, उनकी रक्षा करना है।

फारेस्ट गार्ड को कोई साप्ताहिक छुट्टी नहीं दी जाती है।

सोरों नगरपालिका को अनुदान

२०—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार बतायेगी कि सोरों नगरपालिका, जिला एटा को १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में कितना-कितना और किन-किन कार्यों हेतु अनुदान दिया गया तथा क्या नगरपालिका ने वह सब कार्य पूर्ण किये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—(अ) प्रश्नोक्त वर्षों में नगरपालिका सोरों को निम्नलिखित अनुदान दिये गये, जिनके उद्देश्य भी साथ ही अंकित हैं—

वर्ष	अनुदान की धनराशि	उद्देश्य
१९६०-६१	१५,०००	हरिजनों के क्वार्टरों के निर्माण के लिये।
१९६१-६२	३७,६५०	सड़कों के निर्माण तथा रखरखाव के लिये।

(ब) हरिजनों के क्वार्टर बनाने के लिये दिये गये अनुदान को नगरपालिका ने दूसरे कार्यों में व्यय कर लिया है। सड़कों का निर्माण तथा रखरखाव वाले अनुदान को उपयोग करने की अंतिम तिथि ३१-३-६३ तक है।

२१—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेशीय सरकार का नगरपालिका पर कितना कर्ज है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रदेशीय सरकार का नगरपालिका पर अब कोई कर्ज बाकी नहीं है।

२२—श्री मतोला सिंह—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि १९६०-६१ और १९६१-६२ में दिये गये अनुदान की क्या-क्या शर्तें थीं तथा वे पूर्ण की गई अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—शर्तों की †तालिका संलग्न है। अनुदान की सब शर्तें पूरी नहीं हुई क्योंकि नगरपालिका ने अनुदान को दूसरे कार्य में व्यय कर लिया है। इस धन की क्षति पूर्ति नगरपालिका अपने धन से करेगी।

इलाहाबाद में कोयले की कमी

२३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार के पास इलाहाबाद में कोयले की भारी कमी की सूचना आई है ? यदि हां, तो उस कमी को दूर करने के लिये कौन से उपाय किये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां, आई है। ल्याजन आफीसर द्वारा ज्ञात हुआ कि ८० वैगन साफ्ट कोक अक्तूबर में तथा १०३ वैगन नवम्बर में, इलाहाबाद भेजा जा रहा है। जिसमें से ५१ वैगन साफ्ट कोक २० अक्तूबर, १९६२ को इलाहाबाद में प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त जिले के साफ्ट कोक कोटे को बढ़ाने की भी बात विचाराधीन है।

२४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस समय वहां कोयले का अभाव होने से कोयला बाजार में चोर-बाजार से बहुत ऊंचे भाव से बिक रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं।

२५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में कितना कोयला १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—१९६०-६१ में ५१६ वैगन तथा १९६१-६२ में ७१३ वैगन साफ्ट कोक इलाहाबाद को दिया गया।

गोरखपुर जिले में लोहा, सीमेन्ट, कोयला व टिन का बितरण

२६—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में लोहा, सीमेंट, कोयला तथा नालीदार टीन के अलग-अलग कौन-कौन स्टाकिस्ट है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ६३७-६३८ पर)

---

† छापी नहीं गई।

२७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या खाद्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में गत पांच वर्षों में लोहा, सीमेंट, कोयला तथा नालीदार टीन कितना-कितना, किस तहसील में बाढ़ क्षेत्र में बांटा या और किस-किस माध्यम से तथा कितना एलाट हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—निम्नलिखित वस्तुयें तहसीलदारों द्वारा बाढ़ क्षेत्र में वितरित की गईं :—

	१९६१-६२		१९६२-६३	
	सीमेंट	जी०सी०सीट	सीमेंट	जी०सी० सीट
	बोरी	टन.	वैगन	टन
सदर ..	२,३४७	११	२	४४
बांसगांव ..	४८०	११	१	माल आ गया है पर
महराजगंज ..	३,२९७	१०	१	वितरण अभी नहीं
फरेंदा ..	१,८५१	१०	१	हुआ है।

जो कोटा बाढ़ के लिये जिले को एलाट हुआ उसकी सूचना उपलब्ध नहीं है। इन दो वर्षों में बाढ़ क्षेत्रों में कोयला नहीं बांटा गया ।

सन् १९५८-५९, १९५९-६०, १९६०-६१ में बाढ़ का प्रकोप नहीं था अतः सीमेंट, लोहा व नालीदार टीन और कोयले क बाढ़ क्षेत्र में वितरण का प्रश्न नहीं उठता। वैसे सन् १९६०-६१ में १८० वैगन कोयला चूर, पलड कोटे के अन्तर्गत एलाट हुआ था जिसके विरुद्ध ५६ वैगन कोयला चूर प्राप्त हुआ जो सभी तहसीलों के भट्ठों को जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा वितरित किया गया।

वाराणसी जिले में बांधों की जमीन का पट्टा

२८—श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी) तथा श्री गिरधारीलाल—क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग, वाराणसी ने मौका बांध, हिमैया बांध, नौगढ़ बांध तथा चन्द्रप्रभा बांध तहसील चकिया, जिला वाराणसी की जमीन का पट्टा काश्तकारों को काश्त करने को दिया है ? यदि हां, तो कब तथा उक्त बांधों में अलग-अलग कितनी जमीन पट्टे पर कितने लोगों में वितरित की गई ? पट्टे का क्या आधार रहा है तथा उसमें भूमिहीनों की संख्या क्या है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—वन विभाग द्वारा केवल मौका बांध की ५० एकड़ भूमि, २ एकड़ प्रति व्यक्ति की दर से २५ भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टे पर दी गई है। इस भूमि के देने के निम्नलिखित आधार हैं:—

(१) जो व्यक्ति बांध के कारण भूमि के डूब जाने से भूमिहीन हो गये हैं।

(२) जिन व्यक्तियों की भूमि बांध में डूब जाने के कारण एक एकड़ से कम रह गई है।

(३) जो अन्य भूमिहीन हैं।

२९—श्री रामलखन वकील तथा श्री गिरधारीलाल—क्या उक्त पट्टों में सरकार को कोई नजराना भी मिला है तथा उक्त पट्टे कितनी सालाना प्रति एकड़ लगान पर दिये गये हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी नहीं।

मौका बांध में ५ रुपया प्रति एकड़ प्रतिवर्ष लगान पर पट्टा दिया गया है।

रामपुर, नजीबाबाद में सड़क न बन सकना

३०—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नजीबाबाद, जिला बिजनौर में रामपुरा मुहल्ले की सड़क, जो लगभग ३ वर्ष से खराब पड़ी है जनता की ओर से बार-बार ध्यान दिलाने पर भी वह, नहीं बनाई जा रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ईंट तथा रोड रोलर इत्यादि के अप्राप्य होने के कारण नगरपालिका द्वारा सड़क नहीं बनाई जा सकी है ।

सम्पूर्णानन्द कृषि एवं औद्योगिक कारागार शिविर में हस्तगत भूमि

३१—श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सम्पूर्णानन्द कृषि एवं औद्योगिक कारागार के शिविर के लिये सन् १९६० में कितनी भूमि मौजा नोलर खास में हस्तगत (एक्वायर) की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—१५२ एकड़ ।

३२—श्री मैनेजरसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उपरोक्त मौजे में हस्तगत की गई भूमि का मुआवजा संबंधित काश्तकारों को दिया गया ? यदि हां, तो कितना और कब ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—चूंकि संबंधित काश्तकार निर्धारित तिथि (३०-३-६२) को उपस्थित नहीं हुये अतएव मुआवजे की धनराशि २७२ रु० ७५ नये पैसे (सूद सहित) खजाने में जमा कर दी गई है जिसे काश्तकार तीन वर्ष के अन्दर किसी समय में ले सकते हैं। जो काश्तकार अवैधानिक रूप से भूमि पर काबिज थे उन्हें भूमि का कोई मुआवजा नहीं दिया गया ।

गाजियाबाद में सीमेंट का वितरण

३३—श्री तेजसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६०-६१ में गाजियाबाद नगर में कितनी सीमेंट कितने व्यक्तियों को मरम्मत के लिये तथा नये मकानों के लिये दी गई ? और इस समय नये मकानों के लिये कितनी सीमेंट के लिये कितने प्रार्थना-पत्र कब से एस०डी०एम०, Town Rationig Office के पास पड़े हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जो सूचना पहले दी गई थी उसकी प्रतिलिपि संलग्न है। सन् १९६०-६१ में मरम्मत तथा नये मकान बनाने के लिये ४,८०० प्रार्थियों को १३,३६३ बोरियां सीमेंट दी गईं। दिये गये सीमेंट तथा व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या देना संभव नहीं है क्योंकि जिला पूर्ति कार्यालय में इनको उस वर्ष में अलग-अलग हिसाब रक्खा गया । दी गई सूचना में मरम्मत अथवा नये मकान बनाने के आंकड़े सम्मिलित हैं।

सूचना संलग्न है और प्रार्थना-पत्र जो १९६०-६१ में प्राप्त हुये थे उनकी सूचना एकत्र की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ९३९ पर)

कारागार सिपाहियों तथा पुलिस सिपाहियों का वेतन

३४—श्री मुन्नूसिंह —क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो सिपाही कारागार विभाग में हैं तथा जो सिपाही पुलिस विभाग में हैं उनको दोनों के वेतन क्रम में कोई फर्क है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ?

श्री गोविन्दसहाय—जी हां। दोनों विभागों के सिपाहियों के वेतन-क्रम में फर्क है क्योंकि पुलिस और जेल दो अलग-अलग विभाग हैं। अतः उनके सिपाहियों के वेतन-क्रम में फर्क है।

३५—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—[१६ वें सोमवार के लिये प्रश्न १२ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया ।]

सहारनपुर नगरपालिका पर ऋण

३६—श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतायेंगे कि सहारनपुर नगरपालिका के जुम्मे सरकार का कितना-कितना धन किस-किस मद में कर्जे के रूप में वाजिब है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रश्नगत नगरपालिका के ऊपर ३१-३-६१ तक जो धन कर्जे के रूप में वाजिब था उसकी तालिका संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ६४० पर)

३७—श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि नगरपालिका सहारनपुर के हिसाब-किताब की जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा कराने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नगरपालिका के खिलाफ विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन पर जिलाधीश से रिपोर्ट मंगाई जा रही है । इस समय नगरपालिका के हिसाब-किताब की जांच कराने का शासन के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है ।

३८—श्री ऊदल—[१५ वें मंगलवार के लिये प्रश्न ६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

३९—श्री ऊदल—[१७ वें बुधवार के लिये प्रश्न ३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

तारांकित प्रश्न संख्या १० के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

रसद उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का संशोधन करना चाहता हूं । प्रश्न संख्या १० में श्री सहदेवसिंह जी ने एक अनुपूरक प्रश्न यह पूछा था कि किसको कितना कोयला मिला । मैंने उत्तर दिया, सूचना नहीं है । मेरे पास सूची है । यदि अध्यक्ष महोदय अनुमति दें तो उस सूची को पढ़ सकता हूं अन्यथा सदस्य महोदय मेरे आफिस में आकर उसे देख सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—हां, अगर वह न आ सकें तो आप लिखकर के दे दीजियेगा ।

प्रश्नों के संबंध में शिकायत

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—प्रश्नों के संबंध में मैं एक मिनट कुछ निवेदन करना चाहता हूं । आपका ध्यान मैं आज के इसी दसवें प्रश्न की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जैसा माननीय सहदेव सिंह जी ने कहा कि किन-किन लोगों को प्राइवेट भट्ठे दिये गये प्रश्न का यह अंश निकाल दिया गया । (व्यवधान) उनका प्रश्न था कि कितने प्राइवेट ईंट के भट्ठे चल रहे हैं और किन-किन के नाम । मेरी समझ से कितने भट्ठे चल रहे हैं, यह सूचना इतनी जरूरी नहीं है जितनी कि किन-किन के नाम, यह जरूरी है । संभव है इसके द्वारा वह किसी खास बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हों । लेकिन उनके प्रश्न का यह हिस्सा काट दिया और अक्सर ऐसा होता है कि प्रश्न काट दिये जाते हैं और कभी-कभी तो ऐसा हो जाता है कि संशोधन करके उसकी भाषा बिलकुल भ्रष्ट कर दी जाती है । तो या तो प्रश्न पूरे का पूरा अस्वीकार कर दिया जाय या फिर ऐसा न किया जाय कि कुछ उसमें रखा जाय, कुछ काट दिया जाय । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष—जहां तक प्रश्नों का विषय है अध्यक्ष को यह अधिकार है कि प्रश्नों में वह ऐसा परिवर्तन कर सकें कि जिससे वह स्पष्ट हो जायं या उसमें कोई अस्पष्टता हो तो वह दूर करें। अगर कोई बात ऐसी रह गई हो तो आप कृपा कर मुझ से मिल लें और गलती होगी तो उसे ठीक कर दिया जायगा।

सर्वश्री नरेन्द्रबहादुर सिंह, बदनसिंह, श्री रत्न शुक्ल और अब्दुल मजीद ख्वाजा के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब यह विधान सभा स्थगित हुई थी और आज जब यह फिर से बैठ रही है, इस बीच में हमारे इस सदन के एक माननीय सदस्य जो आजकल इस विधान सभा के सदस्य थे तथा तीन और माननीय सदस्य जो तीस, पैंतीस चालीस वर्ष के जमाने में समय-समय पर इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं उनका स्वर्गवास हो गया है। यह दुखद समाचार मैं आपके द्वारा सदन की जानकारी के लिये सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री नरेन्द्रबहादुर सिंह जी, श्री बदन सिंह जी, श्री रत्न शुक्ल जी और ख्वाजा अब्दुल मजीद जी, यह हमारे साथी जो हमारे प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते रहे हैं वह हमारे बीच से, इस बीच में जब हम उठे थे, संसार से बिदा हो गये हैं। नरेन्द्र बहादुर सिंह जी रायबरेली के निवासी थे, वकील थे और हमारे प्रदेश के अन्दर वह उन सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में से थे जो रायबरेली जिले में कई शिक्षा संस्थाओं से सम्बन्ध रखते थे और कई संस्थाओं के निर्माण करने में उनका भारी हाथ था। कई मर्तबा अपने विचारों के अनुकूल उन्होंने देश और समाज के समक्ष ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किये थे जो कि त्याग की भावना के परिचायक थे।

चौधरी बदन सिंह जी इस विधान सभा के उन सदस्यों में से रहे हैं जो सन् १९२३ में जब कांग्रेस ने कौंसिल में जाने की नीति का फैसला लिया था तब भी इस सदन के सदस्य चुने गये थे और उस समय से बराबर जब जब बदायूं जिले का प्रतिनिधि कांग्रेस की तरफ से चुनने का प्रश्न सामने आया तब तब वे कांग्रेस की तरफ से इस विधान सभा के सदस्य चुने गये। उसके उपरान्त वे सन् १९५२ से लोक सभा के सदस्य चुने गये और अभी तक, पिछले चुनाव के पूर्व तक, वह लोक सभा के सदस्य थे। हमारे रुहेलखंड डिवीजन में वह उन सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं में रहे जिन्होंने बहुत से लोगों को प्रेरणा प्रदान की और बहुत लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में लाने के अगुवा बने थे और आज से ४,५ महीने पूर्व तक वह सब को उत्साह और उमंग का परिचय देते रहे। जो सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति के जीवन में सहायता प्रदान करता है, सहयोग देता है और उनका अनुसरण करने के लिये दूसरों में भी तमन्ना पैदा करता है जिससे सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में अधिक से अधिक व्यक्ति और नवयुवक भारी संख्या में हमारे बीच में निकलें और उन बोझों को अपने कन्धों पर उठाने की क्षमता प्रदर्शित करें जो बोझ रोजमर्रा गणतन्त्र के जीवन में इस प्रदेश और देश की जनता के बीच में उभरते हुये दिखाई पड़ते हैं।

श्री रत्न शुक्ल जी कानपुर के निवासी थे और उन्होंने कानपुर के सार्वजनिक जीवन में वर्षों तक उन विचारों का नेतृत्व किया जो विचार सार्वजनिक जीवन में उन परम्पराओं को स्थापित करने में मदद पहुंचाते हैं जिनसे कि हमारा सार्वजनिक जीवन ऊपर उठे। वह एक जमाने तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य रहे। उसकी जो शिक्षा समिति थी उसके अध्यक्ष रहे और नगरपालिका की शिक्षा समिति के भी वह वर्षों तक अध्यक्ष रहे। सन् १९३७ से और उसके उपरान्त भी वह इस सदन के काफी वर्षों तक सदस्य रहे। कुछ दिनों से वे रुग्णावस्था में थे और वे अपनी बीमारी के कारण हमारे बीच से उठ गये।

ख्वाजा अब्दुल मजीद हमारे प्रदेश के उन मुसलमान साथियों में रहे हैं जिन्होंने सदा राष्ट्रीय विचारों का पोषण किया और उस समय जब कि मुसलमानों में राष्ट्रीय विचारों का

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

विरोध होता था तो वे राष्ट्रीय विचारों के पोषक और अगुवा बन कर इस प्रदेश के मुसलमानों में वह मोड़ प्रस्तुत करना चाहते थे कि जिसकी तहत में चलते हुये हमारे देश में एकता स्थापित रहे। उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जहां कभी कभी वे जनता के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य रहे, सदा इस बारे की कोशिश की कि वह संस्था प्रगतिशील और राष्ट्रीय विचारों को अपनाने वाली संस्था बने। वे अब शायद ८० वर्ष के थे, परन्तु अपनी इस अवस्था के रहते हुये भी, अपनी बीमारी के पूर्व सदा सार्वजनिक कार्यों में हिस्सा लेते रहे। वे निर्भीक थे। काफी समय तक इलाहाबाद में उन्होंने बैरिस्टर के रूप में राष्ट्रीय व्यक्तियों के मुकदमों में ऐपियर होकर इस बात का परिचय दिया कि वे सदा उन विचारों के पोषक हैं और पोषक रहेंगे कि जो विचार इस देश की राष्ट्रीयता को ऊंचा कर सकते हैं।

इस प्रकार से हमारे यह चारों साथी इस महीने के अन्दर हमारे बीच से उठ गये। उनके उठ जाने से हमारे देश के सार्वजनिक जीवन को धक्का लगा है क्योंकि आज यह देश काफी संख्या में जगह-जगह पर सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं की मांग रखता है और ऐसे कार्यकर्त्ताओं की मांग रखता है कि जो त्याग की प्रवृत्ति का परिचय दें, जो मुश्किलात और तकलीफों का मुकाबला करके हमारे बीच में ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते रहें कि जिनके पीछे सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेने वाले साथी चल सकें और एक नया नागरिक और सार्वजनिक जीवन हमारे प्रदेश में स्थापित हो सके। आज उनके निधन से हम सब दुखित हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन की समवेदना इन माननीय सदस्यों के परिवारों तक पहुंचाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप इस सदन की समवेदना इन चारों माननीय सदस्यों के परिवारों तक पहुंचाने की चेष्टा करेंगे और ऐसा करते हुये मैं आशा करता हूं कि हमें इन साथियों के उठ जाने से जो महान क्षति हुई है उसे सहन करने की क्षमता प्राप्त होगी।

इन चन्द शब्दों के साथ, इन महानुभावों के प्रति श्रृद्धांजलि अर्पित करते हुये, मैं आप से पुनः प्रार्थना करता हूं कि आप इस सदन की समवेदना इन साथियों के घर वालों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नरेन्द्र बहादुर सिंह, चौधरी बदनसिंह, श्रीरत्न शुक्ल तथा ख्वाजा अब्दुल मजीद, इन माननीय कार्यकर्त्ताओं, के निधन से एक बड़ा दुखद समाचार, एक बड़ी दुखद घटना, हम लोगों के सामने आई है। माननीय नरेन्द्र बहादुर सिंह को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और वर्षों से जानता हूं। वे इतने लोकप्रिय और सर्वप्रिय थे अपने जिले में कि उनके निधन का समाचार सुनते ही राय-बरेली नगर में एक अभूतपूर्व हड़ताल हुई। उसमें किसी को यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि तुम दूकान बन्द करो। यह बराबर इस बात का द्योतक है कि उनकी जन-सेवा का जो स्तर था, जो उनकी कल्पना थी, उसको उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ कर रखा था। एक प्रकार से जिसको अजातशत्रु कहा जा सकता है, जिसका एक-सा प्रेम हो, एक-सा आदर हो, एक-सी मान्यता हो, मतों और मन्त्रणाओं की विभिन्नता के बावजूद जो सबके हृदय को अपना-कर सर्वभूतेषु हो गया हो, आज एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीच से उठ गया है कि जिसकी अनुपस्थिति हम सब को कष्टदायक है। वे केवल अपने जिले में जनसंघ के ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज के सेवक थे। आज जिस संकटकाल से अपना राष्ट्र जा रहा है उसको देखते हुये जिन गुणों की आवश्यकता थी वे उनमें विद्यमान थे।

जिस समय काश्मीर में आन्दोलन चल रहा था तो वे वहां गये थे और उस आन्दोलन में सत्याग्रह किया तथा जेल गये। वहां से जब लौट कर आये तो मैं उनसे मिलने राय बरेली गया था। मैंने हंसी में ही कहा था कि आप तो काश्मीर घूम आये। इस पर उन्होंने हंसते हुये ही कहा कि नहीं मैं तो अपने कर्तव्य का पालन करने गया था। आज उनकी जैसी कर्त्तव्य-निष्ठा की नितान्त आवश्यकता है। आज हमें अपना सब कुछ अपनी मातृभूमि के लिये उत्सर्ग

करने की आवश्यकता है, अपने प्राणों तक की बाजी लगा देने की आवश्यकता है। आज समाज के प्रति और देश के प्रति हमारा जो कर्त्तव्य है उसके लिये हमको माननीय नरेन्द्र बहादुर सिंह जी से प्रेरणा लेनी होगी। उनके दृष्टिकोणों को अपनाना होगा। हमको अपनी सेवाओं के बदले में कोई कीमत नहीं मांगनी होगी। किन्तु निष्काम कर्म में विश्वास रख कर ही हमें उनके पदचिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। आज उनके निधन से जनसंघ को ही नहीं वरन् सभी लोगों को दुख हुआ है। आज इस प्रकार के समाज सेवी व्यक्तियों की ही हमको आवश्यकता है। उनके सर्वप्रिय होने के कई उदाहरण हमारे सामने हैं। वे कई वर्षों तक लगभग १२-१२ और १५-१५ वर्षों तक कालेजों और अनेक सामाजिक संस्थाओं के मन्त्री और सभापति रहे थे—जैसे लालगंज बेसवाड़ा इन्टरमीडियेट कालेज आदि। आज एक महान् व्यक्ति जो कि अत्यन्त प्रतिभाशाली और समाज सेवी एवं कर्मठ था, उस व्यक्ति का निधन हो गया है। किसी के गुणों का सच्चा बखान तो केवल इतिहास ही कर सकता है परन्तु जिस व्यक्ति के गुण सर्वमान्य हों उसके सर्वमान्य गुणों की चर्चा अवश्य होनी चाहिये। हम लोगों के बीच में वे जब तक रहे उन्होंने किसी से रोष नहीं किया, किसी से क्रोध नहीं किया और सबसे हंसकर बोले। मृदुभाषी और मितभाषी यह गुण उनके अन्दर प्रस्फुटित थे। आज समाज की क्राइसिस के काल में सब प्रकार के गुणों का समन्वय करते हुये, कर्मठ जीवन जो आदमी बिता सके, आज उसी की आवश्यकता है और वे हमारे माननीय सदस्य इसी प्रकार के व्यक्ति थे, कर्त्तव्य और कृतत्व के मूल्य को जिन्होंने साकार कर दिया। इसलिये मैं समझता हूं कि हमारे श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह जी को उसका अवश्य श्रेय है, क्योंकि उनके व्यवहार का, उनके आचार-विचार का, जो भी लोग उनके सम्पर्क में आये उन पर प्रभाव पड़ा और उसका उन्हें अनुभव हुआ।

श्रीमन्, स्वर्गीय श्रीरत्न शुक्ल जी से मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध था और उनके बारे में मेरी अच्छी जानकारी है। वे राष्ट्रहित का चिंतन करनेवाले व्यक्तियों में से थे और जब मैं ८-९ वर्ष का था तभी से मैं उनको जानता हूं, वे जौनपुर में बहुत आते जाते रहते थे। वे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और जो भी शिक्षा वे बच्चों को देते थे उसके पीछे एक प्रखर राष्ट्र प्रेम की भावना निहित रहती थी। आज की परिस्थिति में यदि इस प्रकार के व्यक्ति हमारे बीच से उठ जायं तो यह हमारे लिये बड़े दुख की बात है और समाज को एक धक्का देने वाली बात है। आज के संकट के समय ऐसे लोगों की अत्यन्त आवश्यकता है उनका इस समय उठ जाना हमारे सब के लिये एक दुर्भाग्य की बात है। किन्तु, ईश्वर का विधान है, हम लोग कर ही क्या सकते हैं।

चौधरी बदन सिंह तथा ख्वाजा अब्दुल मजीद साहब के सम्बन्ध में जो भी शब्द और भावनायें माननीय मुख्य मन्त्री जी की ओर से व्यक्त की गयी हैं मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम सब की समवेदना और सहानुभूति उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। मैं जनसंघ की ओर से और अपनी ओर से एक बार पुनः चारों महानुभावों—सर्वश्री नरेन्द्र बहादुर सिंह, बदन सिंह, श्री रत्न शुक्ल, तथा ख्वाजा अब्दुल मजीद—के प्रति समवेदना अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हम लोगों की समवेदना उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। ईश्वर हमको भी इतना बल दे कि हम सब इस दुख को सहन कर सकें और जो आदर्श वे अपने पीछे छोड़ गये हैं उनका सफलता-पूर्वक पालन कर सकें।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन तथा माननीय नेता विरोधी दल ने जो अपने विचार इन चारों महानुभावों के प्रति यहां व्यक्त किये हैं, उनकी भावनाओं से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मेरा व्यक्तिगत रूप से परिचय इन चारों महानुभावों में से चौधरी बदन सिंह जी से रहा है। नरेन्द्र बहादुर सिंह जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

इस सदन के सदस्य थे, परन्तु यह मेरा दुर्भाग्य रहा कि मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय करने का अवसर नहीं आया। उनके जिन गुणों की चर्चा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने और माननीय दूबे जी ने की है उनके कारण वे याद रखने योग्य हैं और किसी भी व्यक्ति के लिये इतने लम्बे अर्से तक शिक्षा संस्थाओं का नेतृत्व करना ही उसके बड़े भारी गुणों का विशेष परिचय देता है। जिस प्रकार की झगड़ालू प्रवृत्ति शिक्षा संस्थाओं में देखने को मिलती है, उसको देखते हुये इतने समय तक उनमें निर्वाह करना उनके विशेष गुणों का द्योतक है।

माननीय बदन सिंह जी हमारे देश के उच्च सेवकों में से थे और राष्ट्र भक्ति की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। उन्होंने अपनी सारी जिन्दगी देश की सेवा में ही लगायी थी उनके सोचने का ढंग राष्ट्र सेवा का ढंग था। वे वयोवृद्ध थे, किन्तु आज के नाजुक वक्त में उनका रहना अत्यन्त आवश्यक था। उनकी वाणी में इतना बल था, सोचने और बोलने में वे इतने सशक्त थे और विवेकपूर्ण थे कि उनसे आज राष्ट्र को बहुत अधिक बल मिल सकता था।

ख्वाजा अब्दुल मजीब साहब का नाम इस वक्त आने पर मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा भारी राष्ट्रभक्त हमारे बीच से उठ गया है। जब कभी किसी राष्ट्रभक्त के ऊपर कोई संकट आता था तो ख्वाजा साहब का नाम लिया जाता था। हम लोगों को बरेली के जेलखाने में रफी साहब के साथ कुछ दिनों तक रहने का अवसर मिला था। जब किसी राजनैतिक कैदी के ऊपर मुसीबत की बात आती थी तो रफी साहब ख्वाजा अब्दुल मजीद साहब का नाम लिया करते थे और किसी प्रकार से चिट्ठी उनके पास भेजा करते थे और फिर ख्वाजा साहब की ओर से जो लोगों को मदद मिला करती थी वह एक अजीब बात थी। बरेली में उस वक्त मशहूर सुपरिन्टेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट जेल थे। वे उसी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे जिसको ख्वाजा साहब करते थे, लेकिन उनका नाम सुनकर वे ऐसा कांपते थे कि १५-२० साल बाद आज भी मुझे वह खूब याद है। ऐसे राष्ट्रभक्त का इस समय हमारे बीच से उठ जाना एक बड़े दुःख का कारण है। उनके गुणों और भावनाओं से, जो भी उनके साथ रहे होंगे, उन्होंने अवश्य ही प्रेरणा प्राप्त की होगी और अवश्य ही उससे देश का भला हुआ होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुये मैं चारों महानुभावों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी समवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी और माननीय नेता विरोधी दल ने जो आज अपने उद्गार स्वर्गीय नरेन्द्र बहादुर सिंह, चौधरी अब्दुल मजीद साहब, श्रीरत्न शुक्ल तथा चौधरी बदन सिंह जी के असामयिक निधन पर प्रकट किये हैं, उनके साथ मैं अपनी और अपने दल की ओर से भावनाओं को सम्बद्ध करता हूं। यह अत्यन्त दुःख का विषय है कि आज जिनसे हमें बहुत ही रहनुमाई की आवश्यकता थी वे ही आज हमारे बीच से उठ गये हैं। यह सही है कि इसमें हमारा कोई चारा नहीं है, लेकिन इंसान दुनिया से दो प्रकार से उठता है। एक तो आदमी अपने भौतिक शरीर से उठता है और दूसरे अगर उसका नाम निशान भी मिट जाता है तो वह सदा के लिये उठ जाता है। इस प्रकार उसकी विचारधारा उठ जाने से उसका नामोनिशान मिट जाना बुरा होता है। अभी माननीय गेंदासिंह जी ने चौधरी अब्दुल मजीद साहब के बारे में बताया। बदन सिंह साहब के बारे में टीकाराम जी बदायूं मुझे कभी-कभी बताया करते थे कि वे एक महान देशभक्त थे, हजारों लोग उनसे प्रेरणा लेकर आजादी की लहर में बहे। ऐसे संकट के समय ऐसे लोगों के असामयिक निधन से हमें बड़ा दुःख है। आज जब कि हिमालय पर चल रहे कुचक्र से भारत माता पुकार रही है, मुझे विश्वास है कि उसके संरक्षण के हेतु ऐसे महानुभावों की कुर्बानियों से हम शिक्षा प्राप्त करेंगे। अतः श्रीमन्, आप हमारी ओर से हमारे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार वालों को, समवेदनायें भेज देने की कृपा करें।

*श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---अध्यक्ष महोदय, सर्वश्री नरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रत्न शुक्ल, चौधरी बदन सिंह और ख्वाजा साहब के निधन से वास्तव में हमारे देश को बहुत आघात पहुंचा है। ऐसे संकट के समय में जब कि इतने अनुभवी और जनप्रिय नेताओं की विशेष आवश्यकता थी जो हमें आपस में संगठित रहने का उपदेश देते, आज उनका हमारे बीच से हटना हमारे लिये और आघात हो गया। इन चारों व्यक्तियों को मैं जाती तौर से जानता हूं। जहां तक श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह जी का सम्बन्ध है, वास्तव में वे एक बहुत ही सौम्य, सज्जन और लोकप्रिय व्यक्ति थे। उनके जिले के ही नहीं, बल्कि जिन लोगों से उनका थोड़ा बहुत सम्पर्क रहा है, उनके प्रति उनकी हमेशा श्रद्धा व सद्भावना रही है। जहां तक चौधरी बदन सिंह जी का सम्बन्ध है, जब से मैंने सार्वजनिक जीवन में कदम रखा, तब से हमारा उनका सम्पर्क रहा है और सम्पर्क ही नहीं बल्कि उनकी बहुत सी बातों में मुझे प्रेरणा मिलती रही है। वे सदैव एक राष्ट्रभक्त और कर्मठ कार्यकर्त्ता रहे हैं, कांग्रेस संगठन में उन्होंने काफी ऊंचा काम किया है। इस सदन में भी मेरा उनका साथ रहा है और मैं यह कह सकता हूं कि ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में बहुत कम रह गये हैं। ख्वाजा साहब और श्री रत्न शुक्ल जी से भी इस सदन में मेरा सम्पर्क रहा है और उनके प्रति हम लोगों की भावनायें बहुत ऊंची रही हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इन चारों मृतात्माओं के परिवारों तक हमारे दल की तथा हमारी समवेदना पहुंचाने की आप कृपा करेंगे।

*श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल की तरफ से इस सदन के दुःख और अफसोस में शरीक होना चाहता हूं। मैं इन चारों हस्तियों में से दो हस्तियों को तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, चौधरी बदन सिंह और ख्वाजा अब्दुल मजीद साहब को। उनके बारे में मैं क्या कहूं? मेरा ख्याल है, इस सदन में हमारे बहुत पुराने साथी हैं जिनको वह दिन याद हो, जब कि पुलिस के और दुश्मन अंग्रेजी सरकार के मुकाबले में खड़ा होना कोई आसान बात नहीं थी, उस समय जब एक मामूली भाषण की बिना पर, एक तकरीर की बिना पर लोगों को दफा १२४(ए०) में जिन्दगी कैद की सजा दी जाती थी, उस जमाने में चौधरी बदन सिंह हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन में एक खूंटे की तरह खड़े रहे। वे मेरे बहुत ही नजदीक के दोस्त थे, मेरे रफीक थे। उनकी कुर्बानियों से व उनके भाषणों को सुन कर हजारों नौजवानों ने राष्ट्रीय आन्दोलन में आगे कदम बढ़ाया और उनको मुल्क की खिदमत करने की एक प्रेरणा दी। वे पुरानी हस्तियों में थे और मैं समझता हूं कि पुराने राष्ट्रीय कारकुन उनकी सेवा को कभी भूल नहीं सकते।

वह एक जमाना था कि जब मुस्लिम लीग का तूफान था और ऐसे लोगों को जैसे ख्वाजा साहब को गद्दार व दुश्मन कहा जाता था? उस समय वे इलाहाबाद में प्रैक्टिस करते थे और यू० पी० भर में वे कौमी तहरीक में मजबूती के साथ झंडा लेकर खड़े रहे और उस परिस्थिति में मुस्लिम फिरकापरस्तों का डट कर मुकाबला किया। जो दूसरे दो सज्जन श्री रत्न शुक्ल व श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह का सम्बन्ध है, उनको मैं जाती तौर पर तो जानता नहीं हूं, लेकिन उनके बारे में मैंने सुना है कि वे बड़े अच्छे राष्ट्रीय कारकुन थे और कौमी खिदमात से आज उनका चला जाना हमारे लिये दुख का बायस बन गया है। हमें दुख है और हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से और हमारे दल की तरफ से उन मृत व्यक्तियों के खानदानों को हमारा पैगाम भेज दें कि हमें अफसोस है, हमें परेशानी है कि ऐसी ऐसी बड़ी हस्तियां हमारे बीच से चली गयीं। हम उम्मीद करते हैं कि इस दुख की हालत में इससे उनको अमन चैन मिलेगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब्दुल मजीद साहब अलीगढ़ के रहने वाले थे और जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा और मुख्य मन्त्री जी ने कहा सही है। उनकी मृत्यु से अलीगढ़ जिले को ही नहीं बल्कि प्रदेश और भारत भर की बड़ी हानि हुई है। ख्वाजा साहब उन व्यक्तियों में से थे जो अप्रत्यक्ष रूप से बहुत से सामाजिक काम किया करते थे। साम्प्रदायिकता के खिलाफ जो लड़ाई उन्होंने लड़ी उसे सब जानते हैं, आजादी की

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री नेकराम शर्मा]

लड़ाई में जो उनका योग रहा उसको सब जानते हैं और यही कारण था कि नेहरू जी जब कभी भी अलीगढ़ आते थे तो वह ख्वाजा साहब के यहां ही ठहरते थे। वह अलीगढ़ से गुजरते तो बिना ख्वाजा साहब से मिले नहीं जाते थे। उन्होंने अपने बच्चों और लड़कियों के नाम तक हिन्दू नाम जैसे गीता ख्वाजा जैसे रखे थे। उनका ख्याल था और वह समझते थे कि देश में तब तक राष्ट्रीयता नहीं आयेगी जब तक इस तरह के मिले जुले नाम नहीं रखे जायेंगे। जो कुछ उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई के लिये और प्रदेश के लिये किया है वह चिरस्मरणीय रहेगा।

चौधरी बदन सिंह जी बदायूं के केसरी कहलाते थे। जिस निर्भीकता से वह अंग्रेजों से लड़े वह सब को मालूम है। बदायूं और अलीगढ़ की सीमा पर उन्होंने एक हाई स्कूल की स्थापना भी की। समाज सेवा और आजादी की लड़ाई में एक बड़े सेनानी के रूप में उनका योग रहा है। वह अपना सारा समय किसानों और गरीबों की सेवा में गुजारते थे और यही कारण है कि जब तक बदायूं जिला रहेगा उनका नाम अमर रहेगा।

सर्वश्री श्री रत्न शुक्ल तथा नरेन्द्रबहादुर सिंह जी भी नहीं रहे, इसका हमें दुख है। ऐसे ऐसे महारथी रोज चले जाते हैं, इस एक मास में हमारे यहां ४ साथी चले गये इसका हमें बहुत ही अफसोस है। जो विचार यहां व्यक्त किये गये उनसे सम्बद्ध होकर मैं अपने दल की ओर से और व्यक्तिगत रूप से निवेदन करता हूं कि आप हमारी समवेदना और सहानुभूति उन संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—जो कुछ यहां इन चार महानुभावों के सम्बन्ध में अभी कहा गया है उस सब से मैं अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। दुनिया के कारवां में हमारे साथी एक एक कर के गिरते जाते हैं, लेकिन वह वीर पथिक जो हमारे कारवां के विभिन्न अंचलों का नेतृत्व करते रहे हैं उनके बिछुड़ जाने से एक रिक्तता आती है और उसको पूरा करने में समय भी लगता है। और कठिनाई भी होती है। उससे कारवां उतना ही क्षतिग्रस्त और दुखी हो जाता है। इस दृष्टि से हम इन चारों महानुभावों के स्वर्गवास से दुःखी हैं और संतप्त हैं। इस सदन की समवेदना मैं संतप्त परिवारों के पास भेज दूंगा और उनके प्रति श्रद्धांजलियां अर्पित करने के लिये हम दो मिनट के लिये खड़े होते हैं।

(सभी सदस्य अपने अपने-स्थान पर २ मिनट के लिये खड़े हुये।)

डिलिमिटेशन आफ पार्लियामेन्टरी ऐन्ड असेम्बली कांस्टीटूएन्सीज आर्डर, १९६१, १३—उत्तर प्रदेश

न्याय मंत्री के सभासचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसारित "डिलिमिटेशन आफ पार्लियामेंटरी ऐन्ड असेम्बली कांस्टीट्यूयेन्सीज आर्डर, १९६१, १३ उत्तर प्रदेश" को "टू मेम्बर कांस्टीट्यूयेन्सीज अबालिशन ऐक्ट, १९६१" की धारा ७ की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कठिनाइयों को दूर करने का) (तृतीय आदेश, १९६२†

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४५६७—ए ३३—७५—आर—६२, दिनांक २ नवम्बर, १९६२ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कठिनाइयों को दूर करने का) (तृतीय) आदेश, १९६२ को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम की धारा २७२ की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली नें प्रख्यापित संशोधन*

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में, राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४६२३/१—क—३६०३—५६, दिनांक २६ सितम्बर, १६६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १६५६ की धारा ८६ की उपधारा (६) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (समितियों का निर्माण) नियमावली, १६६२†

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—श्रीमन्, मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४८६१—ए/३३—२०—आर—६१, दिनांक १४ नवम्बर, १६६२ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (समितियों का निर्माण) नियमावली, १६६२ को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १६६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (कार्यवाहियों का संचालन) नियमावली, १६६२†

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—श्रीमन्, मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४७७२—ए/३३—२५—आर—६१, दिनांक १४ नवम्बर, १६६२ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (कार्यवाहियों का संचालन) नियमावली, १६६२ को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १६६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (कार्यवाहियों का संचालन) नियमावली, १६६२†

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४८६२—ए/३३—२५—आर—६१, दिनांक १४ नवम्बर, १६६२ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (कार्यवाहियों का संचालन) नियमावली, १६६२ को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १६६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १६६२

सचिव, विधान सभा—माननीय अध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १६६२, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे ६४१—६४२ पर)

---

*छापे नहीं गए ।
†छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा--माननीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे ९४३-९५३ पर)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा--माननीय अध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) विधेयक, १९६२, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ९५३--९७४ पर)

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर विधेयक, १९६२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १७ सितम्बर, १९६२ की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के ४ अक्तूबर, १९६२ को वापस प्राप्त हो गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ३० अक्तूबर, १९६२ को प्राप्त हो गई है और वह १९६२ का, उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया ।

हिन्दू मैरेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा--मैं घोषणा करता हूं कि हिन्दू मैरेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १० सितम्बर, १९६२ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २० सितम्बर, १९६२ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति १ नवम्बर, १९६२ को प्राप्त हो गई और वह १९६२ का, उत्तर प्रदेश का तेरहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा--माननीय अध्यक्ष, मैं घोषणा करता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) विधेयक, १९६२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ४ सितम्बर, १९६२ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २० सितम्बर, १९६२ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति ७ नवम्बर, १९६२ को प्राप्त हो गई है और वह १९६२ का, उत्तर प्रदेश का १४ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२-६३ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२-६३ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६२, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २ नवम्बर, १९६२ की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के ९ नवम्बर, १९६२ को वापस प्राप्त हो गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २३ नवम्बर, १९६२ को प्राप्त हो गई है। और वह १९६२ का उत्तर प्रदेश का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८-५९ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८-५९ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २ नवम्बर, १९६२ की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के ९ नवम्बर, १९६२ को वापस प्राप्त हो गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २४ नवम्बर, १९६२ को प्राप्त हो गई और वह १९६२ का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विधेयक, १९६२, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १८ सितम्बर, १९६२ की बैठक में पारित किया था और जिसमें उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा १ नवम्बर, १९६२ को कुछ संशोधन किये गये थे तथा जिन संशोधनों को विधान परिषद् ने अपनी ५ नवम्बर, १९६२ की बैठक में स्वीकार किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २३ नवम्बर, १९६२ को प्राप्त हो गई और वह १९६२ का उत्तर प्रदेश का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

डिलिमिटेशन आफ पार्लियामेन्टरी ऐन्ड असेम्बली कान्स्टीटुएन्सीज आर्डर, १९६१, १३ उत्तर प्रदेश के संबंध में स्पष्टीकरण

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---यह जो माननीय न्याय मंत्री जी ने टू मेम्बर कांस्टीट्युएंसीज (अबोलीशन) ऐक्ट, १९६१, हमारे सामने रखा है इसका उद्देश्य क्या है ? कोई कागज हमारी मेज पर या तो सूचना मात्र रखा जाता है या हमारी राय की आवश्यकता हो तो रखा जाता है। अगर कानून की दृष्टि से इसकी कोई आवश्यकता है तो हमको बतलाया जाय ताकि हम लोग उसका लाभ उठा सकें। यह शायद पुराना वाला है और १९६२ में इसके अनुसार चुनाव भी हो चुके। तो चुनाव हो जाने के बाद इसके रखने का क्या उद्देश्य है ?

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)---इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा है कि आर्डर को फिर से सदन की मेज पर रख दिया जाय।

श्री यादवेन्द्रदत (जिला जौनपुर)---अभी न्याय मंत्री ने यह कहा कि इलेक्शन कमिश्नर का आदेश आया है कि फिर से इसे पेश कर दिया जाय तो क्या कभी यह पेश किया जा चुका था ?

श्री गेंदासिंह---मैं इस पर आपत्ति करता हूं और मैं समझता हूं कि यह समय से नहीं आया तो उसका कारण बतलाया जाय और उसका परिहार किया जाय।

श्री चन्द्रसिंह रावत---मैं पढ़े देता हूं जो इस प्रकार है।

Subject : —**Delimitation Order—Two Member Constituencies (Abolition) Act, 1961—implementation of ,**

"With reference to your letter no. EC—2598/CEO—509-61, dated the 16th October, 1962, on the subject mentioned above I am directed to say that a copy of the Delimitation Order, 1961 is required to be placed on the table of the Legislative Assembly under sub-section (2) of section 7 of the Two-Member Constituencies (Abolition) Act, 1961. It is requested that early arrangements may be made to lay a copy of the said Order on the table of the Legislative Assembly in the ensuing session and the Commission informed of the action taken in the matter."

श्री अध्यक्ष---न्याय मंत्री जी कृपया आप उसका अनुवाद हिन्दी में कर दीजिये और जिस पत्र को आपने पढ़ा है उसकी तिथि बतला दीजिये ।

श्री चन्द्रसिंह रावत--तिथि तो है २३ अक्तूबर, १९६२ और हिन्दी अनुवाद उसका इस प्रकार है कि दफा ७, सब-सेक्शन (२) के मातहत टू मेम्बर कांस्टीटुएंसीज एबालिशन ऐक्ट, १९६१ को फिर से असेम्बली में पेश कर दिया जाय और इसकी सूचना इलेक्शन कमीशन को दे दी जाय ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---मैंने जो पहले प्रश्न किया उन्होंने उसको फिर दोहराया कि फिर से पेश किया जाय । तो क्या यह मेज पर रखा जा चुका है । या मंत्री जी स्वयं उस पर तैयार नहीं हैं या कोई और गहन विषय उनके सामने है, आखिर क्या बात है, साफ साफ बतायें ?

श्री गेंदासिंह---माननीय न्याय मंत्री जी ने जो चिट्ठी पढ़ी अगर मैं उसका अनुवाद ठीक समझ पाया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इसको आप सदन में रखिये और यह भी इत्तला कीजिये कि उस पर क्या कार्यवाही हुई । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि न्याय मंत्री जी क्या कार्यवाही कराना चाहते हैं सदन से ?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)---इसमें यह कार्यवाही हुई कि यह कागज मेज पर रख दिया गया और इलेक्शन कमीशन सिर्फ इतना ही चाहता है । २३ अक्तूबर के बाद असेम्बली चूंकि नहीं रही थी इसीलिये यहां रखने का मौका नहीं था । उसकी मंशा सिर्फ यह है कि यह कागज सदन की मेज पर रख दिया जाय ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---यह सफाई तो बहुत दूर की है ।

श्री अध्यक्ष--उग्रसेन जी आप बैठ जाइये । सीधी बात यह है कि न सरकार को यह मालूम था और न कमीशन को मालूम था । यह प्रतीत होता है कि किसी ने कमीशन का ध्यान आकर्षित किया कि अमुक दफा का कार्यान्वयन नहीं हुआ है । तो उन्होंने इस असेम्बली को सूचना दे दी कि फलां धारा के अन्तर्गत इसको असेम्बली के सामने रखना चाहिये । उस गलती का परिशोध हो रहा है । अब इससे कोई लाभ नहीं है कि हम कोई बात कहें । दोनों की गलती थी । अब यह समाप्त हो गया ।

श्री गेंदासिंह---मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आपने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया । अपने ऊपर आप कतई न लें । अगर इलेक्शन कमीशन ने भूल की तो उसको स्टेट गवर्नमेन्ट को पत्र में लिखना चाहिये था और माननीय न्याय मंत्री जी को यह कहना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष---मैं तो कह रहा हूं कि यह भूल है । वह अपने मुंह से न कहें तो हमारा कन्विक्शन तो हो गया । वह इस पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं, खत्म हो गया ।

श्री उग्रसेन---सरकार की भूलों को आप कब तक अपने जिम्मे लिया करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर के बैठ जाइये । हम लोग यहां एकत्र इसलिये नहीं होते हैं कि इन बातों में फंस जायं कि यह गलती हुई, वह गलती हुई । गलती हुई, यह स्पष्ट है । अगर आप समझते हैं कि इस गलती के आधार पर सरकार को कोई दंड दिया जाय तो न हमें शोभा देगा न आपको शोभा देगा । एक गलती हुई वह सदन को मालूम हो गयी, सब को मालूम हो गई और मैं समझता हूं कि अब इस विषय को समाप्त कीजिये ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—इस बात की सफाई क्या हुई जैसा कि न्याय मंत्री जी ने कहा कि यह सदन में पेश किया जाता है ? कोई विषय सदन में सूचनार्थ उपस्थित करना और पेश करना, मैं समझता हूं कि इन दोनों में कुछ अन्तर है । मंत्री जी की तरफ से तीन बार कहा गया कि यह सदन में पेश किया जा रहा है । तो पेश करने के क्या अर्थ हुये ? और पेश करने के बाद यह हाउस की प्रापर्टी हो गया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि हाउस इस पर बहस करेगा या क्या करेगा ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—शायद "सूचनार्थ" शब्द वे भूल गये ।

श्री अध्यक्ष—देखिये, समय नष्ट न करें । साफ लिखा है कि मेज पर रखा जाता है । जिस प्रकार से दूसरी सूचनायें रखी गई हैं उसी प्रकार से यह भी रखा गया है, जिस प्रकार से दूसरी बातों पर वाद विवाद नहीं होता है उसी प्रकार से यहां यह रखा गया है । अब शब्दों को न पकड़िये । न्याय मंत्री जी पहले से सोचे हुये नहीं थे । आपने एक प्रश्न कर दिया और उन्होंने कुछ कह दिया, इसका यह अर्थ नहीं था कि बहस हो ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—कार्य-स्थगन प्रस्ताव दो-तीन मेरे पास आये हैं । मैंने उनके ऊपर आदेश लिख दिया है, मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा हूं ।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत दो सूचनायें आई हैं । एक तो रामकिशोर जी की है और दूसरी गेंदासिंह जी की है । गेंदासिंह जी की सूचना को मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है । शिक्षा मंत्री जी यहां पर शायद नहीं हैं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, यह पहली बार नहीं है कि जब हाउस में बिजनेस है तो मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं । इसका मतलब क्या मैं यह समझूं कि हाउस की मीटिंग ऐट दि लेजर आफ दि गवर्नमेन्ट होती है ?

श्री अध्यक्ष—यह गलत होता है । इसीलिये मैं सचिव से पूछ रहा था कि किस वक्त यह शिक्षा मंत्री जी के पास भेजा गया था । करीब ११ बजे यह मंत्री जी के पास भेजा गया ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, गेंदासिंह जी की क्या सूचना है, इसको बता दिया जाय । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर केवल वक्तव्य देने के लिये कहा गया तो हमें प्रश्न पूछने में दिक्कत हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझ गया । सूचना इस प्रकार से है कि....

"देवरिया जिले के "फतह मेमोरियल हायर सेकेन्डरी स्कूल तमकुही" गत ६ नवम्बर से प्रबंध समिति के विवाद के फलस्वरूप बन्द है । बावजूद जिले के अधिकारियों के प्रयत्न के अब तक स्कूल के लगभग ६०० विद्यार्थी तथा अध्यापक मारे मारे फिर रहे हैं । स्कूल की फीस व्यर्थ में उनसे मांगी जायगी जब कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा उत्तीर्ण होने में इतने

[श्री अध्यक्ष]

दिन तक स्कूल बंद रहने के कारण असाधारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अतः शीघ्र स्कूल खुलवाने और कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण तथा आवश्यक विषय की ओर माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।"

स्ट्रिक्टली सूरत यह है कि सरकार का इससे सीधा सम्बन्ध नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण होने के कारण और शिक्षार्थियों का समय व्यर्थ नष्ट होने के कारण मैंने इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है और मेरा ऐसा विश्वास है कि शिक्षा मंत्री जी वक्तव्य देंगे। अगर कोई ऐसी बात देखेंगे कि स्पष्ट नहीं है तो प्रश्न कर सकेंगे।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों के संबंध में जानकारी

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--श्रीमन्, मैंने चीन के सम्बन्ध में एक काम रोको प्रस्ताव दिया था.....

श्री अध्यक्ष--अब आप बैठ जाइये। किन कारणों से मैंने अस्वीकार किया है उस पर आदेश लिख दिया है। आप कृपया उसको देख लीजिये और फिर हम बातचीत कर लेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र--श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता था कि उत्तर प्रदेश.....

श्री अध्यक्ष--अब आप बैठ जाइये काशीनाथ जी। इसमें कुछ सुनना नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र--इस पर मैं सदन का ध्यान दिलाऊंगा....

श्री अध्यक्ष--आप कृपया बैठिये।

श्री काशीनाथ मिश्र--श्रीमन्, काम रोको प्रस्ताव से नहीं होगा तो कैसे होगा इसको बताइये तो।

श्री अध्यक्ष--यह आप मुझ से कमरे में आकर पूछें तो बताऊंगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--मैंने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष--आप भी वही करने लगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--आप मेरी भावनाओं को सुन लें फिर जैसी आप आज्ञा देंगे वह शिरोधार्य होगी। उसमें मैंने एक खास बात का जिक्र किया है। कारखाने की जो चीजें हैं उनकी ३० परसेंट कीमत बढ़ रही है। मैं चाहता हूं, आज डिफेंस आफ इंडिया ऐक्ट लागू है, मैं आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्री जी से क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि आखिर चीजों का भाव उठता जा रहा है, उसको रोकने के लिये क्या व्यवस्था हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूं। आप रूल आउट कर दें कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मैं उस पर स्पष्ट आदेश लिख चुका हूं। उस पर मैंने संकेत कर दिया है कि प्रश्नों से यह विषय स्पष्ट हो सकता है। आप आ कर देखिये तो सही।

श्री काशीनाथ मिश्र--मैंने आपका आदेश देखा है। मैं समझता हूं कि बड़ा ही अहम मसला है और इस पर आप का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा पर.....

श्री अध्यक्ष--काशीनाथ जी, बैठ जाइये। आप बैठ जाइये।

श्री काशीनाथ मिश्र--यह सवाल इस सदन में कैसे आयेगा ?

श्री अध्यक्ष—जी हां, आप नहीं पूछ सकते। आप कमरे में पूछ सकते हैं। आप बैठ जाइये।

लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट, राज्य मद्य निषेध बोर्ड तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये सदस्यों के निर्वाचन का कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष—एक सूचना आपको देनी है। लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के ५, राज्य मद्य निषेध बोर्ड के ४ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्ट के ५ सदस्यों के निर्वाचन के लिये नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय क्रमशः ३ नवम्बर, १९६२ और ५ नवम्बर, १९६२ के सायंकाल ५ बजे तक के लिये नियत था। उक्त समय तक अतिरिक्त नाम वापस नहीं लिये गये हैं। अतः निर्वाचन आवश्यक हो गया था, किन्तु इस आशय से कि यदि सम्भव हो सके तो निर्वाचन निर्विरोध हो जायं, मैंने नामों की वापसी का समय ४ दिसम्बर, १९६२ को सायंकाल ४ बजे तक के लिये बढ़ा दिया है और यदि उस समय तक भी अतिरिक्त नाम वापस न हुए तो निर्वाचन ६ दिसम्बर, १९६२ को दिन के १२ बजे से ५ बज सायंकाल तक विधान वाचनालय में होगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में सदस्यों द्वारा दिये गये धन के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—माननीय घासीराम जी ने मुझे एक पत्र लिखा है। "जिला इटावा के आयोजित कृषि प्रदर्शनी में दिनांक २९ नवम्बर, १९६२ को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय श्री कमलापति त्रिपाठी जी के तत्वावधान में मैंने एक घोषणा की थी कि :—

"चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण का कड़ा जवाब देने के लिये तथा सीमा पर लड़ रहे भारतीय जवानों की सुरक्षा एवं सेवा के हेतु जब तक भारत भूमि पर चीन का पैर रहेगा तब तक अपने सदस्य विधान सभा के सेवा काल तक अपने मासिक वेतन से जनवरी, १९६३ से प्रति मास ५१ रु० कटौती कर मुख्य मंत्री के सुरक्षा कोष में स्वेच्छा से धन देता रहूंगा तथा मेरा लड़का उदय बीरसिंह, छात्र कक्षा ९, गवर्नमेंट इंटर कालेज, इटावा जो इस समय एन० सी० सी० की ट्रेनिंग ले रहा है उसे भी देश की सेवा के निमित्त सरकार जिस प्रकार से उसकी सेवा से लाभ उठाना चाहे देश को अर्पण कर दिया है।"

वह धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—यह तो घासीराम जी का सवाल है। जब तक कांग्रेस सरकार रहेगी चीन.....

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये।

१७ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न ३९–४१ से संबंधित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

वन मन्त्री के समा सचिव श्री हरीदत्त कांडपाल—अध्यक्ष महोदय, दिनांक १७ सितम्बर, १९६२ को श्री चन्द्रजीत यादव द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३९–४१ के संबंध में श्री झारखंडे राय ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि अभी हाल में जब लखनऊ में प्रशासकीय अधिकारियों की कानफ्रेन्स हुई थी, मुख्य मंत्री जी, की अध्यक्षता में, तो उसमें वन विभाग के अधिकारियों ने कहा था कि कुछ अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी वन विभाग के नियमों को तोड़ कर जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और इस सिलसिले में पंडित जवाहर लाल नेहरू का भी कोई पत्र या परिपत्र आया है ? यदि हां, तो क्या ?

[श्री हरीदत्त काण्डपाल]

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि परिपत्र जवाहरलाल जी का आया है। उत्तर में हमने हां कहा है। यह भी सही है कि उच्चाधिकारियों के सामने यह बात आई थी, अन विभाग के अधिकारियों ने इसका जिक्र किया था। हम इस विषय में जागरूक हैं और चेतावनी देते हैं कि इस तरह की बातें न करें।

उक्त उत्तर का प्रथम वाक्य ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है--"परिपत्र वास्तव में स्वयं प्रधान मंत्री जी का नहीं है। अपितु भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि प्रधान मंत्री को इन नियमों के उल्लंघन संबंधी सूचना मिली है और उनको इस पर अत्यधिक क्षोभ है।"

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ९७४ पर)

सदन का भावी कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष--माननीय सूचना मंत्री, अब आप सप्ताह का कार्यक्रम बताइएगा ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस अधिवेशन का जो कार्यक्रम है वह सदन को सूचित करना चाहता हूं। वह इस प्रकार है--

१--उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेन्ट्स ऐन्ड बैटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर विचार एवं पारण।

२--उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार एवं उसका पारण।

३--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६२, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है पर विचार एवं उसका पारण।

४--उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२ पर विचार एवं उसका पारण।

५--उत्तर प्रदेश स्टैम्प्स (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर विचार एवं उसका पारण।

यह इस प्रकार कार्यक्रम रहेगा।

सुरक्षा समितियों के संगठन के संबंध में जिलाधीशों को जारी किये गये परिपत्र के बारे में जानकारी

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से। अभी जब मैं जिले में था तो मुझे यह सूचना मिली है कि सरकार की तरफ से एक कान्फिडेंशियल सर्क्युलर ईश्यू किया गया है प्रदेश के तमाम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को और उस सर्क्युलर में साफ तरीके से सरकारी अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा समितियां बन रही हैं और जो उसका कार्य चल रहा है देहाती क्षेत्रों में, उसमें केवल कांग्रेस मैनों को लेकर के कार्य किया जाय। यह विशेष तौर से साफ साफ लिखा हुआ है कि कांग्रेसमैनों को साथ में लेकर ही जिला अधिकारी ब्लाकों के स्तर पर सुरक्षा का कार्य करें और हमारे जिले में ऐसी चीज है। इस तरह की प्रणाली मैं समझता हूं ठीक नहीं है और हम लोग हालांकि जिला सुरक्षा समितियों में रक्खे हैं, लेकिन मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं आपके द्वारा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है यह सारे राष्ट्र का प्रश्न है, सारे राष्ट्र पर यह संकट आया हुआ है, तो आप इसका स्पष्टीकरण करा दें कि ऐसा सर्क्युलर ईश्यू हुआ है या नहीं ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—श्रीमन्, माननीय नरसिंहनारायण ने जिस प्रश्न की चर्चा की, ज्यादा उचित होगा कि इसके संबंध में जो सर्कुलर ईश्यू किये गये हैं उनको देखने के बाद ही कल इस संबंध में प्रामाणिक तौर से कोई बात कही जाय । लेकिन मैं यह समझता हूं कि अब तक की नीति यह रही कि जहां तक सुरक्षा के प्रयत्नों का संबंध है उसमें सभी दलों का पूर्णतया सहयोग हासिल किया जाय । इस सर्क्युलर के बारे में कल कोई बात कहना ज्यादा उचित होगा ।

श्री उग्रसेन द्वारा जानकारी की मांग

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं यह जानकारी आपके द्वारा माननीय सूचना मंत्री से चाहता हूं कि जो कार्यक्रम अभी उन्होंने सदन के समक्ष रखा है उस पर परामर्श-दात्री समिति जो सदन की है उसमें विचार हो गया है ?

श्री अध्यक्ष—अभी नहीं ।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—श्रीमन्, कल मीटिंग बुलायी थी । लेकिन आपने निश्चय किया था कि आज इस पर विचार कर लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—हां, या तो बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में बुला लूंगा या वह मीटिंग जो मैंने बुलायी है उसमें इस पर विचार कर लिया जायगा । मैं समझता हूं आपको भी निमंत्रण गया होगा । उसमें बैठकर तय कर लेंगे ।

उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेंन्टस ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६२

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेंट्स ऐंड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Bill, 1962] को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेंट्स एन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Bill, 1962] को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—वह बिल अभी तक मिला नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—मुझे यह सूचना मिली है कि वह शायद डिस्ट्रीब्यूट को हो चुका है ।

श्री नेकराम शर्मा—वह अभी तक मुझे मिला नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—वह बिल अभी तक मिला नहीं है । पीजियन होल में भी वह नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष—यह हो सकता है कि अभी तक वह वहां न पहुंचा हो ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मैं उत्तर प्रदश इंटरटेनमेंट्स एन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Bill, 1962] को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ९७५ पर)

श्री अध्यक्ष—यह बहुत छोटा-सा बिल है । मैं समझता हूं इस पर अधिक समय नहीं लगेगा ।

श्री नेकराम शर्मा—यह चाहे कितना ही छोटा बिल हो लेकिन जो हमारे रूल्स हैं १६४ और १६५ उनके अनुसार इसके लिये दो दिन का समय मिलना चाहिये । इस कारण आज इस पर बहस नहीं हो सकती है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—आज इस पर विचार नहीं हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—मेरा विचार था कि जो हमारे विभिन्न दलों के नेता हैं उनसे परामर्श हो जाय, लेकिन वह सब नहीं आ सके । माननीय गेंदासिंह जी थे । उनका खयाल था कि इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । केवल एक छोटा-सा उसमें संशोधन है । अगर आदरणीय सदस्य, जो विरोधीदल के हैं, उनको आज विचार करना स्वीकार नहीं हो तो इसको मैं कल के लिये रख दूंगा ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मेरा निवेदन यह है कि आप बिल तो अभी दे दें और अगर माननीय सदस्य चाहें तो सदन को इस समय स्थगित कर दें और २ बजे के बाद इस पर विचार कर लें क्योंकि इसमें बहुत छोटी-सी बात है ।

श्री उग्रसेन—नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—इसमें छोटा-सा संशोधन है । आध घंटे का समय उस पर लगेगा तो वह आज नहीं तो कल हो जाय । अगर माननीय सदस्य आज इसको नहीं चाहते हैं तो कल आध घंटे में यह हो जायेगा । इससे नियम का पालन भी हो जायगा । इस पर कल विचार हो जायगा ।

(इसके बाद सदन १२ बजकर ४२ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ
३ दिसम्बर, १९६२ ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८४ पर]

सेमरियावां ब्लाक में १९६१–६२ में जिन लोगों को टिन शीट दिया गया उसका विवरण

क्र० सं०	प्राप्त कर्ता का नाम मय पता	टिन की मात्रा जो दी गई	दिये जाने की तिथि
		मन सेर	
१	श्री मु० मुसलिम, ग्राम सैंथवलिया ..	३	११–५–६१
२	श्री अब्दुल रऊफ, ग्राम करमाखान ..	३ ,,	११–५–६१
३	श्री निजामुद्दीन, ग्राम उसरा सईद ..	३ ,,	११–५–६१
४	श्री नुरुल हसन, ग्राम सेमरियांवां ..	३ ,,	३०–७–६१
५	श्री मतीउल हक, ग्राम विगरामीर ..	८ ,,	२५–७–६१
६	श्री मु० मुस्तफा, ग्राम बाघनगर ..	२० ,,	१५–५–६१
७	श्री फुजेल अहमद, ग्राम विगराभीर ..	८ ,,	२५–७–६१
८	श्री नवाब अली, ग्राम बाघनगर ..	६ ,,	११–५–६१
९	श्री मु० हद्दीस, ग्राम वासिन ..	४ ,,	१०–६–६१
१०	श्री फते मुहम्मद प्रधान, ग्राम करमारखान	५ ,,	३०–७–६१
११	श्री हमीदुल्लाह, ग्राम उसरा सईद ..	२ ,,	३०–७–६१
१२	श्री हाजी अब्दुल मजीद, ग्राम सेमरियांवां	१२ २०	२५–४–६१
१३	श्री मौलवी, मु० उमर ग्राम सेमरियांवा	३० ,,	३०–७–६१
१४	श्री अब्दुल हकीम, ग्राम सेमरियांवा ..	१० ,,	३०–७–६१
		१०७ २०	

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८७ पर]

संलग्नक "क"

नगरपालिका सहारनपुर को दिये गये अनुदानों का विवरण

कार्य जिनके लिये अनुदान दिया गया	१९५८–५९	१९५९–६०	१९६०–६१	१९६१–६२
	रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०
१—नगरपालिका के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के लिये सरकारी सहायता ।	..	..	..	..
	१,१८,१०८.७८	१,४९,१२०.४४	१,९८,३८६.१९	२,४२,९५६.००
२—शिक्षा कार्यों के लिये अनुदान	१,४१,८१९.५२	१,६७,५७२.४४	१,५२,२६७.००	३,०३,०२९.००
३—जन-स्वास्थ्य कार्यों के लिये अनुदान	..	..	१०,१९७.००	..
४—कुछ अधिनियमों के अधीन जुर्मानों से होने वाले आय की हानि के कारण दिया जाने वाला अनुदान	१३,६६९.००	१९,५३९.००	६,६८५.००	१२,३७८.००
५—उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम पास हो जाने के कारण आय की हानि को प्रतिकर करने के लिये दिया जाने वाला अनुदान ..	५,७३०.००	५,७३०.००	५,७३०.००	५,७३०.००
६—पाव धोई नदी के बांध के कुछ भाग के रखरखाव के लिये दिया जाने वाला अनुदान	६००.००	६००.००	६००.००	६००.००
७—हरिजनों का क्वार्टर बनाने के लिये दिया जाने वाला अनुदान ..	..	..	१,५०,०००.००	..
८—बाल्मीकि कालोनी बनाने के लिये दिया गया अनुदान ..	..	..	१,००,०००.००	..
९—सड़कों के निर्माण तथा रख-रखाव के लिये दिया जाने वाला अनुदान	४४,५००.००	१,४२,९००.००	१,६१,१००.००	१,६२,१००.००
१०—हाथ गाड़ी तथा व्हील बैरो खरीदने के लिये दिया गया अनुदान ..	१६,४८०.००	..	..	..

संलग्नक 'ख'

नगरपालिका सहारनपुर को दिये गये ऋणों का विवरण

कार्य जिनके लिये ऋण दिया गया	१९५८–५९	१९५९–६०	१९६०–६१	१९६१–६२
	रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०
१—नगरपालिका के निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिये	..	..	८०,०००	..
२—सहारनपुर ड्रेनेज स्कीम के लिये	..	..	..	४,००,०००.००

लोक भवन विधान सभा

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८९ पर]

जो भट्ठे नहीं चल रहे हैं उनकी सूची

१—मेसर्स बदरी नाथ कपूर
२— ,, भागीरथ प्रसाद शर्मा
३— ,, भुल्लन सिंह महेन्दर कुमार
४— ,, दलेलसिंह
५— ,, बलवन्त दयाल दादू
६— ,, चानन दास गुरदास मल
७— ,, काली चरन उर्फ कल्यान सिंह
८— ,, प्यारे लाल हरबन्स सिंह
९— ,, उजागर मल जैन
१०— ,, प्यारे लाल हरी दास
११— ,, शिव नाथ सिंह त्यागी
१२— ,, गिरवर सिंह दलेल सिंह
१३— ,, हरद्वारी लाल जैन
१४— ,, हरधियान सिंह जैन एन्ड कं
१५— ,, लक्ष्मन सिंह अमीर सिंह
१६— ,, मुन्शीसिंह

(जिला मेरठ)

१७—मेसर्स प्रभुदयाल एन्ड कम्पनी
१८— ,, राम एन्ड सन्स
१९— ,, मुख राम एन्ड सन्स
२०— ,, श्याम स्वरूप गर्ग
२१— ,, रूरल ब्रीक सप्लाई कं०
२२— ,, लोती राम गोयल
२३— ,, राम स्वरूप
२४— ,, जयपाल सिंह
२५— ,, राम स्वरूप शर्मा
२६— ,, चरन सिंह
२७— ,, धर्मवीर सिंह
२८— ,, हरसरन दास

(जिला मुजफ्फरनगर)

१—हुक्म सिंह, ग्राम राजहर
२—विशम्भर दत्त, ग्राम पामनौली

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३६(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६२ पर]

प्रदेश में गत वर्ष पांच वर्षों में निम्नलिखित वन खंड खोले गये हैं। इन खण्डों से प्रति वर्ष जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ है और इनमें जो व्यय हुआ है, उसकी सूचना प्रत्येक खंडों के सम्मुख अंकित है :—

वन खण्ड का नाम	वर्ष जिसमें खोले गये और जो आय व्यय से सम्बन्धित हैं	प्राप्त रेवेन्यू	व्यय
१	२	३	४
१—चीफ वाइल्ड लाईफ वार्डेन (वन खंड)	१६५८	रु०	रु०
	१६५८–५६	८,७१३.००	३,६३,५८७.००
	१६५६–६०	३८,०६२.००	३,७५,७७८.००
	१६६०–६१	४६,८०८.००	३,६४,६६५.००
	१६६१–६२	३,२२५.००	६३,६२६.००
२—वन प्रसार खंड	१६५६		
(वन प्रसार कार्यालय, लखनऊ)	१६५६–६०	..	६,६८८.००
	१६६०–६१	..	४५,१४६.००
	१६६१–६२	..	१,२७,७७७.००
३—अतिरिक्त कार्य योजना वृत जिसके अन्तर्गत निम्नलिखत चार नये खंड खोले गये हैं।	१६६१		
(क) अतिरिक्त अनुसंधान खंड			
(ख) टेहरी कार्य योजना खंड	१६६१–६२	..	२,६३,१५५.००
(ग) बांदा योजना खंड			
(घ) वन अनुसंधान सर्वे खंड			
(१) स्टेट सर्वे ..	१६६१–६२	..	३६,४१८.००
(२) उत्तराखंड सर्वे ..	१६६१–६२	..	४३,३४४.००
	१६६१		
४—वृक्षारोपण खंड, हलद्वानी ..	१६६१–६२	२१,२११.००	१०,७२,७८०.००
५—भूमि संरक्षण खंड, रानीखेत ..	१६६१		
	१६६१–६२	..	१,४६,५००.००
६—दक्षिणी गोंडा वन खंड ..	१६६१		
	१६६१–६२	१५,७४,४२६.००	४,०१,७६६.००

अलगूराय शास्त्री,
वन मंत्री।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९५ पर)

१९६१–तथा ३१–८–६२ तक की अवधि में विदेश जाने वाले वन अधिकारियों के नाम तथा देशों और समय का विवरण इस प्रकार है :—

१—श्री रघुबीर चन्द सोनी, मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश

दिनांक २६–५–६१ से १–६–६१ तक, जिसमें उनकी यात्रा के दिन भी सम्मिलित हैं। वे भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने पश्चिमी जर्मनी में 'Seminar on Forestry in Tropical Countries' में सम्मिलित हुये।

२—श्री एस० एम० सिवतैन, अरण्यपाल।

दिनांक ६–११–६१ (अपरान्ह) से ३–९–६२ तक Commonwealth Forestry Ins itute Oxford में Post Graduate Study Course के लिये युनाइटेड किंगडम गये थे। इस अवधि में यात्रा के दिन तथा ट्रेनिंग की समाप्ति के बाद विदेश में तथा इस देश में जाने पर उनकी छुट्टी की अवधि भी सम्मिलित है। इस ट्रेनिंग के सिलसिले में श्री सिवतैन निम्नलिखित देशों में गये :

(१) फ्रांस	..	२०–३–६२ से ६–४–६२ तक।
(२) पश्चिमी जर्मनी	..	२४–६–६२ से २६–६–६२ तक।
(३) स्वीट्जरलैन्ड	..	२६–६–६२ से २९–६–६२ तक।
(४) इटली तथा सिसली और सारडीनिया द्वीप।		२९–६–६२ से १६–७–६२ तक।
(५) यूनाईटेड किंगडम		शेष समय।

श्री सिवतैन ७–४–६२ से १२–४–६२ तक जब कि उनके Oxford के Institute में छुट्टियां थी, Belgium और Holland अपने खर्चे से गये। उन्होंने इस काल में बनों Tractors द्वारा वन कार्य तथा अन्य कलों के प्रदर्शनों को देखा।

(६) इनकी ट्रेनिंग १७–७–६२ को रोम में समाप्त हुई और उसी दिन से छुट्टी पर चले गये और ४–९–६२ को इस प्रदेश में अपनी ड्यूटी पर वापस आ गये। इस छुट्टी की अवधि में श्री सिवतैन इटली, मिश्र, ईरान तथा पाकिस्तान गये।

३—श्री के० एम० तिवारी, उप अरण्यपाल

दिनांक १०–६–६१ से १–८–६१ तक रूस में 'Logging and floating of Timber' की ट्रेनिंग में थे। इस अवधि में उनकी तैयारी तथा यात्रा के दिन भी सम्मिलित हैं।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०० पर)

कारागारों में चालू उद्योग की सूची

१—केन्द्रीय कारागार, आगरा	..	दरी, हथकरघा वस्त्र, कालीन (ऊनी एवं सूती), मूंज और सन का काम, कम्बल, चमड़ा का काम, अम्बर प्रोग्राम, साबुन और फिनायल, नेवाड़, सूत तथा कपड़ों की रंगाई ।
२—केन्द्रीय कारागार, बरेली	..	दरी, कालीन, हथकरघा वस्त्र, मूंज और सन का काम, कम्बल, लकड़ी के फर्नीचर, नेवाड़, अम्बर प्रोग्राम और साधारण खेल-कूद के सामान ।
३—केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़	..	दरी, कालीन, हथकरघा वस्त्र, मूंज और सन का काम, टेन्ट का काम, उद्यान छाता (Garden umberallas) सूत की रस्सी, नेवाड़, वार्डरों के लिये छाता, अम्बर प्रोग्राम और रंगाई धुलाई छपाई ।
४—केन्द्रीय कारागार, वाराणसी	..	दरी, कालीन, हथकरघा वस्त्र, नेवाड़, मूंज और सन का काम, पीतल का काम, लकड़ी के फर्नीचर, अम्बर प्रोग्राम ।
५—केन्द्रीय कारागार, नैनी	..	दरी, कालीन, हथकरघा वस्त्र, मूंज और सन का काम, लकड़ी के फर्नीचर, लोहे के तार, सूत की रस्सी और नेवाड़, अम्बर प्रोग्राम और बम्बे का काम (Plumbering) महिला बंदियों को सिलाई और बुनाई का काम ।
६—आदर्श कारागार, लखनऊ	..	दरी, हथकरघा उद्योग, तेल पेरना, सूत तथा कपड़ों की रंगाई करना, सूती पट्टियों का निर्माण, सीमेन्ट के गमलों का निर्माण बैन्डेज और गाज का कपड़ा ।
७—जिला कारागार, आगरा	..	दरी, हथकरघा वस्त्र, मूंज और सन का काम, अम्बर प्रोग्राम और नेवाड़ ।
८—जिला कारागार, अलीगढ़	..	दरी, नेवाड़, हथकरघा वस्त्र, मूंज और सन का काम और अम्बर प्रोग्राम ।
९—जिला कारागार, बरेली	..	उपर्युक्त
१०—जिला कारागार, वाराणसी	..	दरी, नेवाड़ और मूंज का काम ।
११—जिला कारागार, फैजाबाद	..	उपर्युक्त और अम्बर का कार्यक्रम ।
१२—जिला कारागार, गोंडा	..	उपर्युक्त और चेक का काम ।
१३—जिला कारागार, गोरखपुर	..	दरी, नेवाड़, हथकरघा वस्त्र, मूंज और अम्बर प्रोग्राम ।
१४—जिला कारागार, लखनऊ	..	उपर्युक्त
१५—जिला कारागार, मेरठ	..	दरी, कालीन, नेवाड़, हथकरघा वस्त्र, मूंज और सन का काम, अम्बर प्रोग्राम, वर्धा कोल्हू, तेल पेरना, अम्बर विद्यालय ।
१६—जिला कारागार, रायबरेली	..	दरी, हथकरघा वस्त्र, मूंज का काम, अम्बर प्रोग्राम ।

१७—जिला कारागार, सीतापुर	..	दरी, हथकरघा वस्त्र, मूंज का काम, अम्बर प्रोग्राम
१८—जिला कारागार, उन्नाव	..	दरी, मूंज और सन का काम, सिलाई का काम और डाक के थोले, सिलाई मशीन की मरम्मत का कारखाना।
१९—जिला कारागार, आजमगढ़	..	मूंज का काम, दरी और नेवाड़।
२०—जिला कारागार, बहराइच	..	उपर्युक्त
२१—जिला कागार, बांदा	..	उपर्युक्त
२२—जिला, कारागार बाराबंकी	..	उपर्युक्त
२३—जिला कारागार, बस्ती	..	उपर्युक्त
२४—जिला कारागार, बिजनौर	..	उपर्युक्त
२५—जिला कारागार, बदायूं	..	उपर्युक्त और अम्बर का काम।
२६—जिला कारागार, एटा	..	उपर्युक्त
२७—जिला कारागार, इटावा	..	उपर्युक्त
२८—जिला कारागार, फतेहगढ़	..	उपर्युक्त
२९—जिला कारामार, फतेहपुर	..	उपर्युक्त
३०—जिला कारागार, गाजीपुर	..	उपर्युक्त
३१—जिला कारागार, हरदोई	..	उपर्युक्त
३२—जिला कारागार, जौनपुर	..	उपर्युक्त, कुर्सी बनाना
३३—जिला कारागार, झांसी	..	उपर्युक्त
३४—जिला कारागार, खेरी	..	उपर्युक्त
३५—जिला कारागार, मैनपुरी	..	उपर्युक्त
३६—जिला कारागार, मुरादाबाद	..	उपर्युक्त और अम्बर का काम
३७—जिला कारागार, मथुरा	..	उपर्युक्त उपर्युक्त
३८—जिला कारागार, प्रतापगढ़	..	उपर्युक्त ,,
३९—जिला कारागार, रामपुर	..	उपर्युक्त ,,
४०—जिला कारागार, सहारनपुर	..	उपर्युक्त ,,
४१—जिला कारागार, शाहजहांपुर		उपर्युक्त ,,
४२—लिला कारागार, सुल्तानपुर	..	इस जेल में टी० बी० से पीड़ित बन्दी ही रक्खे जाते हैं इसलिये कोई उद्योग नहीं चालू है।
४३—जिला कारागार, देवरिया	..	मूंज, नेवाड़ और अम्बर प्रोग्राम।
४४—जिला कारागार, देहरादून	..	सन का काम, बेत के फर्नीचर और रेशम के कीड़े पालना।
४५—किशोर सदन, बरेली	..	चमड़े का काम, लाख के खिलौने, सिलाई और पेंसिल का काम, कपड़े की बुनाई।
४६—रिफर्मिटरी स्कूल, लखनऊ	..	नेवाड़ बनाना, चमड़े का काम, और लकड़ी का काम।
४७—नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ	..	सिलाई और कांच के सामान बनाना।

बाकी दस जेलों में केवल मूंज या सन का काम होता है।

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०३ पर)

दिनांक १-४-६२ से ३०-६-६२ तक जिलाधीश एवं जिला पूर्ति अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा दिये गये सीमेन्ट के परमिट जोकि ५० बोरी के ऊपर के थे की सूची

क्रम-संख्या	किसको दिया गया		कितना दिया गया	किसने दिया
१	२		३	४
१	केन डेवलपमेन्ट कौंसिल, बिलारी	..	१००	जिलाधीश
२	जिला पशुधन अधिकारी, मुरादाबाद	..	१००	,,
३	जोया ब्लाक	..	१००	,,
४	सम्भल कोल्ड स्टोरेज	..	१००	,,
५	बी० डी० ओ० डिलारी	..	१३०	,,
६	सैन्ट मेरी कानवेन्ट	..	८०	,,
७	कुन्दन शुगर मिल्स, अमरोहा	..	१०० + १००	,,
८	बी० एन० बैहल, मुरादाबाद	..	१००	जिला पूर्ति अधिकारी
९	श्री जगदीश सरन रस्तोगी	..	१००	,,
१०	अन्तरिम जिला परिषद्, मुरादाबाद	..	१००	,,
११	डी० आई० जी०, पी० टी० सी०, मुरादाबाद		१००	,,
१२	श्री गिरधरदास पीरवाल	,,	१०० + १००	,,
१३	श्री जगदीशसरन टण्डन	,,	१०० + १००	,,
१४	श्री के० एल० नरूला	,,	१००	,,
१५	श्री जी० डी० सालूजा	,,	२०० + २००	,,
१६	डा० जगन्नाथ	,,	१००	,,
१७	श्री मो० इशाक	,,	७०	,,
१८	श्री जैमल सिंह	,,	८०	,,
१९	श्री चमनलाल चड्डा	,,	२००	,,
२०	श्री धन्ना सिंह	,,	१००	,,
२१	श्री विजय नरायन कपूर	,,	१००	,,
२२	श्री भगवानदास	,,	६०	,,
२३	श्री भगवानदास कपड़े वाले	,,	७६	,,
२४	श्री देवराज	,,	८०	,,
२५	श्री ओंकार सरन	,,	१००	,,

नत्थी 'ब'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०३ पर)

सूची

निम्नलिखित बन्दियों को औद्योगिक शिक्षा दी गई है :—

		१९६०	१९६१	१९६२
१—दरी बनाना	.. ..	६	१०	१६
२—मूंज की चटाई बनाना ३—सन की चटाई बनाना	..	२५	३७	४६
४—निवाड़ बनाना	.. ..	८	११	१४
५—कुर्सी बुनना	.. ..	२	४	३

विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०७ पर)

गोरखपुर जिले के सीमेंट स्टाकिस्टों की सूची तथा उनका पूरा पता

१--भानमल गुलजारीमल, गोरखपुर।
२--डी० सी० डी० एफ० मोरारका मिल, गोरखपुर।
३--प्रेमलाल सिंघानी, सिसवा
४--मदनलाल मुरारीलाल, गोरखपुर।
५--गप्पूलाल चुन्नीलाल, बरहलगंज, गोरखपुर
६--कन्नीलाल हनुमानदास, पिपराइच
७--बसराजराम काशी प्रसाद, परतवान
८--बंसराजराम काशीप्रसाद, निचलौल
९--किशोरीलाल वुद्धिमन, गोरखपुर
१०--जयबोधराम मंगल सेन, गोरखपुर।
११--डी० सी० डी० एफ०, सहजनवां
१२--विभूती राम गोमतीराम, आनन्द नगर
१३--ठाकुर प्रसाद महादेव प्रसाद, गोरखपुर
१४--नन्दलाल जायसवाल, गोरखपुर
१५--विभूतीराम पारसनाथ, गोरखपुर
१६--साधूशरण पान्डे, आनन्द नगर
१७--बंशीधर सागरमल, गोरखपुर
१८--गोरखपुर ट्रेडिंग एजेन्सी, गोरखपुर
१९--भगवती प्रसाद नेबूलाल, गोरखपुर
२०--रघुनाथप्रसाद मारकण्डे चन्द, गोला
२१--पन्ना सायकिल स्टोर्स, नौतनवां
२२--सेन्ट्रल ट्रेडिंग कम्पनी, अलीनगर
२३--श्यामसुन्दर कपिलदेव, गोरखपुर
२४--सत्यनारायण प्रसाद, बरहलगंज
२५--काशीलाल हरीलाल, खजनी
२६--राधाकिशन विमलकुमार, गोरखपुर
२७--मथुरा प्रसाद पांडेय, पीपीगंज
२८--गोरखपुर आयरन ऐन्ड हार्ड वेयर स्टोर, गोरखपुर।
२९--रामदयाल हीरालाल, गोरखपुर
३०--छोटेलाल परमेश्वर लाल, गोरखपुर
३१--मुन्नीलाल मोतीलाल, गोलघर
३२--सनेहीलाल महाबीर प्रसाद, पिपराइच
३३--महाबीरप्रसाद, चौलनियां
३४--सीताराम बिहारीलाल, नौतनवां
३५--बिहारीलाल मुरलीधर, सिसवा
३६--बालमुकुन्द भागीरथी, सहजनवां
३७--विनोदकुमार प्रमोदकुमार, बरहलगंज
३८--रामकुमार कैलाशप्रसाद, बृजमनगंज
३९--गुलाबचन्द जायसवाल, गोरखपुर
४०--मुन्नीलाल मोतीलाल, नौतनवां
४१--बैजनाथ प्रहलादराय, सहजनवां
४२--ऐसोसियेटेड ट्रेडर्स, गोरखपुर
४३--राधाकिशन विमलकुमार, गोरखपुर
४४--झूरीलाल बजरंगलाल, घुघली
४५--नाथमल तुलसियां, सिसवा
४६--महादेव प्रसाद बाला प्रसाद, गोरखपुर
४७--बाबूलाल केशवप्रसाद, गोरखपुर
४८--राम प्रसाद भगवती प्रसाद, नौतनवां
४९--कालूराम लादूराम, पिपराइच
५०--महादेव प्रसाद बाला प्रसाद, गोरखपुर
५१--शिवदत्त राय बिहारीलाल, गोरखपुर
५२--राधाकिशन विमलकुमार, घुघली
५३--जगदेवराम रामदास, नौतनवां
५४--सुन्दरराम बैजनाथ
५५--मदनलाल बनवारीलाल, नौतनवां
५६--जयसराय गुलाबराय, गोरखपुर
५७--कुन्जीराम रुपईराम, पीपीगंज
५८--शिवनाथराम नन्दकिशोर, गोरखपुर
५९--गोपीकृष्ण रघुनाथ, गोरखपुर
६०--रामकुमार रामेश्वर प्रसाद, गोरखपुर
६१--काशीलाल बिहारीलाल, पिपराइच
६२--भूरामल रामरतन दास, सिसवा
६३--बैजनाथ केदारनाथ, आनन्दनगर
६४--गोपाल अनिरुद्ध कुमार, बरहलगंज
६५--हीरालाल कृष्ण प्रसाद, चौरीचौरा
६६--गोपीकृष्ण रघुनाथ दास, सिसवा
६७--गोपीकृष्ण रघुनाथ, नौतनवां
६८--गोपीकृष्ण रघुनाथ, चौरीचौरा
६९--गोपीकृष्ण रघुनाथ, सरदारनगर
७०--गोपीकृष्ण रघुनाथ दास, कूड़ाघाट
७१--मथुरा प्रसाद देवकीनन्दन, कैम्पीरगंज
७२--रोंगटा ब्रदर्स, गोरखपुर
७३--विद्यानन्द ओम प्रकाश, कौड़ीराम
७४--बैजनाथ केदारनाथ, कैम्पीरगंज
७५--भगवानदास पिताम्बरदास, घुघली
७६--रोंगटा ब्रदर्स, घुघली
७७--भगवानदास पिताम्बरदास, निचलौल
७८--मदनलाल जयप्रकाश, चौरीचौरा
७९--रामचन्दर प्रसाद कौड़ीराम
८०--मुन्नीलाल मोतीलाल, कौड़ीराम
८१--मुन्नीलाल मोतीलाल, चौरीचौरा।

गोरखपुर जिले के रजिस्टर्ड लोहे तथा इस्पात के स्टाकिस्टों की सूची

१—भानमल गुलजारीमल, गोरखपुर ।
२—शिवनाथ रामनन्द किशोर, गोरखपुर ।
३—मौनाथ चन्द्रसेन, गोरखपुर ।
४—दूधनाथ छेदी राम, गोरखपुर ।
५—दुर्गाराम रामनरेश, गोरखपुर ।

गोरखपुर जिले के कोल डिपो होल्डर्स की सूची

१—जयबोध राम मंगलसेन, गोरखपुर ।
२—गुरप्रसाद जैसवाल, गोरखपुर ।
३—सुखदेवप्रसाद, गोरखपुर ।
४—दौलतराम गोमतीराम, चौरीचौरा, गोरखपुर ।
५—बासदेवप्रसाद, सिसवा, गोरखपुर ।
६—विभूतीराम गोमतीराम, आनन्द नगर, गोरखपुर ।
७—अयोध्याराम केशवप्रसाद, बरहलगंज, गोरखपुर ।
८—अयोध्याराम केशवप्रसाद, बरहलगंज, गोरखपुर ।
९—जगत नारायण साहू, सहजनवा, गोरखपुर ।
१०—द्वारिकाप्रसाद शान्तिप्रसाद, सहजनवा, गोरखपुर ।

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०६ पर)

(संख्या बोरों में)

सन्	मरम्मत के लिये प्रार्थना-पत्र देने वालों की संख्या	नये मकान बनाने के लिये प्रार्थना-पत्र देने वालों की संख्या	सीमेन्ट मरम्मत के लिये दी गई	सीमेन्ट नये मकान बनाने के लिये दी गई	शेष प्रार्थना-पत्र
१	२	३	४	५	६
१९६०–६१..	४,८००	..	१३,३६३ बोरी	..	..
१९६१–६२..	३,०५७	२५५	४१,००४ बोरी	१२,५०४ बोरी	२१७ प्रार्थना-पत्र, जून १९६२ से।

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१० पर)

नगरपालिका सहारनपुर के ऊपर बाकी कर्जों की तालिका

वर्ष	कार्य जिसके लिये ऋण दिया गया	ऋण की धनराशि (रुपये में)	३१-३-६१ को अवशेष धनराशि (रुपये में)
१	२	३	४
१९४८-४९	विस्थापित व्यक्तियों की दुकानें बनवाने के लिये दिया गया ऋण ..	१,६०,०००	४०,४४८.५५
१९५५-५६	ट्रक खरीदने के लिये दिया गया ऋण ..	२५,०००	१८,५१२.०७
१९५६-५७	दुकानें बनवाने के लिये दिया गया ऋण ..	१,००,०००	९३,५१३.२६
१९५७-५८	वाटर वर्क्स के लिये ऋण	२९,५०,०००	२७,०४,६५०.९३
१९६०-६१	लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत मकान बनवाने के लिये दिया गया ऋण।	८०,०००	८०,०००.००
	कुल	३३,१५,०००	२९,३७,१२४.८१

नत्थी 'ठ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ९१७ पर)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६२

[जैसा की उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ को संशोधन करने के लिए

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९५२

विधेयक

भारतीय गणतंत्र में तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

(२) यह १ मार्च, १९६२ से प्रचलित हुआ समझा जायगा।

उ०प्र० अधिनियम संख्या १२, १९५२ की धारा २—ख का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २—ख के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:—

सदस्यों के आवास के लिये व्यवस्था

"२-ख—(१) धारा २ में अभिदिष्ट प्रत्येक सदस्य अपनी पदावधि पर्यन्त ७५ रुपये प्रति मास की दर से आवास भत्ता पाने का अधिकारी होगा, किन्तु शर्त यह है कि जिस अवधि में उसके लिए लखनऊ में, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत मान के अनुसार सज्जायुक्त आवास की व्यवस्था की जाये उस अवधि में उक्त भत्ते में से, यदि व्यवस्थित आवास "क" श्रेणी का हो तो ७५ रुपये प्रति मास, और यदि वह 'ख' श्रेणी का हो, तो ४० रुपये प्रति मास काट लिया जायेगा। आवासों का 'क' और 'ख' श्रेणियों में वर्गीकरण, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत रीति से, १ मार्च, १९६२ से किया जायगा।

स्पष्टीकरण—आवास की व्यवस्था उस दिनांक से की गयी समझी जायगी जब सम्बद्ध सदस्य को उसके नाम आवास के प्रदेशन (Allotment) की सूचना दी जाय, चाहे वह उसे स्वीकार करे या न करे अथवा उसमें रहे या न रहे।

(२) राज्य सरकार सदस्यों के लिए व्यवस्थित आवास के प्रयोग के कारण होने वाले अन्य व्ययों के संबंध में नियम बना सकती है।"

उ०प्र० अधिनियम संख्या १२, १९५२ की धारा ३ का संशोधन

३—(१) मूल अधिनियम की धारा ३ की संख्या बदल कर उसे उस धारा की उपधारा (१) कर दिया जाये तथा इस उपधारा में शब्द "भत्तों के" तथा शब्द "अतिरिक्त" के बीच में शब्द "तथा धारा २—ख में अभिदिष्ट आवास भत्ते के" बढ़ा दिये जायं; और

(२) धारा ३ की उपधारा (२) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये:—

"(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट वेतन, विधान सभा के सामान्य निर्वाचन की दशा में विधान सभा का संघटन होने के दिनांक से, और किसी अन्य दशा में, सदस्य के, यथास्थिति, निर्वाचन या नाम-निर्देशन की विज्ञप्ति गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, देय होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी दशा में सदस्य अपने निर्वाचन की विज्ञप्ति गजट में प्रकाशित होने के दिनांक के पहले के किसी दिनांक से वेतन नहीं पायेगा;

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी सदस्य को उस अवधि के लिए वेतन देय न होगा जिस अवधि में वह किसी न्यायाधिकरण या न्यायालय के किसी निर्णय या आज्ञा के परिणामस्वरूप, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् में बैठने में असमर्थ हो । "

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ के वर्तमान उपबन्धों और तदन्तर्गत बने नियमों के अनुसार विधान मंडल का सदस्य अपने पद की अवधि पर्यन्त लखनऊ में, बिना किराये दिये, आवास का प्रयोग करने और यदि ऐसे आवास की व्यवस्था न हो तो ७५ रु० प्रतिमास का प्रतिकर भत्ता पाने का हकदार है । इस संबंध में कतिपय कठिनाइयां अनुभव हुई हैं और इसलिए, यह निर्णय किया गया है कि प्रत्येक सदस्य को ७५ रुपये प्रतिमास की दर से आवास भत्ता इस शर्त के अधीन रहते हुये दिया जाये कि जिस अवधि में उसके लिए लखनऊ में आवास की व्यवस्था की जाये उसमें उक्त भत्ते में से, 'क' श्रेणी के आवास के निमित्त ७५ रुपये प्रतिमास और 'ख' श्रेणी के आवास के निमित्त ४० रुपये प्रतिमास काट लिया जाय ।

२—उक्त अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों और नियमों के अनुसार कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता की शपथ लेने के दिनांक से २०० रुपये प्रतिमास का वेतन पाने का हकदार है । अब यह निर्णय किया गया है कि सदस्यों को २०० रुपये प्रतिमास का उक्त वेतन कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए,

(क) विधान सभा के सामान्य निर्वाचन की दशा में विधान सभा का संगठन होने के दिनांक से दिया जाये, और

(ख) अन्य दशा में सदस्य के यथास्थिति, निर्वाचन या नाम निर्देशन की विज्ञप्ति के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से दिया जाये ।

उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६२ तदनुसार पुरःस्थापित किया जाता है ।

बनारसीदास,
सूचना मंत्री ।

नत्थी 'ड'

(देखिये पीछे पृष्ठ ९१८ पर)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२

[जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है]

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ का संशोधन करने के लिए — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३३, १९६१

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा । — संक्षिप्त शीर्ष-नाम

२—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में— — धारा २ का संशोधन

(१) खंड (१७) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(१७) (क) "नगरपालिका," "नगरपालिका बोर्ड" तथा "नोटीफाइड एरिया" के वही अर्थ होंगे जो यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के अधीन क्रमशः "म्युनिसिपैलिटी", "म्युनिसिपिल बोर्ड" तथा "नोटीफाइड एरिया" के हैं, — यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६

(ख) "टाउन एरिया" का वही अर्थ होगा जो यू० पी० टाउन एरिया ऐक्ट, १९१४ में दिया गया है, — यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१४

(ग) "छावनी" तथा "छावनी बोर्ड" के वही अर्थ होंगे जो कैन्टोनमेंट्स ऐक्ट, १९२४ के अधीन क्रामशः "कैन्टोनमेंट" तथा "कैन्टोनमेंट बोर्ड" के हैं, — यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२४

(घ) "नोटाफाइड एरिया कमेटी" या "नोटीफाइड एरिया की कमेटी" का तात्पर्य यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ३३८ के अधीन संघटित कमेटी से है, और — यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६

(ङ) "टाउन एरिया कमेटी" या "टाउन एरिया की कमेटी" का तात्पर्य यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट , १९१४ की धारा ५ के अधीन स्थापित कमेटी से है"; — यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१४

(२) खंड (३५) निकाल दिया जाये; और

(३) खंड (३६) से (४०) तक की संख्याएं बदल कर क्रमशः (३५) से (३९) तक कर दी जायें ।

३—मूल अधिनियम की धारा ६ में— — धारा ६ का संशोधन

(१) उपधारा (१) में—

(क) खंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये—

"(२) उस टाउन एरिया कमेटी का चेयरमैन और उस नोटीफाइड एरिया की कमेटी का प्रेसीडेंट जो खंड से संस्पर्शी हो और जिसे उस जिले के, जिसमें खंड स्थित हो, जिला मैजिस्ट्रेट ने लिखित आज्ञा द्वारा इस रूप में घोषित किया हो;" और

(ख) खंड (४) निकाल दिया जाये और खंड (५) तथा (६) की संख्याएं बदलकर क्रमशः (४) तथा (५) कर दी जायें; और

(२) उपधारा (२) में--

(क) शब्द "उल्लिखित सदस्य" और शब्द "क्षेत्र समिति" के बीच में आये हुए शब्द "इस अधिनियम के अधीन" के स्थान पर शब्द "उक्त उपधारा के अधीन" रख दिये जायं;

(ख) शब्द "क्षेत्र समिति के " तथा शब्द "सदस्यों के" के बीच में आया हुआ शब्द "अतिरिक्त" निकाल दिया जाये;

(ग) खंड (२) में शब्द, अंक तथा कोष्ठक "तथा इस उपधारा के खंड (१) " निकाल दिये जायें;

(घ) खंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:--

"(३) यदि उपधारा (१) में उलिखित सदस्यों में अनुसूचित जातियों के सदस्यों (यदि कोई हों) की संख्या आठ से कम हो, तो अनुसूचित जातियों के उतने व्यक्ति जिनसे उनकी संख्या कुल मिला कर आठ हो जाय";

(ङ) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अन्त में शब्द "हकदार होगा" और सेमीकोलन के बीच में शब्द "तथा उसे मत देने का अधिकार होगा" बढ़ा दिये जायें; तथा

(च) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्त का शब्द "और" निकाल दिया जाये और द्वितीय तथा अन्तिम प्रतिबन्धात्मक खंडों के बीच में तृतीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये:--

"तृतीय प्रतिबन्ध यह है कि खंड (३) के अधीन उस दिनांक के पश्चात् कोई अनुमेलन नहीं किया जायगा जब "भारत का संविधान" के अनुच्छेद ३३४ के अधीन अनुसूचित जातियों के लिये स्थानों का रक्षण करने की व्यवस्था समाप्त हो जाय; और"

धारा ८ का संशोधन

४--मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (४) के खंड (क) में शब्द, कोष्ठक और अंक "खंड (१) , (२) तथा (४) से (६) तक" के स्थान पर शब्द कोष्ठक तथा अंक "खंड (१), (२), (४) तथा (५)" रख दिये जायें।

धारा १० का संशोधन

५--मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) में शब्द "खंड में स्थित किसी टाउन एरिया कमेटी के चेयरमैन अथवा नोटीफाइड एरिया कमेटी के प्रेसीडेंट के पद की या किसी खंड से जिला परिषद् के सदस्य के स्थान की" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:--

"किसी ऐसे टाउन एरिया की कमेटी के चेयरमैन अथवा नोटीफाइड एरिया की कमेटी के प्रेसीडेंट के पद की, जिसे धारा ६ की उपधारा (१) के खंड (२) के अधीन खंड से संस्पर्शी घोषित किया गया हो;"

धारा १३ का संशोधन

६--मूल अधिनियम की धारा १३ में--

(१) खंड (ङ) के अन्त में आया हुआ शब्द "या" निकाल दिया जाये; और

(२) खंड (च) में पूर्ण विराम के स्थान पर सेमीकोलन और शब्द "या" रख दिया जाये तथा तत्पश्चात् नये खंड के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये—

"(छ) धारा २३ के अधीन यह घोषित कर दिया गया हो कि उसने उक्त धारा के अर्थ में कोई भ्रष्टाचार किया है और वह घोषणा प्रभावी बनी हो ।"

धारा १४ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (१) में शब्द, कोष्ठक तथा अंक "खण्ड (१), (२) अथवा (४) से (६) तक" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक तथा अंक "खंड (१), (२), (४) तथा (५) "रख दिये जायें ।

धारा १६ का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (१) और उसके प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:—

"(१) यदि मंडल के आयुक्त की राय में किसी क्षेत्र समिति का प्रमुख या कोई उपप्रमुख अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का पालन जानबूझ कर नहीं करता या पालन करने से इनकार करता है या अपने में निहित अधिकारों का दुरुपयोग करता है अथवा अपने कर्त्तव्यों के पालन में अनाचार का दोषी पाया जाता है, तो मंडल का आयुक्त , यथास्थिति, उस प्रमुख या उप प्रमुख को स्पष्टीकरण का समुचित अवसर देने के पश्चात् और इस मामले में अध्यक्ष का परामर्श मांगने, और यदि उसकी राय ऐसा परामर्श मांगने के पत्र के भेजे जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्राप्त हो जाय तो उस राय पर विचार कर लेने के बाद, यथास्थिति, प्रमुख या उप प्रमुख को आदेश द्वारा पद से हटा सकता है, और ऐसा आदेश, उपधारा (१-क) के अधीन प्रस्तुत की गयी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा और उस पर किसी विधि-न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी ।

(१—क) ऐसे आदेश से क्षुब्ध प्रमुख या उपप्रमुख हटाये जाने के आदेश से सूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है । अपील न किये जाने की दशा में उक्त अवधि की समाप्ति पर, तथा अपील किये जाने की दशा में अपील के अस्वीकृत किये जाने की सूचना क्षेत्र समिति के कार्यालय में प्राप्त होने के दिनांक से वह, यथास्थिति, प्रमुख या उपप्रमुख के पद से हट गया समझा जायेगा ।"

धारा १८ का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये—

जिला परिषद् की रचना ।

"१८—(१) जिला परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

(१) जिले में स्थापित समस्त क्षेत्र समितियों के प्रमुख;

(२) प्रत्येक क्षेत्र समिति द्वारा नियत रीति से अपने सदस्यों में से चुने गये उतने व्यक्ति जो निर्दिष्ट किये जायं;

(३) जिले में समस्त नगरपालिका बोर्डों के प्रेसीडेंट;

(४) (क) डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का मैनेजिंग डाइरेक्टर, या, यदि किसी जिले में ऐसा एक से अधिक बैंक हो तो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक

का मैनेजिंग डाइरेक्टर, या, यदि किसी जिले में ऐसा बैंक न हो, तो उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक का, उसके निदेशक मण्डल (बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स) द्वारा चुना गया, एक प्रतिनिधि;

(ख) डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन का, उसके निदेशक मण्डल (बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स) द्वारा अपने सदस्यों में से चुना गया, एक प्रतिनिधि,

(ग) ऐसी सहकारी समितियां सहकारी समिति यां का, जो उसके या उनके जिले में कार्य की उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिये निर्दिष्ट करे, नियत रीति से चुना गया एक प्रतिनिधि;

(घ) ऐसे जिले में जहां कोई गन्ना समिति या गन्ना समितियां हों, उस समिति या उन समितियों का नियत रीति से चुना गया एक प्रतिनिधि;

(५) सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक या व्यवसायिक कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा चुने गये तीन से अनधिक उतनी संख्या में व्यक्ति जो निर्दिष्ट की जाय;

(६) लोक सभा तथा राज्य विधान सभा के वे समस्त सदस्य जिनके निर्वाचन-क्षेत्रों में जिले का कोई भाग सम्मिलित हो; तथा

(७) राज्य सभा तथा राज्य विधान परिषद् के वे समस्त सदस्य जिनका निवास-स्थान जिले में स्थित हो;

प्रथम प्रतिबन्ध यह है कि जन-संख्या में अन्तर के आधार पर खंडों की विभिन्न क्षेत्र समितियों के लिये खंड (२) के अधीन भिन्न-भिन्न संस्थाएं निर्दिष्ट की जा सकती हैं;

द्वितीय प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन सदस्यों की कुल संख्या बीस से कम न होगी;

तृतीय प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति, जो जिले से विधान सभा की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत न हो अथवा जो धारा २६ अथवा इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन अनर्हित हो, उपधारा (१) के खंड (४) और (५) के अधीन सदस्य नहीं चुना जायगा और न उपधारा (२) के अधीन अनुमेलित किया जायगा; और

अन्तिम प्रतिबन्ध यह है कि प्रमुख या नगरपालिका बोर्ड के प्रेसीडेंट के पद के रिक्त रहने की अवधि में, यथास्थिति, प्रमुख या प्रेसीडेंट के स्थान पर कार्य करने वाला व्यक्ति, (यदि कोई हो), जिला परिषद् या उसकी समितियों (कमेटियों) की बैठकों में प्रमुख या प्रेसीडेंट के स्थान पर सम्मिलित होने का हकदार होगा और उसे मत देने का भी अधिकार होगा।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित सदस्य, उक्त उपधारा के अधीन जिला परिषद् का संघटन या पुनस्संघटन होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसी रीति से जो नियत की जाय, निम्नलिखित को जिला परिषद् के सदस्यों के रूप में अनुमेलित करेंगे—

(१) उतनी महिलाएं जिनसे उपधारा (१) में उल्लिखित सदस्याओं (यदि कोई हों) के सहित उनकी संख्या ऐसे जिले के संबंध में जिससे खंडों की संख्या सात से अधिक न हो, कुल मिला कर तीन और किसी अन्य जिले के संबंध में कुल मिला कर पांच हो जाय; और

(२) अनुसूचित जातियों के उतने व्यक्ति जिनसे उपधारा (१) में उल्लिखित सदस्यों में से अनुसूचित जातियों के सदस्यों (यदि कोई हों) के सहित उनकी संख्या उतनी हो जाय जो निर्दिष्ट की जाय और यह संख्या ऐसे जिले के संबंध में, जिसमें खंडों की संख्या सात तक हो तीन से कम या दस से अधिक न होगी और किसी अन्य जिले के संबंध में पांच से कम या दस से अधिक न होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति जिसका नाम जिले से विधान सभा की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत न हो, अनुमेलित नहीं किया जायेगा; और

प्रतिबन्ध यह भी है कि खंड (२) के अधीन उस दिनांक के पश्चात् कोई अनुमेलन नहीं किया जायगा, जब "भारत का संविधान" के अनुच्छेद ३३४ के अधीन अनुसूचित जातियों के लिये स्थानों का रक्षण करने की व्यवस्था समाप्त हो जाय।

स्पष्टीकरण—इस धारा में पद "निर्दिष्ट" का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद् के संघटन या पुनस्संघटन के पूर्व, गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट से है।"

धारा १९ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा १९ में—

(१) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(२) कोई व्यक्ति जिसका नाम जिले से विधान सभा की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत न हो अथवा जो धारा १३ या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में उल्लिखित किसी अनर्हता से ग्रस्त हो अथवा जिसकी आयु निर्वाचन के दिनांक को ३० वर्ष की न हुई हो, अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिये अर्ह न होगा" ; और

(२) उपधारा (७) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:—

"(७) अध्यक्ष उस दशा में पद पर न रहेगा जब वह अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिये अनर्हित हो जाय।"

धारा २० का संशोधन

११—मूल अधिनियम की धारा २० की उपधारा (४) में—

(१) खंड (क) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "खंड (७) (८)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक तथा अंक "खंड (४), खंड (६) या खंड (७)" रख दिये जायं;

(२) खंड (ख) में कामा, कोष्ठक और अंक "(४)" निकाल दिये जायं; और

(३) खंड (ग) निकाल दिया जाये।

धारा २२ का संशोधन

१२—मूल अधिनियम की धारा २२ में—

(१) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:—

"(२) किसी क्षेत्र समिति के प्रमुख, या नगरपालिका बोर्ड के प्रेसीडेंट के पद, या धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (२) में निर्दिष्ट सदस्य, के स्थान की रिक्ति से, अथवा पूर्वोक्त उपधारा (१) के खंड (४) और (५) के अधीन सदस्य का चुनाव न होने से, जिला परिषद् के संघटन या पुनस्संघटन में कोई बाधा न पड़ेगी"; और

(२) उपधारा (३) निकाल दी जाये।

धारा २३ का संशोधन

१३—मूल अधिनियम की धारा २३ तथा उसके पार्श्वशीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:—

"२३—(१) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन निर्वाचन-विवादों का निर्णय करने के लिये सक्षम कोई प्राधिकारी किसी उम्मेदवार को जिसके संबंध में यह पाया जाये कि उसने भ्रष्टाचार किया है, घोषणा के दिनांक से पांच वर्ष से अनधिक किसी अवधि में क्षेत्र समिति या जिला परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने या अनुमेलित किये जाने या क्षेत्र समिति का प्रमुख या जिला परिषद् का अध्यक्ष निर्वाचित किये जाने अथवा किसी ऐसे पद या स्थान पर जो क्षेत्र समिति या जिला परिषद् दे सकती हो या जो उसके अधिकार में हो नियुक्त होने या रहने के अयोग्य घोषित कर सकता है।

भ्रष्टाचार के कारण अनर्हता

(२) किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में यह समझा जायगा कि उसने भ्रष्टाचार किया है, जो प्रत्यक्षतः स्वयं या अप्रत्यक्षतः अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा—

(१) किसी मतदाता को कपट, साशय मिथ्या-निरूपण, अथवा उत्पीड़न करके या हानि पहुंचाने की धमकी देकर, किसी उम्मेदवार के पक्ष में मत देने अथवा मत न देने के लिये प्रेरित करता है अथवा प्रेरित करने का प्रयत्न करता है;

(२) किसी मतदाता, को, किसी उम्मेदवार के पक्ष में मत देने या मत न देने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को कोई धनराशि या मूल्यवान प्रतिफल या कोई स्थान या नियोजन देने का प्रस्ताव करता है अथवा देता है या किसी व्यक्तिगत सुविधा या लाभ का वचन देता है;

(३) किसी ऐसे मतदाता के नाम से मत देता है या दिलवाता है, जो मत देने वाला व्यक्ति नहीं है;

(४) खंड (१), (२) और (३) में निर्दिष्ट किसी कृत्य को करने के लिये (इंडियन पीनल कोड के अर्थ में) अभिप्रेरित (Abet) करता है;

(५) किसी उम्मेदवार को अथवा निर्वाचक को ऐसा विश्वास करने के लिये प्रेरित करता है अथवा प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह, अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिसमें वह अभिरुचि रखता है, दैवी प्रकोप अथवा अध्यात्मिक परिनिन्दा का भागी होगा या बना दिया जायगा;

(६) जाति, समुदाय, सम्प्रदाय या धर्म के आधार पर मतार्थना करता है;

(७) कोई अन्य ऐसा कार्य करता है जिसे राज्य सरकार नियम द्वारा भ्रष्टाचार नियत करे।

स्पष्टीकरण:—'किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत सुविधा या लाभ का वचन' के अन्तर्गत स्वयं उस व्यक्ति के, या किसी अन्य व्यक्ति के, जिसमें वह अभिरुचि रखता हो, लाभ का वचन भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत क्षेत्र समिति या जिला परिषद् में किसी विशिष्ट बात के पक्ष या विरोध में मत देने का वचन नहीं है।"

धारा २४ का संशोधन

१४—मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (१) में शब्द, कोष्ठक और अंक "खंड (२) तथा (४) से (६) तक" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक "खंड (२), (४) और (५)" रख दिये जायें।

धारा २५ का संशोधन

१५—मूल अधिनियम की धारा २५ में—

(१) उपधारा (१) में शब्द "निर्वाचित" तथा उसके पूर्व आने वाला कामा और शब्द "या निर्वाचित" निकाल दिये जायं, और

(२) उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि, यथास्थिति, सदस्याओं या अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या पहले से ही धारा १८ की उपधारा (२) के, यथास्थिति, खंड (१) या खंड (२) के अधीन निर्दिष्ट संख्या से कम न हो तो अनुमेलन नहीं किया जायगा।"

धारा २६ का संशोधन

१६—मूल अधिनियम की धारा २६ और उसके पार्श्वशीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:—

"२६—जो व्यक्ति धारा १३ में उल्लिखित किसी अनर्हता से ग्रस्त हो, धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (४) और (५) के अधीन जिला परिषद् का सदस्य चुने जाने या उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन सदस्य के रूप में अनुमेलित किये जाने अथवा धारा १९ के अधीन अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये अनर्हित होगा।"

सदस्य या अध्यक्ष होने के लिये अनर्हता

धारा २७ का संशोधन

१७—मूल अधिनियम की धारा २७ में—

(१) उपधारा (१) में शब्द, कोष्ठक और अंक "खंड (७) या खंड (८)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक "खंड (६) या खंड (७)" रख दिये जायें; और

(२) उपधारा (२) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:—

"(ख) धारा २० के प्रयोजनों के लिये जिला परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने या अनुमेलित किये जाने का पात्र रह गया है या नहीं, या।"

धारा २९ का संशोधन

१८—मूल अधिनियम की धारा २९ की उपधारा (१) में शब्द "हटा सकती है" और तत्पश्चात् आये हुये पूर्ण विराम के बीच में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायें :—

"और ऐसा आदेश अंतिम होगा तथा उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।"

धारा ३९ का संशोधन

१९—मूल अधिनियम की धारा ३९ में—

(१) उपधारा (१) में—

(क) खंड (८) के अन्त में आया हुआ शब्द "तथा" निकाल दिया जाये ;

(ख) खंड (९) के अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर सेमी-कोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् नये खंडों के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये:—

"(१०) पशुधन अधिकारी ;

(११) कृषि अधिकारी ; तथा

(१२) सहकारिता अधिकारी।"

(२) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"(३) राज्य सरकार के, यथास्थिति, अपर जिला मैजिस्ट्रेट (नियोजन) या जिला नियोजन अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, विद्यालय उपनिरीक्षक, सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी, ज्येष्ठ यंत्र निरीक्षक (लघु सिंचाई कार्य), जिला पशुधन अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, तथा यथास्थिति, जिले में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले सहकारी समितियों के सहायक निबन्धक या जिला सहकारिता अधिकारी, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायें, जिला परिषद् के अधीन क्रमशः मुख्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक, पंचायत राज अधीक्षक, सिंचाई अधीक्षक, पशुधन अधिकारी, कृषि अधिकारी और सहकारिता अधिकारी के पद भी धारण करेंगे।"; और

(३) उपधारा (३) के पश्चात् नयी उपधारा (३-क) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये:—

"(३-क) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जिला परिषद् के अधिकारी के किसी ऐसे अन्य पद का सृजन कर सकती है, जिसे राज्य सरकार का वह अधिकारी जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाय, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर जो नियत किये जायें, पदेन धारण करेगा।"

धारा ४६ का संशोधन

२०—मूल अधिनियम की धारा ४६ की उपधारा (२) के खंड (ग) के अन्त में आये हुये सेमीकोलन के स्थान पर पूर्ण विराम रख दिया जाये और तत्पश्चात् निम्नलिखित शब्द तथा सेमीकोलन बढ़ा दिये जायें:—

"ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों की उपयुक्तता पर नियत रीति से विचार किया जायगा।"

धारा ८७ का संशोधन

२१—मूल अधिनियम की धारा ८७ की उपधारा (२) में शब्द "स्थापित कर सकती है" तथा शब्द "और ऐसी किसी समिति" के बीच में शब्द "और यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय तो अवश्य स्थापित करेगी" रख दिये जायं।

धारा ९१ का संशोधन

२२—मूल अधिनियम की धारा ९१ की उपधारा (४) के पश्चात् उसकी उपधारा (५) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये:—

"(५) राज्य सरकार, किसी भी समय, यह निदेश दे सकती है कि उत्पादन समिति या कल्याण समिति का कोई अधिकार, कर्त्तव्य या कृत्य धारा ८७ की उपधारा (२) के अधीन स्थापित किसी समिति को संक्रामित किया जाये।"

धारा ९५ का संशोधन

२३—मूल अधिनियम की धारा ९५ में—

(१) खंड (६), (७) और (११) निकाल दिये जायें;

(२) वर्तमान खंड (८), (९) और (१०) की संख्या बदल कर क्रमशः खंड (६), (७) और (८) कर दी जाये;

(३) संख्या बदल कर हुए खंड (७) के अन्त में आये हुए सेमीकोलन के पश्चात् शब्द "तथा" बढ़ा दिया जाये;

(४) संख्या बदल कर हुए खंड (८) के अन्त में आये हुये सेमीकोलन और शब्द "तथा" के स्थान पर कोलन रख दिया जाये, और

(५) संख्या बदल कर हुए खंड (८) के पश्चात् प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये:—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि इन अधिकारियों में से कोई धारा ३९ की उपधारा (३-क) के अधीन जिला परिषद् के पदेन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाय तो यह न समझा जायगा कि उस पर इस धारा के उपबन्ध प्रवृत्त होते हैं।"

धारा २३१ का संशोधन

२४—मूल अधिनियम की धारा २३१ की उपधारा (५) में शब्द "निर्वाचित" तथा उसके पहले आया हुआ कामा निकाल दिये जायें।

धारा २३३ का संशोधन

२५—मूल अधिनियम की धारा २३३ में—

(१) खंड (क) में शब्द तथा कामा "उनके निर्वाचन में खड़े होने के अधिकार पर, यदि वे इस अधिनियम के अधीन अन्यथा पात्र हों", के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में चुने जाने या अनुमेलित किये जाने या अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये उनकी पात्रता पर" रख दिये जायें, और

(२) खंड (ख) में शब्द "सदस्यों का तथा अध्यक्ष का निर्वाचन उसी प्रकार किया जायगा मानो धारा २२ के अधीन साधारण निर्वाचन कारणीय (due) हो गया हो" के स्थान पर शब्द "परिषद् इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पुनस्संघटित की जायगी" रख दिये जायें।

धारा २३४ का संशोधन

२६—मूल अधिनियम की धारा २३४ में—

(१) खंड (क) में शब्द "खंड (ग) के अधीन निर्वाचन" के स्थान पर शब्द "सदस्य के रूप में चुने जाने या अनुमेलित किये जाने या अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किये जाने" रख दिये जायें, और

(२) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:—

"(ग) राज्य सरकार परिषद् के अवक्रमण की अवधि व्यतीत हो जाने के पूर्व उसे पुनस्संघटित करने के लिये प्रबन्ध करेगी।"

धारा २३६ का संशोधन

२७—मूल अधिनियम की धारा २३६ की उपधारा (२) में—

(१) खंड (ग) में से शब्द, कोष्ठक और अंक"या खंड (४)" तथा शब्द "या जिला परिषद् के सदस्य" निकाल दिये जायें, और

(२) खंड (ङ) में से शब्द"प्रमुख" और कामा तथा शब्द "गांव सभा के प्रधान" के बीच में आये हुये शब्द"अथवा सदस्य" तथा शब्द "अथवा जिला परिषद् के सदस्य" निकाल दिये जायं।

धारा २७१ का संशोधन

२८—मूल अधिनियम की धारा २७१ में—

(१) वर्तमान उपधारा (१) के प्रारम्भ में आये हुए कोष्ठक तथा अंक"(१)" निकाल दिये जायें, और

(२) उपधारा (२) निकाल दी जाये।

धारा २७४ का संशोधन

२९—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २७४ की संख्या बदल कर उस धारा २७४ की उपधारा (१) कर दिया जाये और उक्त धारा की उपधारा (२) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये :—

"(२) उस दिनांक से जब धारा १७ के अधीन किसी जिले में जिला परिषद् स्थापित हो जाये, उस जिले के संबंध में उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ निरस्त हो जायेगा और निरस्त रहेगा।"

अनुसूची १ का संशोधन

३०—मूल अधिनियम की अनुसूची १ में—

(१) वर्तमान मद संख्या (३५) और (३६) के बीच में पृथक शीर्षक के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाये—

"११—प्रशासन

(३६) कांजी हौसों की स्थापना और उसका प्रबन्ध, जिसके अन्तर्गत जहां कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट, १८७१ प्रचलित हो वहां कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट, १८७१ के अधीन राज्य सरकार और जिला मैजिस्ट्रेट के ऐसे कृत्य भी हैं जो राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र समितियों को हस्तान्तरित किये जायं,

(३७) ऐसे किन्हीं सार्वजनिक या निजी पूर्तों या न्यासों का प्रबन्ध, जो राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा या उस की सहमति से क्षेत्र समिति के अधीन रखें जायें, और

(२) वर्तमान मद संख्या (३६) की संख्या बदल कर (३८) कर दी जाये।

उद्देश्य और कारण

वर्तमान उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१, की धारा १८ में यह व्यवस्था है कि जिला परिषद् के सदस्यों में, औरों के साथ-साथ, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो प्रत्येक खंड अथवा खंडों के समुदाय द्वारा, वयस्क मताधिकार के आधार पर, निर्वाचित किये जायेंगे। गांव सभाओं, राज्य विधान मंडल तथा संसद के निर्वाचनों की सूची में जोड़े जाने पर ऐसे प्रत्यक्ष निर्वाचनों का अर्थ ग्रामीण जनता के लिये एक चौथा सामान्य निर्वाचन होगा। यह निर्वाचन अत्यधिक खर्चीला तो साबित होगा ही साथ ही उसे सफलतापूर्वक आयोजित करने में बहुत-सा श्रम लग जायगा। यह अनुभव किया जाता है कि समय, धन और शक्ति के इस महान अपव्यय का, जो ऐसे प्रत्यक्ष निर्वाचन में अनिवार्यतः होगा उपयोग अधिक लाभप्रद रूप से लोगों की भलाई के किसी रचनात्मक कार्य के लिये किया जा सकता है।

औसतन परिषदों में लगभग ७०–७५ तक सदस्य होंगे और यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन का भी आश्रय लिया गया तो यह संख्या अत्यधिक बढ़ जायगी और उस पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकेगा, जिसके फलस्वरूप इन निकायों के लिये कार्य करना अत्यन्त कठिन हो जायगा। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे (three tier structure) में क्षेत्र समितियों को एक प्रमुख भाग लेना है और यह उचित ही है कि इन निकायों के बीच यथासंभव अधिक से अधिक समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केवल ऐसे व्यक्तियों को जिला परिषद का सदस्य होना चाहिये जो प्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र समितियों से सम्बद्ध हों। जिला परिषद के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों का नीचे के निकायों में कोई स्थान नहीं होगा और इसलिए वे परिषद् के अधिकारों को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे जिससे नीचे के निकाय कमजोर हो जायेंगे।

बलवन्त राय मेहता कमेटी ने जिला परिषदों के लिये प्रत्यक्ष निर्वाचनों की सिफारिश नहीं की है और राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के पंचायती राज विधान में भी ऐसे निर्वाचन की व्यवस्था नहीं है। वे विधान सभा के सदस्य (एम०एल०ए०) और संसद सदस्य, (एम०पी०) जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किये जाते हैं, जिला परिषदों के सदस्य होंगे और जनता का प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करेंगे।

इन सभी कारणों से उक्त अधिनियम की धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (६) में दी गयी प्रत्यक्ष निर्वाचनों की व्यवस्था अनावश्यक प्रतीत होती है और तदनुसार उसे निकाला जा रहा है।

इस समय उन भ्रष्टाचारों को निर्दिष्ट करने के लिये कोई उपबन्ध नहीं है जिनके करने से वह व्यक्ति, जो उन्हें करता है, क्षेत्र समिति या जिला परिषद् का सदस्य या क्षेत्र समिति का प्रमुख अथवा जिला परिषद् का अध्यक्ष होने के लिये आयोग्य हो सकता है। ऐसा उपबन्ध आवश्यक है और उसे अधिनियम में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव है।

जिला परिषद् को जिले की विकास योजना तैयार करने और उसका उचित कार्यान्वय सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी बनाया गया है। अतएव यह स्पष्ट है कि उसे भिन्न-भिन्न योजनाओं से सम्बद्ध विभिन्न जिला स्तर अधिकारियों की सेवायें उपलब्ध रहें। चूंकि अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसमें सरकार को ऐसे अधिकारियों की जिला परिषदों के अधिकारियों के रूप में नियुक्त करने के लिये अधिकार दिया गया हो, अतएव उसके लिये अधिनियम में आवश्यक व्यवस्था की जा रही है।

इस प्रकार यह विधेयक जिला परिषदों के प्रत्यक्ष निर्वाचनों से सम्बद्ध व्यवस्था को समाप्त करता है और उपर्युक्त कुछ अतिरिक्त उपबन्ध बनाने तथा ऐसे अन्य आनुषंगिक संशोधनों को करने की व्यवस्था करता है जो आवश्यक हों। इस अवसर पर उपयोग ऐसे कुछ अन्य छोटे मोटे संशोधन करने के लिये भी किया गया है जो आवश्यक पाये गये हैं।

तद्नुसार यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

सुचेता कृपालानी,
विकास मंत्री

नत्थी 'ढ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ९१८ पर)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई०

आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ को संशोधित करने का

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रसार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ३ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ में—

(१) खंड (१) में शब्द "नियुक्त करे" और "पूर्ण विराम" के बीच में शब्द "और इसके अन्तर्गत सहायक समकोण अधिकारी (Assistant Rectangulation Officer) भी है," बढ़ा दिये जायें;

(२) खंड (१) के पश्चात् नये खंड (१-क) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये:—

"(१-क) 'चक' का तात्पर्य चकबन्दी होने पर खातेदार की प्रदिष्ट भूमि के खंड से है;"

(३) खंड (३) में शब्द "नियुक्त करे" तथा तत्पश्चात् आने वाले पूर्ण विराम के बीच में शब्द "और इसके अन्तर्गत समकोण, अधिकारी (Rectangulation Officer) भी है," रख दिये जायें,

(४) खंड (३-क) में शब्द "नियुक्त करे" और तत्पश्चात् आने वाले पूर्ण विराम के बीच में शब्द "और इसके अन्तर्गत समकोणकार (Rectangulator) तथा चकबन्दी क्रियाओं के अधीन क्षेत्रों में यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अधीन उक्त क्षेत्र के लिये नियुक्त सुपरवाइजर कानूनगो भी है" बढ़ा दिये जायें;

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१

(५) खंड (३-क) के पश्चात् नये खंड (३-ख) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये:—

"(३-ख) 'चकबन्दी योजना' का तात्पर्य किसी कटक में चकबन्दी की योजना से है;"

(६) खंड (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(५) 'भूमि' का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी के अधिकार या अध्यासन में कृषि, उद्यानकरण (horticulture) तथा पशुपालन (जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन और कुक्कुट पालन भी हैं) से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(१) जोत का वह भाग, जो मकान या अन्य तत्सम रचना का स्थल हो; और

(२) ऐसे पेड़, कुएं और अन्य समुन्नतियां जो उन गाटों में हों जिनसे मिलकर जोत बनी हो;"

(७) खंड (८) के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "तथ्य की अलग, अलग" के स्थान पर शब्द "दिनांक की अग्रिम" रख दिये जायें; और

(८) खंड (८) के पश्चात् नये खंड (८-क) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये:—

"(८-क) समकोण निर्माण का तात्पर्य चकबन्दी के समय चकों के प्रदेशन को विनियमित करने के उद्देश्य से कटक के क्षेत्र को सुविधाजनक आकार के समकोण चतुर्भुजों तथा ऐसे चतुर्भुज के भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया से है;"

३—मल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :— उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ४ का संशोधन

चकबंदी के सम्बन्ध में प्रख्यापन तथा विज्ञप्ति

"४—(१) (क) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि कोई जिला या उसका भाग चकबंदी क्रियाओं के अधीन लाया जाये तो वह गजट में इस आशय का प्रख्यापन कर सकती है। तदुपरान्त किसी अधिकारी या प्राधिकारी के लिये, जो जिला उप-संचालक चकबंदी द्वारा तदर्थ अधिकृत किया जाये, यह विधिसंगत होगा कि वह—

(१) उक्त क्षेत्र की किसी भूमि में, समकोण-निर्माण के सम्बन्ध में या अन्यथा, प्रवेश करे तथा उसका सर्वेक्षण करे और स्तर (level) मालूम करे,

(२) समकोण-निर्माण के सम्बन्ध में खम्भे लगाये, और

(३) चकबंदी क्रियाओं के लिये क्षेत्र की उपयुक्तता का निश्चय करने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही करे।

(ख) जिला उप-संचालक चकबंदी खंड (क) के अधीन जारी किये गये प्रख्यापन की सार्वजनिक सूचना उक्त जिले या उसके भाग में सुविधापूर्ण स्थानों पर दिलवायेगा।

(२) (क) जब राज्य सरकार, उपधारा (१) के अधीन जारी किये गये प्रख्यापन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में चकबंदी क्रियायें आरम्भ करने का निश्चय करे तो वह इस आशय की विज्ञप्ति जारी कर सकती है।

(ख) इस प्रकार की प्रत्येक विज्ञप्ति सरकारी गजट और उक्त क्षेत्र के प्रत्येक कटक में प्रकाशित की जायेगी।"

४—मूल अधिनियम की धारा ६ में पार्श्व-शीर्षक तथा उपधारा (१) में आये हुये शब्द "प्रख्यापन" के स्थान पर शब्द "विज्ञप्ति" रख दिया जाये; और उपधारा (२) में आये हुये शब्द "प्रख्यापन रद्द कर दिया जाय" के स्थान पर शब्द "विज्ञप्ति रद्द कर दी जाय" रख दिये जायं।

५—मूल अधिनियम की धारा ७ में शब्द "कटक की" तथा चकबंदी योजना" के बीच में शब्द "प्रारम्भिक" बढ़ा दिया जाये। उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ७ का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ८ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा ८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायें :—

खसरा तथा चालू वार्षिक रजिस्टर का पुनरीक्षण, संयुक्त जोतों के मूल्यों और अंशों का अवधारण

"८—(१) धारा ७ के अधीन नक्शों का पुनरीक्षण हो जाने पर जिला उप-संचालक चकबंदी, आगे दिये हुये उपबन्धों के अधीन रहते हुये, और ऐसी रीति से जो नियत की की जाय—

(१) कटक के खसरे का, खेतवार पड़ताल के पश्चात् और चालू वार्षिक रजिस्टर का, उसके परीक्षण तथा उसकी जांच के पश्चात्, पुनरीक्षण करवायेगा;

(२) चकबंदी समिति के परामर्श से—

(क) प्रत्येक गाटे का मूल्यांकन, उसकी उत्पादन-शक्ति और स्थिति पर और यदि सिंचाई की कोई सुविधायें उपलब्ध हों तो उन पर भी विचार करने के पश्चात् करायेगा ; और

(ख) गाटों के सभी पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों का मूल्यांकन, उनका प्रतिकर आकलित करने के प्रयोजनार्थ करायेगा।

(३) यदि एक से अधिक स्वामी हों तो खंड (२) के उपखंड (ख) के अधीन अवधारित मूल्य में प्रत्येक स्वामी का, अंश निश्चित करवायेगा ; और

(४) उचित चकबंदी सुनिश्चित करने के निमित्त विभाजन करने के लिये संयुक्त जोतों में प्रत्येक खातेदार का अंश अवधारित करायेगा।

(२) जिला उप-संचालक चकबंदी, कटक के अन्तर्गत आने वाले गाटों के सम्बन्ध में नियत आकार में, खसरा चकबंदी तैयार करवायेगा और एक ऐसा विवरण भी तैयार करवायेगा, जिसमें वे अशुद्धियां तथा विवाद दिखाये जायेंगे जो कि वार्षिक रजिस्टर का परीक्षण तथा उसकी जांच करते समय और खेतवार पड़ताल के दौरान में ज्ञात हुये हों।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० में नयी धारा ८-क का बढ़ाया जाना

७—मूल अधिनियम की धारा ८ के पश्चात् नयी धारा ८-क के रूप में निम्न लिखित बढ़ा दिया जाये :—

सिद्धांतों का विवरण तैयार करना

"८-क—(१) सहायक चकबंदी अधिकारी, चकबंदी समिति के परामर्श से, चकबंदी क्रियाओं के अधीन प्रत्येक कटक के सम्बन्ध में एक विवरण (जिसे यहां आगे सिद्धांतों का विवरण कहा गया है) नियत आकार में, तैयार करेगा जिसमें वे सिद्धांत दिये हुये होंगे जिनका अनुसरण कटक में चकबन्दी-क्रियाओं के करने में किया जायेगा।

(२) सिद्धांतों के विवरण में निम्नलिखित बातें भी होंगी—

(क) उन क्षेत्रों के ब्योरे (जहां तक वे उस समय अवधारित किये जा सकें) जो आबादी के प्रसार (जिसके अन्तर्गत कटक के हरिजनों तथा भूमिहीन व्यक्तियों को आबादी के लिये क्षेत्र भी हैं) तथा ऐसे अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये जो नियत किये जायं, विनिर्दिष्ट किये जायेंगे,

(ख) वह आधार जिस पर खातेदार आबादी के प्रसार और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि देंगे, और

(ग) उस भूमि के ब्योरे जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ११७ या ११७-क के अधीन गांव समाज या स्थानिक अधिकारिकी (स्थानीय प्राधिकारी) में निहित भूमि में सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त विनिर्दिष्ट की जायेगी।" उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १, १९५१

८—मूल अधिनियम की धारा ९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये— उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ९ का संशोधन

अभिलेखों तथा विवरणों के उद्धरण जारी करना और धारा ८ तथा ८-क में उल्लिखित अभिलेखों को प्रकाशित करना और आपत्तियां आमंत्रित करने के लिये नोटिस जारी करना

"९—(१) धारा ८ तथा ८-क में उल्लिखित अभिलेखों तथा विवरणों के तैयार हो जाने पर, सहायक चकबंदी अधिकारी—

(क) यदि कोई लिपिक अशुद्धियां हो तो उन्हें सही करेगा और सम्बद्ध खातेदारों तथा स्वत्व रखने वाले अन्य व्यक्तियों को नोटिस भेजेगा या भिजवायेगा जिनमें चालू वार्षिक रजिस्टर और अन्य ऐसे अभिलेखों के जो नियत किये जायें, सम्बद्ध उद्धरण और जिनसे निम्नलिखित बातें प्रकट हों—

(१) उनके भूमि में अधिकार और उसके सम्बन्ध में दायित्व;

(२) उसके सम्बन्ध में धारा ८ के अन्तर्गत पायी गयी अशुद्धियां और विवाद;

(३) उचित चकबंदी सुनिश्चित करने के निमित्त विभाजन आवश्यक होने पर उसके प्रयोजनार्थ संयुक्त जोतों में प्रत्येक खातेदार का विशिष्ट अंश;

(४) गाटों का मूल्यांकन; और

(५) पेड़ों, कुओं और अन्य समुन्नतियों का प्रतिकर आकलित करने के लिये उनका मूल्यांकन तथा यदि उनके एक से अधिक स्वामी हों, तो उसका अभिभाजन;

(ख) चालू खसरा, और चालू वार्षिक रजिस्टर, खसरा चकबंदी धारा ८-क के अधीन तैयार किया गया सिद्धांतों का विवरण तथा कोई अन्य अभिलेख, जो अन्य बातों के साथ-साथ खंड (क) में उल्लिखित अन्य ब्योरे दिखाने के लिये नियत किये जायें, कटक में प्रकाशित करेगा।

(२) कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (१) के अधीन नोटिस भेजा गया हो, या स्वत्व रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, नोटिस प्राप्त होने के, या उपधारा (१) के अधीन प्रकाशन के, १५ दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है, जिनमें अभिलेखों या उसमें से लिये गये उद्धरणों के इंदराजों की शुद्धता अथवा उनके प्रकार के सम्बन्ध में या सिद्धांतों के विवरण के सम्बन्ध में, या विभाजन की आवश्यकता के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी हो ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० में नयी धारा ९-क, ९-ख तथा ९-ग का बढ़ाया जाना

९—मूल अधिनियम की धारा ९ के पश्चात नयी धारा ९-क, ९-ख तथा ९-ग के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये :—

भूमि पर दावों तथा संयुक्त जोतों के विभाजन से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण

"९-क—(१) सहायक चकबंदी अधिकारी, उस दशा में—

(१) जब भूमि पर दावों या संयुक्त जोतों के विभाजन के सम्बन्ध में आपत्तियां प्रस्तुत की गयी हों तो सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात्, और

(२) जब ऐसी कोई आपत्तियां प्रस्तुत न की गयी हों तो ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे,

अपने समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षों में समझौता करा कर, जहां तक सम्भव हो विवाद का निपटारा करेगा, अशुद्धियों को ठीक करेगा तथा विभाजन करेगा और ऐसे समझौते के आधार पर आज्ञायें पारित करेगा ।

(२) वे सभी मामले जो उपधारा (१) के अधीन सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा निस्तारित न किये गये हों, तथा गाटों के मूल्यांकन से संबद्ध सभी मामले और वे सभी मामले जिनका सम्बन्ध पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों का प्रतिकर आकलित करने के लिये उनके मूल्यांकन तथा यदि एक से अधिक स्वामी हों तो उसको सह-स्वामियों में अभिभाजित करने से हो, सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा, चकबंदी अधिकारी को भेजे जायेंगे, जो उनका निस्तारण नियत रीति से करेगा ।

(३) उपधारा (१) के अधीन कार्य करता हुआ सहायक चकबंदी अधिकारी और उपधारा (२) के अधीन कार्य करता हुआ चकबंदी अधिकारी, तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी विपरीत बात के होते हुये भी, सक्षम न्यायालय माना जायगा ।

सिद्धांतों के विवरण पर की गयी आपत्तियों का निस्तारण

९-ख—(१) जब धारा ९ के अधीन सिद्धान्तों के विवरण के विरुद्ध आपत्तियां प्रस्तुत की गयी हों तो सहायक चकबंदी अधिकारी, सम्बद्ध पक्षों को सुनवायी का अवसर देने और चकबंदी समिति के दृष्टिकोण पर विचार करने के पश्चात्, अपनी रिपोर्ट चकबंदी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो आपत्तियों का निस्तारण नियत रीति से करेगा ।

(२) यदि सिद्धांतों के विवरण के विरुद्ध, धारा ९ में नियत समय के भीतर, कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गयी हो, तो उसकी शुद्धता की परीक्षा करने की दृष्टि से चकबंदी अधिकारी, चकबंदी समिति को उचित सूचना देने के पश्चात्, कटक का स्थानीय निरीक्षण करेगा और तत्पश्चात् वह सिद्धांतों के विवरण में ऐसे परिष्कार या परिवर्तन कर सकता है जो वह आवश्यक समझे ।

(३) उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन चकबंदी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, उक्त आज्ञा के दिनांक से १५ दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी, के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिस का निर्णय, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा ।

(४) आपत्ति या अपील पर निर्णय देने से पहले चकबंदी अधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी सम्बद्ध पक्षों तथा चकबंदी समिति को उचित पूर्व सूचना देने के पश्चात्, कटक का स्थानीय निरीक्षण करेगा ।

संयुक्त जोतों का विभाजन

९-ग--(१) सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी, धारा ९-क के अधीन संयुक्त जोतों का विभाजन कर सकता है, भले ही १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विभाजन और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १७८ में, या किसी अन्य विधि में, कोई विपरीत बात दी गयी हो, और वे उसका विभाजन स्वतः भी कर सकते हैं ।

(२) संयुक्त जोतों का विभाजन अंशों के आधार पर किया जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि सम्बद्ध खातेदार सहमत हों तो यह विभाजन विशिष्ट गाटों के आधार पर किया जा सकता है ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा १० का संशोधन

१०--मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:--

पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर तैयार करना और रखना

"१०--(१) वार्षिक रजिस्टर, धारा ९ की उपधारा (१) और उपधारा (२) के अधीन दी गयी आज्ञाओं के आधार पर पुनरीक्षित किया जायेगा । तत्पश्चात् वह नियत आकार में तैयार किया जायेगा तथा कटक में प्रकाशित किया किया जायेगा ।

(२) जब उपधारा (१) के अधीन प्रकाशित वार्षिक रजिस्टर के किसी इंदराज का इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन दी गयी आज्ञा के अनुसरण में, परिष्कार किया जाये तो उस आज्ञा का निर्देश और उसके प्रवर्ती भाग का उद्धरण उक्त इंदराज के सामने दर्ज किया जायेगा ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ११- का संशोधन

११--मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:--

अपील

"११--(१) धारा ९-क के अधीन होने वाली कार्यवाहियों का कोई पक्ष जो उस धारा के अधीन सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध हो, उस आज्ञा के दिनांक से १५ दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है । उक्त अधिकारी सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उस पर अपना निर्णय देगा, जो कि, इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन अपील की सुनवाई करने वाला बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी, सक्षम न्यायालय समझा जायेगा, भले ही तत्समय प्रचलित अन्य किसी विधि में कोई विपरीत बात दी हो ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ११–क का संशोधन

१२––मूल अधिनियम की धारा ११–क के स्थान पर निम्नलिखित लिख दिया जाये:––

"११–क––चकबंदी क्षेत्र से सम्बन्धित निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में किसी भी ऐसे प्रश्न को, जो धारा ९ के अधीन उठाया जा सकता था या उठाया जाना चाहिये था, परन्तु उठाया नहीं गया हो, चकबंदी कार्यवाहियों की किसी वाद की अवस्था में न तो उठाया जायेगा और न उसकी सुनवायी की जायेगी।

आपत्तियों पर रोक

(१) भूमि के दावे,

(२) संयुक्त जोतों का विभाजन, और

(३) यदि प्रश्न धारा १० के अधीन वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित गाटे के खातेदार या पेड़, कुओं या अन्य समुन्नतियों के स्वामी द्वारा उठाया जाये, तो गाटों, पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों का मूल्यांकन।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ११–ख का निकाला जाना

१३––मूल अधिनियम की धारा ११–ख निकाल दी जाये।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा १२ का संशोधन

१४––मूल अधिनियम की धारा १२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायें––

"१२––(१) धारा १० की उपधारा (१) के अधीन प्रकाशित पुनरीक्षित अभिलेखों में अभिलिखित किन्हीं अधिकारों या स्वत्वों को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों तथा व्यवहारों से सम्बद्ध समस्त मामले, जिनके लिये वाद–कारण तब विद्यमान नहीं था जब धारा ७ से ९ तक की कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी थीं अथवा चल रही थीं, उसके उत्पन्न होने पर सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष उठाये जा सकते हैं, किन्तु धारा ५२ अथवा धारा ६ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात् नहीं।

पुनरीक्षित अभिलेखों में अभिलिखित अधिकारों अथवा स्वत्वों पर प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों तथा व्यवहारों से संबद्ध मामलों का निर्णय

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन कोई मामला उठाया जाये, तो उसकी सुनवाई तथा निर्णय पर धारा ७ से ११ तक के उपबंध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह उपर्युक्त धाराओं के अधीन उठाया गया मामला हो।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा १२ की उपधारा (१) का संशोधन

१५––मूल अधिनियम की धारा १२–क की उपधारा (१) के खंड (क) में से शब्द तथा अंक "की धारा ७ से ११ तक और धारा १२" निकाल दिये जायें।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा १२–ख और १२–ग का निकाला जाना

१६––मूल अधिनियम की धारा १२–ख तथा १२–ग निकाल दी जायें।

उत्तरप्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा १२–घ का संशोधन

१७––मूल अधिनियम की धारा १२–घ के स्थान पर 'निम्नलिखित रख दिया जाये:––

"१२–घ––धारा १० की उपधारा (१) के अधीन पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर के प्रकाशित होने के पूर्व दो या अधिक खातेदार किसी भी समय चकबंदी अधिकारी को समान भौमिक अधिकारों वाली अपनी जोतों को ऐसी शर्तों पर, जो उनमें आपस में तय हों, संयोजित करने के निमित्त प्रार्थना–पत्र दे सकते हैं। यदि प्रस्तावित संयोजन चकबंदी के हित में हो तो चकबंदी अधिकारी उसे कार्यान्वित करेगा।"

जोतों का संयोजन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा १३–क, १३ ख, १३–ग, १३–घ, १४, १६, १७ और १८ का निकाला जाना

१८––मूल अधिनियम की धारा १३–क, १३–ख, १३–ग, १३–घ, १४, १६, १७ तथा १८ निकाल दी जायें।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा १९ का संशोधन

१९––मूल अधिनियम की धारा १९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:––

"१९––(१) चकबन्दी योजना निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगी, अर्थात्––

चकबंदी योजना द्वारा शर्तों का पूरा किया जाना

(क) इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये दिये गये अंशदानों के कारण की गयी कटौतियों यदि कोई हों, के अधीन रहते हुये, खातेदार के अधिकार तथा दायित्व जैसे कि वे धारा १० के अधीन तैयार किये गये वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित हों, उसे (खातेदार को) प्रदिष्ट भूमियों में सुरक्षित रहें,

(ख) इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये दिये गये अंशदानों के कारण की गयी कटौतियों, (यदि कोई हों) के अधीन रहते हुये, खातेदार की प्रदिष्ट गाटों का मूल्यांकन उसके द्वारा मूलतः धृत गाटों के मूल्यांकन के बराबर हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सिवाय उस दशा के जब चकबन्दी संचालक ने तदर्थ अनुज्ञा दे दी हो, खातेदार को प्रदिष्ट जोत या जोतों के क्षेत्रफल और उसका मूल जोत या जोतों के क्षेत्रफल का अन्तर उपरोक्त क्षेत्रफल के २५ प्रतिशत से अधिक न होगा।

(ग) इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित प्रतिकर नीचे लिखे अनुसार दिया जाये––

(१) खातेदार को––

(i) उन पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के लिये जो उसके द्वारा मूलतः अधिकृत थे और जो दूसरे खातेदार को प्रदिष्ट कर दिये गये हों, और

(i) सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उसके द्वारा दी गयी भूमि के लिये;

(२) यथास्थिति, गांव समाज या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को, ऐसी समुन्नति के लिये, यदि कोई हो, जो उसने उस भूमि पर की हो जो उसकी हो और किसी खातेदार को प्रदिष्ट कर दी गयी हो;

(घ) सिद्धांतों के विवरण में दिये गये सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाये ;

(ङ) प्रत्येक खातेदार को, यथासम्भव, उस स्थान पर जहां उसके पास अपनी जोत का सब से बड़ा भाग हो, संहत क्षेत्र प्रदिष्ट किया जाये :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उप–संचालक, चकबंदी के लिखित अनुमोदन के बिना किसी खातेदार को तीन से अधिक चक प्रदिष्ट नहीं किये जा सकते :

प्रतिबन्ध यह भी है कि की गयी कोई भी चकबंदी केवल इसलिये अवैध न मानी जायेगी कि किसी खातेदार को प्रदिष्ट चक तीन से अधिक हैं;

(च) प्रत्येक खातेदार को, यथा सम्भव वह गाटा प्रदिष्ट किया जाये, जिसमें उसका सिंचाई का निजी साधन अथवा अन्य कोई समुन्नति विद्यमान हो और साथ में उसके निकट का ऐसा क्षेत्र प्रदिष्ट किया जाये जिसका मूल्यांकन लगभग उतना ही हो जितना कि वहां पर उसके द्वारा मूलतः धृत गाटों का था; और

(छ) प्रत्येक खातेदार को, यथासम्भव, समकोण–निर्माण कटकों (rectangulation units) में समकोण–निर्माण की प्रक्रिया के अनुकूल चक प्रदिष्ट किये जायें ।

(२) कोई भी चकबंदी योजना, धारा २३ के अधीन उसे अन्तिम रूप दिये जाने के पूर्व, धारा १९–क के उपबन्धों के अनुसार प्रारम्भिक रूप से तैयार की जायेगी ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० में नयी धारा १९–क का बढ़ाया जाना

२०––मूल अधिनियम की धारा १९ के पश्चात् नयी धारा १९–क के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये––

सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक चकबंदी योजना का तैयार किया जाना

"१९–क––(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी चकबंदी समिति के परामर्श से, नियत आकार में, कटक के लिये एक प्रारम्भिक चकबंदी योजना तैयार करेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१

(२) इस अधिनियम में या १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, सहायक चकबंदी अधिकारी के लिये, जहां उसकी राय में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर हो, यह विधि–संगत होगा कि वह मूल्यांकन करने के पश्चात् कोई भी भूमि, जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ११७ या ११७–क के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति

के फलस्वरूप गांव समाज या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी में निहित हों, किसी भी खातेदार को प्रदिष्ट करे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी कोई भूमि सार्वजनिक प्र ोजन के लिये प्रयुक्त की जाती हो, तो वह भूमि सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में यह प्रख्यापन करने के पश्चात् ही प्रदिष्ट की जायेगी कि सार्वजनिक तथा समस्त व्यक्ति विशेषों के उस भूमि में या उस पर अधिकारों को किसी अन्य भूमि में जो प्रख्यापन में निर्दिष्ट हो और जो उक्त प्रयोजन के लिये प्रारंभिक चकबंदी योजना में विनिर्दिष्ट हो, संक्रमित करने का प्रस्ताव है ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा २१ का संशोधन

२१—मूल अधिनियम की धारा २० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:—

प्रारम्भिक चकबंदी योजना का प्रकाशित किया जाना और उसके सम्बन्ध में आपत्तियां प्राप्त करना

"२०—(१) प्रारम्भिक चकबंदी योजना के तैयार हो जाने पर, सहायक चकबंदी अधिकारी, सम्बद्ध खातेदारों और स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को नोटिस भेजेगा या भिजवायेगा जिनमें उक्त योजना से लिये गये सम्बद्ध उद्धरण दिये होंगे। तत्पश्चात् प्रारम्भिक चकबंदी योजना कटक में प्रकाशित की जायेगी ।

(२) धारा ११—क में दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुये, कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (१) के अधीन नोटिस भेजा गया हो, और प्रारम्भिक चकबंदी योजना से प्रभावित कोई अन्य व्यक्ति, जो प्रारम्भिक चकबंदी योजना के इंदराजों या उससे लिये गये उद्धरणों के औचित्य या शुद्धता पर आपत्ति करे, यथास्थिति नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से या प्रारम्भिक चकबंदी योजना के प्रकाशन के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

(३) कोई भी प्रभावित व्यक्ति अथवा कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे किसी सार्वजनिक भूमि में या उस पर सार्वजनिक मार्ग के अधिकार के अतिरिक्त कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त हो, या ऐसा अन्य स्वत्व या अधिकार प्राप्त हो जिस पर धारा १९—क की उपधारा (२) के अधीन किये गये प्रख्यापन से तत्वतः प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, प्रारम्भिक चकबंदी योजना के प्रकाशित होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी के समक्ष, यह बताते हुये अपील प्रस्तुत कर सकता है कि उक्त स्वत्व या अधिकार किस प्रकार का है।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा २० का संशोधन

२२—मूल अधिनियम की धारा २१ में—

(१) उपधारा (२) में अंक "२१" के स्थान पर अंक "१५" रख दिये जायें ;

(२) उपधारा (३) तथा (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

प्रारम्भिक चकबंदी योजना पर की गयी आपत्तियों का निस्तारण

"(३) आपत्तियां निर्णीत करने से पहले चकबंदी अधिकारी संबद्ध पक्षों तथा चकबंदी समिति को नोटिस देने के पश्चात् विवादग्रस्त गाटों का स्थानीय निरीक्षण करेगा तथा बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी भी अपील निर्णीत करने से पहले ऐसा कर सकता है ।

(४) यदि किसी आपत्ति के निस्तारण अथवा अपील की सुनवाई के दौरान में, यथास्थिति, चकबंदी अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी की यह राय हो कि, यथास्थिति, सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा तैयार की गयी या बाद में चकबन्दी अधिकारी द्वारा परिष्कृत की गयी प्रारम्भिक चकबंदी योजना के कार्यान्वय से बहुत से खातेदारों के साथ सारतः अन्याय होने की संभावना है, और प्रारम्भिक चकबंदी योजना का पुनरीक्षण किये बिना अथवा नयी प्रारम्भिक चकबंदी योजना तैयार किये बिना कटकों के खातेदारों को भूमि का ठीक और उचित प्रदेशन संभव नहीं है, तो उन कारणों से, जिन्हें अभिलिखित किया जायेगा,

(१) चकबंदी अधिकारी के लिये यह वैध होगा कि वह सम्बद्ध खातेदारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्रारम्भिक चकबंदी योजना का पुनरीक्षण करे अथवा उसे ऐसे निदेशों सहित, जिन्हें चकबंदी अधिकारी आवश्यक समझें, सहायक चकबंदी अधिकारी को वापस कर दे, और

(२) बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी के लिये यह वैध होगा कि वह सम्बद्ध खातेदारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्रारम्भिक चकबंदी योजना का पुनरीक्षण करे अथवा उसे सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी को, जैसा बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी उचित समझें, ऐसे निदेशों के साथ वापस कर दे जिन्हें वह आवश्यक समझे ।" और

(३) उपधारा (५) तथा (६) निकाल दी जायें

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा २२ का निकाला जाना

२३—मूल अधिनियम की धारा २२ निकाल दी जाये ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा २३ का संशोधन

२४—मूल अधिनियम की धारा २३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:—

प्रारम्भिक चकबंदी योजना की पुष्टि तथा प्रदेशन आज्ञाओं का जारी किया जाना

"२३—(१) (क) यदि धारा २० में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत न की गयी हों; या

(ख) यदि उक्त आपत्तियां प्रस्तुत की गयी हों, तो ऐसे परिष्कारों या परिवर्तनों के पश्चात् जो धारा २१ की उपधारा (१) से (४) तक के अधीन दी गयी आज्ञाओं को दृष्टि में रखते हुये आवश्यक हों; बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी, प्रारम्भिक चकबंदी योजना की पुष्टि करेगा ।

(२) इस प्रकार पुष्टीकृत प्रारम्भिक चकबन्दी योजना कटक में प्रकाशित की जायेगी तथा, इस अधिनियम में अथवा इसके अधीन की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये, अंतिम होगी ।

(३) (१) यदि धारा १९-क के अधीन किये गये प्रदेशनों को धारा २१ के अधीन परिष्कृत न किया जाये और उपधारा (१) के अधीन उनकी पुष्टि कर दी जाये, तो धारा २० के अधीन जारी किये गये नोटिस में दिये गये उद्धरणों को सम्बद्ध खातेदारों के लिये अंतिम प्रदेशन आज्ञायें समझा जायेगा ।

(२) खंड (१) के अधीन न आने वाले मामलों में पुनरीक्षित उद्धरण, जिनमें उपधारा (१) के अधीन यथा पुष्टीकृत परिष्कृत प्रदेशन उल्लिखित होंगे—

(क) यदि प्रदेशन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा परिष्कृत न किये गये हों, तो चकबन्दी द्वारा; और

(ख) यदि बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने प्रदेशनों का परिष्कार किया हो; तो उसके द्वारा;

जारी किये जायेंगे, और वे सम्बद्ध खातेदारों के लिये अंतिम प्रदेशन आज्ञायें होंगे ।"

२५—मूल अधिनियम की धारा २४ में— उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा २४ का संशोधन

(१) उपधारा (१) में शब्द "चकबन्दी योजना" के स्थान पर शब्द "अंतिम चकबन्दी योजना" रख दिये जायें, और

(२) उपधारा (२) में शब्द "चकबन्दी की योजना" के स्थान पर शब्द " अंतिम चकबन्दी योजना" रख दिये जायें, तथा अन्त में शब्द "और देगा" बढ़ा दिये जायें ।"

२६—मूल अधिनियम की धारा २७ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :— उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा २७ की उपधारा (१) का संशोधन

"(१) अंतिम चकबन्दी योजना के प्रचलित होने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र, जिला उपसंचालक चकबन्दी, धारा ७ के अधीन यथासंशोधित नक्शों, खसरा चकबन्दी तथा धारा १० के अधीन तैयार किये गये वार्षिक रजिस्टर के इन्दराजों और इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अंतिम रूप से दी गयी तथा जारी की गयी प्रदेशन आज्ञाओं के आधार पर प्रत्येक गांव के लिये चकबन्दी क्षेत्र का नया नक्शा, खसरा तथा अधिकार अभिलेख तैयार करायेगा । उक्त नक्शों और अभिलेखों को तैयार करने में यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्धों का, ऐसे परिष्कारों तथा परिवर्तनों के अधीन रहते हुये, जो नियत किये जायें, अनुसरण किया जायेगा ।" यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१

२७—मूल अधिनियम की धारा २८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :— उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा २८ का संशोधन

"२८—(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी, ऐसे खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति के प्रार्थना-पत्र, पर जिसे अंतिम चकबन्दी कब्जा दिलाना योजना के अन्तर्गत चक या भूमियां प्रदिष्ट की गयी हों, उस दिनांक के, जब उक्त योजना प्रचलित हुई हो, छः मास के भीतर, प्रार्थी को प्रदिष्ट चक या भूमि का वास्तविक कब्जा, उसे दिलायेगा और ऐसा करने में उसे वे सभी अधिकार जिनमें अवमान, प्रतिरोध तथा ऐसी ही अन्य बातों के सम्बन्ध में अधिकार भी हैं, प्राप्त होंगे जिनका प्रयोग ,अचल सम्पत्ति पर कब्जा दिलाने की डिक्री के निष्पादन में दीवानी न्यायालय कर सकते हैं :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि सहायक चकबन्दी अधिकारी उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, यह निर्णय न करे कि फसल पर भी कब्जा दिलाया जायेगा, उपर्युक्त प्रकार से कब्जे का दिलाया जाना उस व्यक्ति के, जिससे कब्जा संक्रामित किया गया हो, कब्जा

दिलाने के दिनांक पर उक्त चक या भूमियों या उनके भाग पर खड़ी फसलों को पालने-पोषने और उन्हें एकत्र करने के अधिकार पर प्रभाव न डालेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि जब कोई व्यक्ति प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अनुसार खड़ी फसलों का पालन-पोषण करे तथा उन्हें एकत्र करे तो वह उस व्यक्ति को, जिसे चक या भूमियां प्रदिष्ट की गयी हों, भूमि के प्रयोग के लिये ऐसी दर पर और ऐसी रीति से प्रतिकर देगा जो नियत की जाये ।

(२) जिस दिनांक को खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति, प्रदिष्ट चक या भूमियों पर कब्जा करने की हकदार हो गयी हो [चाहे ऐसा उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९६२ के प्रचलित होने के पूर्व हो या उसके पश्चात्] उससे छः मास समाप्त हो जाने पर या उक्त अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से छः मास समाप्त होने पर, जो भी दिनांक बाद में पड़े, यथास्थिति, खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति के सम्बन्ध में, जब तक कब्जा पहले ही न कर लिया गया हो, यह समझा जायेगा कि उसने प्रदिष्ट चक या भूमियों पर वास्तविक रूप से कब्जा कर लिया है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह तथ्य कि खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति ने इस प्रकार कब्जा कर लिया है, उस व्यक्ति के जिससे कब्जा संक्रामित किया गया समझा जायेगा, उपर्युक्त छः मास की अवधि समाप्त हो जाने के दिनांक को ऐसे चक या भूमियों अथवा उनके भाग पर खड़ी फसल को पालने-पोषने और उसे एकत्र करने के अधिकार पर प्रभाव न डालेगा ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा २९ में नयी उपधारा (१-क) का बढ़ाया जाना

२८—मूल अधिनियम की धारा २९ में उसकी उपधारा (१) के पश्चात् नयी उपधारा (१-क) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये :—

" (१-क) उपधारा (१) के अधीन आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आज्ञा के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, चकबन्दी अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० में नयी धारा २९-क का बढ़ाया जाना

२९—मूल अधिनियम की धारा २९-क के पश्चात् नयी उपधारा २९-कक के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये —

"२९-कक—(१) यदि धारा ८-क के उपबन्धों के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त अंशदान में भूमि दिये जाने के फलस्वरूप खातेदार की मूल जोत का क्षेत्रफल कम हो जाये तो उक्त जोत के लिये देय मालगुजारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा उस अनुपात में कम कर दी जायेगी जो अंशदान के रूप में दिये गये क्षेत्र का उक्त जोत के कुल क्षेत्रफल से हो और कम हुई मालगुजारी प्रारम्भिक चकबन्दी योजना में दिखायी जायेगी ।

सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त भूमि दिये जाने के कारण मालगुजारी में कमी

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १५, १९५१

(२) उपधारा (१) के अधीन की गयी कमी से क्षुब्ध कोई खातेदार, धारा २० के अधीन प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के प्रकाशन के दिनांक से १५ दिन के भीतर, १९५० ई० के जमींदारी विनाश और भूमि- व्यवस्था

अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार मालगुजारी में कमी, अवधारित किये जाने के लिये सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा २९-ख का संशोधन

३०—मूल अधिनियम की धारा २९-ख के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"२९-ख-(१) (क) प्रत्येक खातेदार को, जिसकी जोत का कोई भाग इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये दिया गया हो, इस प्रकार दी गयी भूमि के लिये प्रतिकर दिया जायेगा जो धारा २९-कक के अधीन कम की गयी मालगुजारी का—

सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त खातेदारों द्वारा दी गयी भूमि के लिये प्रतिकर

(१) भूमिधर की भूमि के विषय में, चार गुना, और
(२) सीरदार की भूमि के विषय में, दो गुना,

होगा ।

(ख) इस प्रकार दी गयी भूमि के भीतर पड़ने वाले पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के विषय में, प्रतिकर की धनराशि धारा १९ के उपबन्धों के अनुसार अवधारित की जायेगी ।

(२) किसी खातेदार को देय प्रतिकर का भुगतान, इस अधिनियम के अधीन क्रिया सम्बन्धी व्यय को, यदि कोई हो, काटने के पश्चात् नकदी में किया जायेगा ।

(३) जब कोई भूमि, जिसके सम्बन्ध में उपधारा (१) के अधीन प्रतिकर का भुगतान किया जाये, किसी असामी के कब्जे में हो, तो, यथास्थिति भूमिधर, अथवा सीरदार को देय प्रतिकर में से उसका ५ प्रतिशत असामी को, उस भूमि में उसके अधिकार, आगम तथा स्वत्व के सम्बन्ध में दिया जायेगा ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा २९-ग की उपधारा (१) का संशोधन

३१—मूल अधियिम की धारा २९-ग की उपधारा (१) के स्थान पर नि म्न-लिखित रख दिया जाये :—

"(१) इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गयी भूमि उस दिनांक से, जब खातेदार समय-समय पर यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उन्हें प्रदिष्ट चकों पर कब्जा करने के हकदार हुये हों, गांव समाज में निहित होगी और सदैव निहित हुई समझी जायगी और उस प्रयोजन के लिये प्रयुक्त होगी जिसके लिये वह अन्तिम चकबन्दी योजना में विनिर्दिष्ट की गयी थी अथवा उक्त प्रयोजन के न रहने की दशा में ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होगी, जो नियत किये जायें ।"

सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गयी भूमि का निहित होना

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ३० का संशोधन

३२—मूल अधिनियम की धारा ३० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये—

"३०—उस दिनांक से जब इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कोई खातेदार अपने को प्रदिष्ट चक पर, कब्जा करे या उसके सम्बन्ध में यह समझा जाय कि उसने कब्जा कर लिया है निम्नलिखित परिणाम होंगे :—

दे परिणाम जो कब्जा बदलने पर होंगे

(क) निम्नलिखित के अधिकार आगम, स्वत्व और दायित्व उनकी अपनी-अपनी मूल जोतों में समाप्त हो जायेंगे —

(१) वह खातेदार जो कब्जा करे या जिसके सम्बन्ध में यह समझा जाये कि उसने कब्जा कर लिया है, और

(२) चक में सम्मिलित गाटों का पूर्व वर्ती खातेदार, और,

(ख) उस खातेदार के जो कब्जा करे या जिसके सम्बन्ध में यह समझा जाये कि उसने कब्जा कर लिया है, अपने चक में वही अधिकार, आंगम, स्वत्व और दायित्व होंगे जो उसकी अपनी मूल जोत में थे और उसे ऐसे निजी स्रोत से, जब तक कि वह स्रोत विद्यमान रहें, सिंचाई की वह अन्य सुविधायें भी प्राप्त रहेंगी जो चक में सम्मिलित गाटों के पूर्ववर्ती खातेदार को उन गाटों के सम्बन्ध में प्राप्त थीं,

(ग) उन भूमियों के सम्बन्ध में जो गांव समाज या किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित हों और जो खातेदार को प्रदिष्ट की गयी हों, यह समझा जायेगा कि वे, राज्य सरकार द्वारा, १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम की यथास्थिति धारा, ११७ या ११७–क के उपबन्धों के अधीन वापस ले ली गयी हैं, और उनका बन्दोबस्त खातेदार के साथ कर दिया गया है;

(घ) धारा १९–क की उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन किये गये प्रख्यापन के बाद, चक में सम्मिलित, भूमि में या भूमि पर जन-साधारण तथा सभी व्यक्ति विशेषों के अधिकार समाप्त हो जायेंगे और वे अन्तिम चकबन्दी योजना में इस प्रयोजन के लिये निर्दिष्ट भूमि में सृजित हो जायेंगे, और

(ङ) उस खातेदार की, जो कब्जा करे या जिसके सम्बन्ध में यह समझा जाये कि उसने कब्जा कर लिया है, मूल जोत पर भार यदि कोई हो, चाहे वह पट्टा या बन्धक के रूप में हो या अन्य प्रकार का हो, उस जोत के सम्बन्ध में समाप्त हो जायेगा और वह उन जोतों पर या उनके ऐसे भाग पर हो जायेगा जो अन्तिम चकबन्दी योजना में निर्दिष्ट किया जाय ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १, १९५१ ई०

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ३१ का निकाला जाना

३३—मूल अधिनियम की धारा ३१ निकाल दी जाये ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ३२ का संशोधन

३४—मूल अधिनियम की धारा ३२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०१ उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१ ई०

"३२—यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ और १९५० ई० के जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, खातेदारों का अपनी जोतों में अधिकार, आगम, स्वत्व और दायित्वों का ऐसा संक्रामण (चाहे वह विनिमय

खाता संक्रमित करने का अधिकार

द्वारा हो या अन्य प्रकार से), जो उन्हें प्रभावित करने वाली अन्तिम चकबन्दी योजना के कार्यान्वय में अन्तर्ग्रस्त हो, वैध होगा और किसी खातेदार या अन्य व्यक्ति को ऐसे संक्रमण पर आपत्ति करने अथवा उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार न होगा ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ३३ का संशोधन

३५—मूल अधिनियम की धारा ३३ में—

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन संचालित क्रियाओं का व्यय निश्चित करेगी और कटक के खातेदारों से उसका ऐसा भाग, और ऐसी रीति से, वसूल करेगी जो नियत की जायें ।"; और

(२) उपधारा (२) में शब्द "चकबन्दी" के स्थान पर शब्द "उक्त क्रियाओं के" रख दिये जायें ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ३४ और ३५ का निकाला जाना

३६—मूल अधिनियम की धारा ३४ तथा ३५ निकाल दी जायें ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ४२ की उपधारा १ का संशोधन

३७—मूल अधिनियम की धारा ४२ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"(१) राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों में ऐसे प्राधिकारी तथा अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ४३ का निकाला जाना

३८—मूल अधिनियम की धारा ४३ निकाल दी जाय ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ४८ का संशोधन

३९—मूल अधिनियम की धारा ४८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"४८—(१) यदि किसी अधिकारी के संबंध में जिसने किसी मामले का निर्णय किया हो या कोई कार्यवाही की हो, यह प्रतीत हो कि उसने किसी ऐसे अधिक्षेत्र का प्रयोग किया है जो उसे विधि द्वारा प्राप्त नहीं था या उसने प्राप्त अधिक्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है, या अधिक्षेत्र का प्रयोग करने में उसने अवैध रूप से या तत्वतः अधिनियमितता से कार्यवाही की है, तो चकबन्दी संचालक उस मामले या कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकता है, और उस मामले या कार्यवाही में ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे ।

पुनरीक्षण

(२) चकबन्दी संचालक उस दशा में भी उक्त अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जब किसी मामले या कार्यवाही का अभिलेख किसी अधीनस्थ, प्राधिकारीने, उपधारा (१) के अधीन कार्यवाही के लिये उसे अभिदिष्ट किया हो ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या, ५ १९५४ ई० की धार ४८–ख का संशोधन

४०––मूल अधिनियम की धारा ४८–ख में शब्द और कामा "भी है", और शब्द "धारा ४८" के बीच में आये हुये शब्द "धारा २१ की उपधारा (६) अथवा" निकाल दिये जायें ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या, ५, १९५४ ई० की धारा ४९ का संशोधन

४१––मूल अधिनियम की धारा ४९ में शब्द "धारा ४ के अधीन" और शब्द "खातेदारों के" बीच में आये हुये "प्रख्यापन जारी कर दिया हो" क स्थान पर शब्द "विज्ञप्ति जारी कर दी गयी हो" रख दिये जायें ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा ५१ का संशोधन

४२––मूल अधिनियम की धारा ५१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :–

"५१––तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, अन्तिम चकबन्दी योजना को कार्यान्वित करने में जोतों का जो संक्रमण होगा उसे पूरा करने के लिये न तो किसी लिखित कारण की आवश्यकता होगी और न ऐसा कारण निष्पादित किया जाने पर रजिस्ट्री की आवश्यकता होगी ।"

संक्रमण को निष्पन्न करने के लिये कोई कारण आवश्यक नहीं है

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा ५२ का संशोधन

४३––मूल अधिनियम की धारा ५२ में––

(१) वर्तमान धारा की संख्या बदल कर उसे उपधारा (१) कर दिया जाय और उसके अन्त में पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाये तथा उसके प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये :

चकबन्दी क्रियाओं की समाप्ति

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन विज्ञप्ति प्रचारित किये जाने से, इस अधिनियम के अधीन क्रियाओं के व्यय को निश्चित करने, बांटने और वसूल करने के राज्य सरकार के अधिकार पर कोई प्रभाव न पड़ेगा ।"

(२) उपधारा (१) के पश्चात् नयी उपधारा (२) के रूपमें निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :––

"(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, "भारत का संविधान" के उपबन्धों के अधीन प्रस्तुत की गयी लेख-याचिकाओं के मामलों में या उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति प्रचारित किये जाने के दिनांक को इस अधिनियम के अधीन विचाराधीन मामलों या कार्यवाहियों में सक्षम न्यायालय द्वारा दी गयी आज्ञायें ऐसे प्राधिकारियों द्वारा, जो नियत किये जायं, कार्यान्वित की जायेंगी और उस प्रयोजन के लिये चकबन्दी क्रियाओं के विषय में यह समझा जायगा कि वे समाप्त नहीं हुई हैं ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा ५३ का संशोधन

४४––मूल अधिनियम की धारा ५३ में शब्द "के मध्य" तथा "चकों" के बीच में शब्द "समझौते द्वारा" रख दिये जायें ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १६५४ ई० की धारा ५३–ए का संशोधन

४५—मूल अधिनियम के अंग्रेजी पाठ की धारा ५३–ए में उपधारा (१) तथा (२) में और पार्श्व शीर्षक में आने वाले शब्द "scheme of consolidation" के स्थान पर शब्द "Consolidation Scheme" रख दिये जायें :

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १६५४ ई० की धारा ५४ की उपधारा (२) का संशोधन

४६—मूल अधिनियम की धारा ५४ की उपधारा (२) में —

(१) खंड (क) में शब्द "प्रख्यापन" के स्थान पर शब्द "विज्ञप्ति" रख दिया जाये,

(२) खंड (ब) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

" (ब) धारा ७ से ११ तक के तथा धारा १२ के अधीन नक्शों और अभिलेखों के पुनरीक्षण से, जिसके अन्तर्गत अधिकारों का प्रख्यापन, संयुक्त जोतों का विभाजन, गाटों का मूल्याँकन, कुओं, पेड़ों तथा अन्य समुन्नतियों के प्रतिकर का अवधारण तथा अभिभाजन भी हैं, से सम्बद्ध प्रक्रिया और सिद्धान्तों के विवरण की तैयारी तथा प्रकाशन,; " और

(३) खंड (च), (छ) तथा (ज) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

" (च) धारा १२–घ के अधीन जोतों के संयोजन की प्रक्रिया;

(छ) धारा १६–क, २१ और २३ के अधीन चकबन्दी योजना तैयार करने, उसे प्रकाशित करने और उसकी पुष्टि करने की प्रक्रिया और रीति,

(ज) धारा २३ के अधीन प्रदेशन-आज्ञायें जारी करने की प्रक्रिया और रीति ।"

संक्रामण-कालीन उपबन्ध

४७—(१) इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक के पूर्व, जिसे आगे उक्त दिनांक कहा गया है, मूल अधिनियम की धारा ४ के अधीन विज्ञापित कटकों में —

(१) यदि, उक्त दिनांक को या उसके पूर्व मूल अधिनियम की धारा २० के अधीन प्रस्तावों का विवरण प्रकाशित किया जा चुका हो, तो उक्त प्रकाशन की अवस्था के आगे के; और

(२) यदि, उक्त दिनांक को या उसके पूर्व मूल अधिनियम की धारा ६ के अधीन नोटिस जारी किये जा चुके हों तो मूल अधिनियम की धारा १८ के अधीन प्रस्तावों के विवरण के पुष्टीकरण की अवस्था तक के तथा उस अवस्था के भी;

चकबन्दी क्रियाओं के विषय में या उनसे संबद्ध समस्त कार्य मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसी प्रकार संचालित तथा समाप्त किये जायेंगे, मानों यह अधिनियम प्रचलित ही न हुआ हो ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उन द्वितीय अपीलों और पुनरीक्षणों के संबंध में जो इस अधिनियम द्वारा संशोधन के पूर्व यथास्थित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किये जा सकते थे किन्तु जो उक्त दिनांक के पूर्ण संस्थित नहीं किये गये थे, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम लागू होगा और उसी प्रकार सदैव से लागू हुआ समझा जायगा मानो यह अधिनियम सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचलित था ।

(२) अन्य समस्त कार्य, जिन पर उपधारा (१) के उपबन्ध लाग नहीं होते, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संचालित तथा समाप्त किये जायेंगे ।

स्पष्टीकरण--जिन कटकों में मूल अधिनियम की धारा ६ के अधीन नोटिस उक्त दिनांक को या उसके पूर्व जारी नहीं किये गये थे वहां किया गया प्रत्येक कार्य, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये, सदैव इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३८, १९५८

(३) उपधारा (१) या (२) में किसी बात के होते हुये भी, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५८ की धारा ४९ के खंड (१) के उपबन्ध उक्त खंड के अन्तर्गत आने वाली कार्यवाहियों पर लागू होते रहेंगे ।

उ०प्र० अधिनियम संख्या ३८,१९५८

(४) सन्देहों के निवारणार्थ यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उपधारा (१) या उपधारा (३) के उपबन्धों के अनुसार कोई काम मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया जाना समाप्त किया जाना है तो राज्य सरकार के लिये उन समस्त या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करना वध होगा तथा सदव बैध रहा समझा जायगा जो उसे (राज्य सरकार को), मूल अधिनियम के, जैसा कि वह यथास्थित, इस अधिनियम द्वारा संशोधित किये जाने के पूर्व या उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५८ द्वारा संशोधित किये जाने के पूर्व था, उपबन्धों के अधीन प्राप्त थे ।

कठिनाइयों का निवारण

४८--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा संशोधन के पूर्व यथावस्थित मूल अधिनियमों के, उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण के सम्बन्ध में कठिनाइयों के निवारणार्थ, गजट में आज्ञा प्रकाशित करके, निदेश दे सकती है, कि इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम, ऐसी अवधि में जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये (चाहे वे परिष्कार रूप में हों अथवा परिवर्द्धन या लोप के रूप में) जिनका सार पर प्रभाव न पड़े, और जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्रभावी होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से चौबीस मास के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी जायगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी समस्त आज्ञायें दिये जाने के बाद यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के सामने कम से कम १४ दिन तक रखी जायगी और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहते हुये जो विधान मंडल उनमें करे, आज्ञा के प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होंगी ।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ जब पिछली बार उ० प्र० अधिनियम संख्या ३८, १९५८ द्वारा संशोधित किया गया था, तब से यह आवश्यक समझा गया है कि चकबन्दी की प्रक्रिया को और परिष्कृत किया जाय ताकि प्रति एकड़ चकबन्दी की लागत, को जो अन्य राज्यों के अपेक्षाकृत अधिक है, कम करने के उद्देश्य से चकबन्दी क्रियाओं की अवधि में कमी की जाय । चकबन्दी क्रियाओं में अड़चनें आने और देरी होने का एक सब से बड़ा कारण यह रहा है कि विभिन्न चकबन्दी प्राधिकारियों के पास बाद-कार्य जमा हो गया है । यह प्रस्ताव है कि विभिन्न प्रक्रियाओं को दो वर्गों में मिला दिया जाय जिससे आपत्तियां, अपील आदि प्रस्तुत करने के प्रक्रम कम हो जायेंगे और इस प्रकार खातेदारों को होने वाली बहुत सी असुविधायें दूर हो जायंगी तथा चकबन्दी क्रियाओं की लागत में कमी हो जायेगी यह भी प्रस्ताव है कि १९५८ के संशोधन अधिनियम द्वारा प्रचलित की गयी द्वितीय अपीलों की व्यवस्था समाप्त कर दी जाय क्योंकि उनसे कार्यवाहियां तो अनावश्यक रूप से बढ़ जाती हैं, लेकिन खातेदारों को कोई विशेष लाभ नहीं होता । खातेदार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये अपनी जोत से अशंदान करने के परिणामस्वरूप उसकी मूल जोत में कमी हो जाने से उसके द्वारा देय मालगुजारी की धनराशि के समायोजन के सम्बन्ध में इस समय अधिनियम में कोई विशेष उपबन्ध नहीं है । चूंकि खातेदारों को इस मामले में कुछ कठिनाई हुई है इसलिये ऐसे मामलों में मालगुजारी कम करने के संबंध में उचित उपबन्ध सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। चकबन्दी क्रियाओं की लागत को वसूल करने से संबंधित उपबन्धों को संशोधित करना आवश्यक है क्योंकि लाभार्थियों के एक वर्ग से लागत वसूल करने में कठिनाई हुई है । कुछ कठिनाई रिट के उन मुकदमों में उच्च न्यायालय की आज्ञाओं को कार्यान्वित करने में भी हुई है जो ऐसे क्षेत्रों के बारे में थे जिनके संबंध में उक्त अधिनियम की धारा ५२ के अधीन औपचारिक रूप से चकबन्दी क्रियायें बन्द करने की विज्ञप्तियां जारी की जा चुकी थीं, और परिणामतः चकबन्दी प्राधिकारियों से उन क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार ले लिये गये थे । उक्त विषयों के संबंध में उचित उपबन्ध बनाने तथा अन्य छोटी-मोटी त्रुटियां दूर करने के उद्देश्य से यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

हुकुमसिंह विसेन,
राजस्व मंत्री ।

नत्थी 'ण'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६२४ पर)

श्री चन्द्रजीत यादव द्वारा १० वें सोमवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ३९ से ४१ के उत्तर

प्रश्न	उत्तर
३९—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जंगलों में शिकार खेलने के नियमों के उल्लंघन (violation of the game laws) के संबंध में वन विभाग ने क्षेत्रीय आयुक्तों, जिलाधीशों तथा वन विभाग के अधिकारियों के पास कोई परिपत्र भेजा है ? यदि हां, तो उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?	३९—जी हां । उसकी एक प्रति सदन के मेज पर प्रस्तुत है ।
४०—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग को इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि राज्य के बहुत से उच्चाधिकारियों ने वांछित नियमों का उल्लंघन किया है ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?	४०—जी हां । इन शिकायतों के आधार पर ही प्रश्न ३९ के उत्तर में उल्लिखित परिपत्र समस्त जिलाधीशों, क्षेत्रीय आयुक्त एवं वन अधिकारियों को भेजा गया था ।
४१—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की वन जन्तुओं की सुरक्षा एवं जंगल में शिकार खेलने के नियमों के उल्लंघन को प्रभावकारी ढंग से रोकने के संबंध में प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर से कोई परिपत्र विभाग को सन् १९६१ के बाद से कोई प्राप्त हुआ है ?	४१—जी हां ।

अलगू राय,
वन मंत्री ।

नत्थी 'त'

(देखिये पीछे पृष्ठ ९२६ पर)

उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेन्ट्स ऐन्ड बेटिंस टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६२

यूनाइटेड प्राविन्सेज इन्टरटेनमेंट्स एन्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ को संशोधित करने का

य० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९३७

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेन्ट्स ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा ।

संक्षिप्त शीर्षनाम

२—यूनाइटेड प्राविन्सेज इन्टरटेनमेन्ट्स ऐन्ड बेटिंग टैक्स, ऐक्ट, १९३७ की धारा ३ की उपधारा (१) में—

धारा ३ का संशोधन

(१) शब्द "from the date this section comes into force" निकाल दिये जायें; और

(२) अंक "५०" के स्थान पर अंक "६०" रख दिया जाये ।

उद्देश्य और कारण

वर्तमान राष्ट्रीय आपात का सामना करने के उद्देष्य से सरकार ने यह निश्चय किया है कि चल-चित्रों के प्रदर्शनों और अन्य मनोरंजनों पर कर की अधिकतम दर को ५० प्रतिशत से बढ़ा कर ६० प्रति-शत कर दिया जाये ।

अतः यह प्रस्ताव है कि यू० पी० इन्टरटेनमेन्ट्स ऐन्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ की धारा ३ (१) में संशोधन किये जायें ।

तद्नुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

चन्द्रभानु गुप्त,
मुख्य मंत्री ।

यूनाइटड प्राविन्सज इन्टरटनमन्ट्स एन्ड बटिंग टैवस एवट, १९३७ की धारा ३ की उपधारा (१) का उद्धरण जिसको उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेन्ट्स ऐन्ड बेटिंग टैवस (संशोधन) विधेयक, १९६२ द्वारा संशोधित करने का प्रस्ताव है

3. (1) There shall, from the date this section comes into force, be levied and paid to Government on all payments for admission to any entertainment, a tax (hereinafter referred to as "entertainment tax") at a rate, not exceeding 50 per cent of the payment for admission as the Gove nment may from time to time specify by a notification in this behalf and the tax shall be collected by the proprietor and paid to the Government in the manner prescribed.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२५२ एल० ए० १९६३—८३० ।